

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 11—अक्टूबर 17, 2014 (आर् विन 19, 1936)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2014 (ASVINA 19, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2014

सं. एन-15/13/10/1/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

“जिला बालेश्वर के रेपूणा तहसिल में कूरुडा, भीमपुरा, कालीदासपुर, एवं सुतेई, बालेश्वर तहसिल में सुन्दरी एवं इशनी, निलगीरी तहसिल में के.पी. महल एवं तहसिल बहानगा में मनकहानी के राजस्व गाँव”।

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/14/4/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न राजस्व गाँव
तिरुप्पुर जिला में वेल्लकोविल	1. वेल्लकोविल 2. अगलारक्पालयम 3. दसवनैकम्पपट्टी 4. करट्टुपालयम 5. करुक्प्पन्वलसु 6. लक्कमनैकम्पपट्टी 7. मेट्टुक्पालयम 8. मैलरंगम 9. नागमणिकम्पट्टी 10. पडप्पै 11. सेनापतिपालयम 12. पचपालयम (वेल्लकोविल) 13. तीथम्पालयम 14. उप्पुपालय 15. वेल्प्पनायकन्वलसु

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/14/5/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न राजस्व गाँव
ईरोड जिले के सत्यमंगलम तालुक में पुंजैपुलियम्पट्टी एवं सत्यमंगलम	1. पुंजैपुलियम्पट्टी 2. माडम्पालयम 3. नल्लूर 4. पुंगम्पट्टी 5. विन्नपळ्ळी (विन्नपल्ली) 6. मंगरसु वलयपालयम 7. देसीपालयम 8. सत्यमंगलम 9. इंडियनपालयम 10. अक्करै नगमम्

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

दिनांक 22 जुलाई 2014

सं. एन-15/13/11/2/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	बाले चक	52	तरण-तारण	तरण-तारण

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/11/3/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	गुरुसर सैने वाला	92	बठिण्डा	बठिण्डा
2.	जोधपुर रोमाना	64	बठिण्डा	बठिण्डा

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/12/4/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

क्रम सं.	राजस्व गाँव का नाम	तहसील का नाम	जिले का नाम
1.	कोटपूतली	कोटपूतली	जयपुर
2.	पूतली	कोटपूतली	जयपुर
3.	सुन्दरपुरा	कोटपूतली	जयपुर
4.	राहेडा	कोटपूतली	जयपुर
5.	कल्याणपुरा खुर्द	कोटपूतली	जयपुर
6.	कंवरपुरा	कोटपूतली	जयपुर
7.	गोरधनपुरा	कोटपूतली	जयपुर
8.	मोहनपुरा	कोटपूतली	जयपुर
9.	कांसली	कोटपूतली	जयपुर
10.	फतेहपुरा कलां	कोटपूतली	जयपुर
11.	सरुण्ड	कोटपूतली	जयपुर
12.	नारेहेडा	कोटपूतली	जयपुर
13.	भोजावास	कोटपूतली	जयपुर
14.	जगदीशपुरा	कोटपूतली	जयपुर
15.	श्याम नगर	कोटपूतली	जयपुर
16.	खेडा निहाल पुरा	कोटपूतली	जयपुर
17.	चान चकी	कोटपूतली	जयपुर
18.	रामसिंहपुरा	कोटपूतली	जयपुर
19.	गोपालपुरा	कोटपूतली	जयपुर
20.	बनका	कोटपूतली	जयपुर
21.	सांगटेडा	कोटपूतली	जयपुर
22.	खरकडी	कोटपूतली	जयपुर
23.	खेडकी मुक्कड	कोटपूतली	जयपुर
24.	शेखुपुर	कोटपूतली	जयपुर
25.	मोलाहेडा	कोटपूतली	जयपुर

26.	खेडकी वीरभान	कोटपूतली	जयपुर
27.	टापरी	कोटपूतली	जयपुर
28.	चतुर्भुज	कोटपूतली	जयपुर
29.	बामनवास	कोटपूतली	जयपुर
30.	गोपीपुरा	कोटपूतली	जयपुर
31.	हांसियावास	कोटपूतली	जयपुर
32.	नांगल पण्डितपुरा	कोटपूतली	जयपुर
33.	खुर्दी	कोटपूतली	जयपुर
34.	अमाई	कोटपूतली	जयपुर
35.	भालोजी	कोटपूतली	जयपुर
36.	बसई	कोटपूतली	जयपुर

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/12/4/2013—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

क्रम स.	राजस्व गाँव का नाम	तहसील का नाम	जिले का नाम
1	2	4	5
1.	चक श्यामसिंहवाला (रीको फेज-1)	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
2.	पतिखीया प्रथम, चक 13, LNP-II, (रीको फेज-2 और एग्रो फूड पार्क)	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/12/5/2013—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

क्रम स.	राजस्व गाँव का नाम	तहसील का नाम	जिले का नाम
1.	2	4	5
1.	खौरा बीसल	आमेर	जयपुर
2.	किशनपुरा	आमेर	जयपुर
3.	नांगल सीरस	आमेर	जयपुर
4.	बैनाड मय दौलतपुरा	आमेर	जयपुर
5.	शोभापुरा	आमेर	जयपुर
6.	हरदत्तपुरा	आमेर	जयपुर
7.	निवारू	जयपुर	जयपुर
8.	बायतावाला	जयपुर	जयपुर
9.	मन्शारामपुरा	जयपुर	जयपुर

10.	हरनाथपुरा	जयपुर	जयपुर
11.	गजधरपुरा	जयपुर	जयपुर
12.	चक बाड	जयपुर	जयपुर
13.	चम्पापुरा	जयपुर	जयपुर
14.	भूधरपुरा	जयपुर	जयपुर
15.	सरनाचौड	जयपुर	जयपुर
16.	सौचोती	जयपुर	जयपुर
17.	चक बोयतावाला	जयपुर	जयपुर
18.	चक बावडी	जयपुर	जयपुर
19.	चक सरना डूंगर	जयपुर	जयपुर
20.	बावडी	जयपुर	जयपुर
21.	बासडी	जयपुर	जयपुर
22.	लालचन्दपुरा	जयपुर	जयपुर
23.	सरनाडूंगर	जयपुर	जयपुर

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

दिनांक 23 जुलाई 2014

सं. एन-15/13/6/1/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

कोटद्वयम जिला के मीनच्चिल तालुक में काडनाड

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/2/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

कोटद्वयम जिला के मीनच्चिल तालुक में वेल्लिलप्पिल्ली

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/3/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

कोटद्वयम जिला के मीनच्चिल तालुक में तलप्पालम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/4/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

कोटद्वयम जिला के मीनच्चिल तालुक में कुरिच्चित्तानम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

दिनांक 24 जुलाई 2014

सं. एन-15/13/6/5/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

कोटद्वयम जिला के मीनच्चिल तालुक में रामपुरम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/6/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के कोडुंगल्लूर तालुक में कैपमंगलम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/7/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के कोडुंगल्लूर तालुक में चेंत्रप्पिन्नी

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/8/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के कोडुंगल्लूर तालुक में पेरिजनम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/9/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने

01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के मुकुन्दपुरम तालुक में एडतिरिजी

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/10/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के मुकुन्दपुरम तालुक में कारलम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

दिनांक 25 जुलाई 2014

सं. एन-15/13/6/11/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के मुकुन्दपुरम तालुक में मुप्पिलयम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/12/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के तृशूर तालुक में मनक्कोडी

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/13/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के तृशूर तालुक में मुलयम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/14/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने

01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के तृशूर तालुक में मनलूर

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/15/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तृशूर जिला के तृशूर तालुक में वेनगिणिशेरी

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

दिनांक 31 जुलाई 2014

सं. एन-15/13/6/16/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

पालक्काड जिला के चिदूर तालुक में तेक्केदेशम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/17/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

पालक्काड जिला के ओटटप्पालम तालुक में आनक्करा

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/18/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

मलप्पुरम जिला के पोन्नानी तालुक में कालडी

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/20/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

कोल्लम जिला के कोट्टारक्करा तालुक में चित्तारा

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तिरुवनंतपुरम जिला के नेडुमंगाड तालुक में वेल्लनाड

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/27/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तिरुवनंतपुरम जिला के नेडुमंगाड तालुक में अरुविककरा

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

दिनांक 7 अगस्त 2014

सं. एन-15/13/6/19/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

कोल्लम जिला के पुनलूर तालुक में तिकलकारिकम

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/6/28/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

तिरुवनंतपुरम जिला के नेय्याटिनकरा तालुक में मरुकिल

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/14/6/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	
कोयम्बतूर व तिरुप्पूर जिला सूलूर एवं पल्लडम तालुक सुल्तानपेट क्षेत्र	कोयम्बतूर जिला के सूलूर तालुक में 1. सुल्तानपेट 2. वडम्पचेरी 3. वरपट्टी 4. पुलियम्पट्टी तिरुप्पूर जिला के पल्लडम तालुक में

	5. सेलक्करचल 6. कमनायकेन्पालयम के अंतर्गत आनेवाले राजस्व गाँव
--	---

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

दिनांक 8 सितम्बर 2014

सं. एन-15/13/7/2/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

क्रम स.	राजस्व ग्राम का नाम	होबली	तालुक	जिला
1.	भूवनहल्ली	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
2.	उदयगिरी	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
3.	दौडासन्ने	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
4.	यार्तीगहल्ली	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
5.	अन्नेश्वर	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
6.	अर्सीनकुन्दे	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
7.	गंगापुट्टनहल्ली	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
8.	बेट्टाकोटे	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
9.	चिक्कनहल्ली	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
10.	मौलनहल्ली	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
11.	बेगूर	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
12.	करहल्ली	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
13.	हेग्नहल्ली	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
14.	अन्नेगटा	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
15.	सरदारहल्ली	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण
16.	देवनहल्ली टाउन	बैंगलूरु	देवनहल्ली	बैंगलूरु ग्रामीण

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/5/1/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा गुजरात कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1963 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ गुजरात राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

“गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद के तालुका सानंद के संपूर्ण राजस्व, नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत सीमाओं और सभी गाँवों में प्रवृत्त होंगे।”

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/14/9/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न राजस्व गाँव
कृष्णगिरि तालुक के होसूर एवं तेंगणिकोट्टै तालुक में हरिता (बेलगोण्डपळ्ळि) (बेलगोण्डपल्लि)	1. पूणपळ्ळि (पूणपल्लि) 2. बेलगोण्डपळ्ळि (बेलगोण्डपल्लि) 3. कलुगोण्डपळ्ळि (कलुगोण्डपल्लि) 4. पेरियमधगोण्डपळ्ळि (पेरियमधगोण्डपल्लि)

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/14/10/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न राजस्व गाँव
शूलगिरि क्षेत्र होसूर तालुक में कृष्णगिरि जिला	1. अड्डगारिकि 2. कामनधोड्डी 3. मरुधाण्डपळ्ळी (मरुधाण्डपल्ली) 4. नल्लगनकोथपळ्ळी (नल्लगनकोथपल्ली) 5. शूलगिरि 6. त्यागरासनपळ्ळी (त्यागरासनल्ली)

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/14/8/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न राजस्व गाँव
कांगेयम तिरुप्पूर	1. कांगेयम 2. कदंगनी 3. गणपतिपालयम 4. पडियूर 5. शिवनमलै 6. तामरेट्टिपालयम 7. आंबाडी

	8. वीरणम्पालयम 9. वट्टमलै 10. कडयूर 11. अरतोलुवु 12. संपंतम्पालयम 13. नेलाली 14. उदियूर 15. नलरोड 16. परनसेरवषि 17. नाथकडियूर 18. पलयकोट्टै 19. मुत्तूर 20. चित्र मुत्तूर आदि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्व गाँव
--	--

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

सं. एन-15/13/14/7/2014—यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2014 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न राजस्व गाँव
रामनाथपुरम जिले के परमकुडी एवं रामनाथपुरम तालुक में रामनाथपुरम केन्द्र	रामनाथपुरम तालुक के 1. रामनाथपुरम नगरपालिका सीमा 2. कूरियूर 3. पट्टिपम कात्तान 4. सक्कर कोट्टय 5. अच्चुदन वयल 6. पुल्लंगुडि 7. वालान्दरवै 8. कषुकूरणी 9. कुयवनकुडि 10. लान्दै परमकुडी तालुक के 11. पोगळूर (पोगलूर) 12. सेय्यालूर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्व गाँव

मुहम्मद इरफान
सयुक्त निदेशक (यो. एवं. वि.)

दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब,

अजमेर

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2010-11

मेरा सौभाग्य है कि मैं दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के प्रशासन पर अपने कार्यकाल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2010-11 प्रस्तुत कर रहा हूँ। दरगाह प्रशासन ने प्रत्येक वर्ष की भौति इस वर्ष भी कार्य किया। इन कार्यों की रिपोर्ट आगे पृष्ठों पर अंकित की गई है।

I. प्रबंधन

भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन संख्या: एस.ओ.1456(ई) दिनांक 24.08.2007 के द्वारा निम्न व्यक्तियों को दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर का सदस्य नियुक्त किया, जिन्होंने कमेटी की तरफ से जायरीन की सेवार्थ अपनी सेवाये समर्पित की।

- | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|
| i. | जनाब नवाब मोहम्मद अब्दुल अली साहब, | चेन्ई । |
| ii. | जनाब हाजी हाफिज वकील अहमद साहब, | सुलतानपुर । |
| iii. | जनाब मोहम्मद इलियास कादरी साहब | अजमेर । |
| iv. | जनाब प्रोफेसर (डॉ) इब्राहीम साहब, | दिल्ली । |
| v. | जनाब प्रोफेसर सोहेल अहमद खान साहब, | पटना । |
| vi. | जनाब ए.एच. खान चौधरी साहब, | दिल्ली । |
| vii. | जनाब एम.एस.एम तिरमीजी, | अहमदाबाद । |
| viii. | जनाब बदरुददीन जी शेख साहब, | अहमदाबाद । |
| ix. | जनाब घोले इस्माईल मुअल्लिम साहब, | रायगढ़ । |

जनाब ए.एच.खान चौधरी, सांसद और जनाब बदरुददीन शेख वर्ष 2010-11 के लिये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने गये। जनाब अहमद रजा नाजिम दरगाह ने अपना कार्यकाल खत्म होने के कारण दिनांक 01.02.2011 को जनाब एम.ए. ईमाम, डिप्टी सेक्रेटरी भारत सरकार को नाजिम का प्रभार सौंपा। मैंने नाजिम दरगाह का कार्यभार दिनांक 03.03.2011 को ग्रहण किया।

II. दरगाह कमेटी अजमेर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण।

1. मज़ार मुबारक पर रोज़ाना फूल, संदल एवं मोमबत्तियाँ पेश करना।
2. वार्षिक उर्स का प्रबंधन।
3. अंदरुन दरगाह शरीफ में मुहर्रम शरीफ का इंतजाम और चिल्ला हजरत बाबा फरीद (र.अ.) को खुलवाना।
4. खुल्फा-ए-राशेदीन और बुजुर्गाने दीन की फातिहा कराना।
5. माहे रमजान में प्रतिदिन खास लंगर के जरिये सहर और अफतार का प्रबंध।
6. दीनी तालीम के लिये दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का संचालन।
7. सी.बी.एस.ई., द्वारा मान्यता प्राप्त ख्वाजा मॉडल स्कूल का संचालन (अग्रेजी माध्यम) की स्कूल जिसमे धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है।
8. गरीब नवाज कम्प्यूटर सेन्टर का प्रबंधन।
9. बेवाओं और जरूरतमंदों को वजीफा।
10. तीन अलग अलग दवाखाने, यूनानी, होम्योपैथिक एवं ऐलोपैथिक दवाखानों का संचालन। निःशुल्क मेडीकल सलाह के अतिरिक्त निःशुल्क दवाईयों का भी वितरण।
11. मेडीकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी छात्रों को कोर्सेस के लिये छात्रवृत्ति।
12. ईदगाह का प्रबंधन एवं अन्य मस्जिदों को वित्तीय सहायता।
13. लावारिस मय्यतो का निःशुल्क कफन दफन।
14. दरगाह में स्वच्छ ट्रिपल फिल्टर्ड पीने के पानी का इंतजाम।
15. वजू के लिये साफ पानी का इंतजाम। सर्दी के मौसम में तीन मर्तबा गर्म पानी की सप्लाई।
16. निर्बाध विद्युत सप्लाई।

17. 180 कमरो के गेस्ट हाउस का प्रबंधन ।
18. 24 घंटे सफाई की व्यवस्था ।
19. उर्स एवं अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान शामियानों का इंतजाम ताकि जायरीन को धूप, गर्मी, बारिश एवं सर्दी से बचाया जा सके ।
20. मोरुसी अमले को तनखाह (हकूक) की अदायेगी ।
21. राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम ।
22. सोसायटी के कमजोर तबके के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन ।
23. राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्व विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना ।
24. अग्रेंजी माध्यम बोलचाल की निःशुल्क कक्षाये लगाना ।
25. सुरक्षा हेतु एक्सरे बैगज स्कैनिंग मशीन एवं सी.सी.टी.वी. कैमरे उपलब्ध कराना ।
26. दरगाह एण्डोवमेंट एवं जायदादों का संरक्षण एवं पीरीयडीकल मरम्मत वगैरह कराना ।

III. वर्ष 2010–2011 की उपलब्धियाँ ।

ए. सुविधायें:—

- दरगाह में स्वच्छ ट्रिपल फिल्टर्ड पीने के पानी का इंतजाम, जनरेटरो द्वारा निर्बाध विद्युत सप्लाई, ठहरने एवं सफाई का विशेष प्रबंध ।
- विश्राम स्थली (गरीब नवाज़ मेहमान खाना) का विकास जिसमें एक लाख जायरीन ठहर सकते हैं एवं 6000 बसों को पार्क किया जा सकता है ।
- सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट ।
- झालरा जल योजना, जिससे कि प्रतिदिन 4.75 लाख लीटर शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है ।
- सर्दी में गर्म और गर्मी में ठण्डे पानी का इंतजाम ।
- फ्लोर क्लीन मशीन द्वारा फर्श की सफाई ।
- आरामगाह और नज़ूर सेक्शन का कम्प्यूटराईजेशन ।

बी. जायदादों का विकास:—

- दरगाह जायदादों के संरक्षण के लिये निति निर्धारण करना ।
- कानूनी मामलात में 99 % कामयाबी, करोड़ों रुपये की लापता दरगाह सम्पत्तियों का पता लगाना ।
- अनाधिकृत कब्जेधारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही ।

सी. शिक्षा एवं अन्य अकादमिक गतिविधियाँ:—

- ख्वाजा मॉडल स्कूल, कम्प्यूटर सेन्टर एवं दारुल उलूम का अपग्रेडेशन और उसके मूलभूत अकादमिक ढाँचे का विकास ।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित आर.ए.एस., आर.जे.एस., पटवारी, सेक्रेटेरियट स्टाफ एवं कम्प्यूटर परीक्षाओं को आयोजित कराना ।
- राष्ट्रीय एकता पर सेमिनार एवं कान्फ़ेन्स कराना ।
- विधिक साक्षरता शिविर लगाना ।
- सैकण्डरी स्तर की अग्रेंजी माध्यम की स्कूल के लिये 24 बड़े कमरों का निर्माण ।
- अल्पसंख्यक स्कूल के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।
- छात्र, छात्राओं एवं अध्यापकों के लिये शैक्षणिक भ्रमण ।

डी. वित्त:-

- आय में बढ़ोतरी ।
- एफ.डी.आर में 70 लाख से 2.20 करोड़ की बढ़ोतरी ।
- अकाउण्ट सेक्शन का कम्प्यूटरीकरण ।

ई. पब्लिसिटी:-

- दरगाह कमेटी का वेबसाइट / बुकलेट एवं इन्टरव्यू के जरिये प्रचार करना ।

एफ. सुरक्षा:-

- एक्स-रे-बेगेज स्कैनिंग मशीन को लगाना ।
- दरगाह परिसर की कुछ दीवारों को ऊँचा कराना ।
- सुरक्षा के लिये सिव्यूरीटी गार्ड्स, केमरे, वायरिंग, कम्प्यूटर्स, एल.सी.डी., जेनेरेटर, फर्नीचर आदि का प्रावधान ।
- फलड लाइट्स का लगाना ।
- अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था कराना ।

जी. उर्स एवं धार्मिक रसूमात:-

- उर्स, मिनी उर्स का सफलतापूर्वक संचालन करना ।

IV. कल्याण एवं सखावत के कार्य:-

- आजमीन हज को सेंवाये देना ।
- जरूरतमंद एवं जहीन छात्रों को वित्तीय सहायता देना ।
- तीन दवाखानों के जरिये लाखों जायरीन का ईलाज किया गया ।
- उर्स के दौरान विधिक एवं वेलेफेयर सेल के द्वारा जायरीन की समस्याओं का निवारण ।
- विधवाओं को वजीफा (पेन्शन) ।
- 750 गरीब रोजेदार व्यक्तियों को रमजान माह में निःशुल्क खाना, अफतार का प्रबन्ध करना । ऐतेकाफ ओर तरावीह का इंतजाम ।
- रोजाना लंगर की व्यवस्था ।
- अस्थाई एवं फिक्स पे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना ।

V. उर्स एवं अन्य रसूमात का प्रबंधन:-

798 वॉ उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ (र.अ.) जून 2010 में सम्पन्न हुआ जिसमें 5 लाख जायरीन ने शिरकत की । उर्स दुर्घटना रहित सम्पन्न हुआ एवं जायरीन को सभी सहूलियात दी गई । राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी के द्वारा किये गये इंतजामात को सराहा गया । कई गणमान्य व्यक्तियों ने ख्वाजा साहब को अकीदत के फूल पेश किये ।

दरगाह कमेटी द्वारा मुहर्रम (मिनी उर्स) के प्रबंध भी किये गये । दरगाह कमेटी जिला प्रशासन अजमेर, पुलिस, गुप्तचर सुरक्षा एजेंसियों एवं स्थानीय निकाय द्वारा सहयोग का हार्दिक आभारी है ।

VI. प्रोजेक्ट्स:-

अ. ख्वाजा मॉडल सेकण्डरी स्कूल :-

1. प्रस्तावना:-

ख्वाजा मॉडल सैकण्डरी स्कूल की नींव 14 जुलाई 1994 को दरगाह कमेटी के संचालन में रखी गई । यह स्कूल एक अग्रेजी माध्यम का स्कूल था जिसकी विधिवत शुरुआत के समय में 35 विद्यार्थी थे जबकि आज 752 विद्यार्थी हैं । इस स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ मस्तिष्क के विकास पर ध्यान दिया जाता है । एक प्राईमरी स्कूल होने के नाते यह एक खूबसूरत 5 बीघा क्षेत्र में फेला हुआ है । वर्ष 2007 एवं इसके बाद स्कूल बिल्डिंग का विकास, इन्फ्रा स्ट्रक्चर का विकास एवं कई क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के शैक्षिक स्तर के विकास पर ध्यान दिया जाता है ।

2. ध्येय एवं उद्देश्यः—

अकादमिक में विशेषता, अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों, खेल, स्पोर्ट एवं ज्ञान के जरिये छात्रों के चरित्र का निर्माण क्योंकि हमारे यहाँ सूफीवाद का चलन है एवं सूफी सर्वधर्म के सिद्धान्तों को मानता है ।

3. स्कूल को क्रमोन्नत कराना :—

वर्ष 1994 से स्कूल आठवी कक्षा तक था जिसे कि वर्ष 2008 में कक्षा दस तक क्रमोन्नत कर दिया गया ।

4. अनुभवी एवं प्रशिक्षित टीचिंग स्टाफ :—

सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली द्वारा कक्षा 10 तक की मान्यता मिलने के बाद अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति प्रोफेसर जामिया मिल्लिया, मुम्बई एवं राजस्थान के विशेषज्ञों द्वारा की गई ।

5. मुलभूत विकास एवं विस्तार प्लान :—

- वर्ष 2007 में स्कूल भवन में मात्र 6 कक्षा कक्ष थे जिनका एरिया 5100 वर्गफुट था ।
- दरगाह कमेटी ने एक डोनर की सहायता से स्कूल भवन के विस्तार की योजना को लागू किया जिसके तहत 26 अदद कमरों का और निर्माण किया जा रहा है ।
- कुल 36 अदद कमरे जिसका एरिया 30600 वर्ग फीट है ।
- इसके अतिरिक्त स्कूल भवन के पास ही छात्राओं के लिये छात्रावास सुविधा हेतु अपार्टमेंट को खाली कराया गया है ।
- उक्त विस्तार योजना टर्न की बेसिस पर है एवं इस पर लगभग 1.10 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है जिसे कि दानादाता वहन कर रहा है ।
- स्कूल भवन 15.05.2011 को पूर्ण होने की संभावना है ।

6. सहायता:—

स्कूल निम्नलिखित गतिविधियों को सहायता दे रही है ।

- राज्य एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे कि आर.ए.एस., आर.जे.एस., पटवारी, सेक्रेटेरियेट परीक्षाएँ एवं कम्प्यूटर परीक्षाओं का कराने का प्रबंध कराना ।
- राष्ट्रीय एकता पर सेमीनार / कान्फ्रेंस कराना ।
- अध्यापकों एवं छात्र / छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था ।

7. फीस में रियायत:—

- विद्यालय में फीस नाम मात्र की ली जा रही है जो कि अजमेर की कान्वेन्ट एवं अन्य स्कूलों की तुलना में एक तिहाई कम है ।
- दरगाह कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख रुपये की सहायता स्कूल को दी जाती है ।
- विद्यालय की फीस को कम रखने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि गरीब वर्ग के बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित न रहें ।

बी. विश्राम स्थली कायड — अजमेर ।

- राष्ट्रीय राजमार्ग न.8 अजमेर जयपुर रोड हाईवे पर दरगाह शरीफ अजमेर से 10 कि.मी दूरी पर स्थित है ।
- 230 बीघा क्षेत्र में फैली हुई है जिसमे 80 बीघा दरगाह कमेटी की एवं 150 बीघा राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित की गई भूमि है ।
- भारत सरकार द्वारा वित्तिय पोषित प्लान:—

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार	01.87 करोड़
जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत	15.38 करोड़
कुल रकम	17.25 करोड़
- कार्यकारी एजेन्सी सी.पी.डब्ल्यू.डी.

- यह वार्षिक उर्स के दौरान 18 दिवस के लिये उपयोग में आयेगी ।
- योजनाएँ :-
- 112 अदद डोरमेट्रीज का निर्माण जिसमें लगभग एक लाख बारह हजार जायरीन ठहर सकेंगे ।
- पार्किंग की सुविधा लगभग 6000 बसों के लिये ।
- मुलभूत सुविधायें जैसे कि सुरक्षा, ट्रासपोर्ट, स्वास्थ्य, विद्युत, जल, रोडवेज एवं रेल बुकिंग सुविधा ।
- जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर खाने के पकेट्स का वितरण ।
- पार्क एवं वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण ।

सी. सौर ऊर्जा पलान्ट एवं दरगाह परिसर के लिये उपकरण :-

सतत प्रयास के परिणामस्वरूप नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने दरगाह को केन्द्रीय सहायता स्वरूप 50 लाख रुपये सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु मंजूर किये । नाजिम के द्वारा सर्वे कराया गया एवं संबंधित मंत्रालय एवं एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर परियोजना को लागू करने के लिये भेजी गई । मार्च 2011 से सौर ऊर्जा पलान्ट ने कार्य करना शुरू कर दिया है । यह एक बहुत ही खास परियोजना है जिसकी वजह से दरगाह शरीफ के 1/3 बिजली के खर्च में कटौती हो जायेगी यानि कि 12 लाख प्रतिवर्ष की बचत होगी ।

डी. दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया :

दरगाह कमेटी की सफलता के साथ दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का (जो कि एक धार्मिक स्कूल है ख्वाजा गरीब नवाज (र.अ.) की शिक्षाओं का प्रचार कर रहा है) संचालन कर रही है । दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया में उच्चस्तरीय पाँच आलिम, फाजिल, कामिल, हाफिज, कारी एवं लाईब्रेरियन हैं इस समय दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया में 60 छात्र कक्षा ऐदादिया, ऊला, सानिया, राबिया, तेहतानिया ओर हिफज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । कमेटी ने 60 छात्रों के लिये भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था की है । इस ओर प्रयास जारी है कि दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का अलग से भवन हो जिसमें सभी मूलभूत सुविधायें छात्रों को उपलब्ध रहें ।

ई. वित्त:

निम्नलिखित सारणी दरगाह समिति की आय एवं खर्च की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करती है ।

दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।			
बजट प्रस्ताव			
मुख्य हेड	आय रुपये (लाख में)		
	2010-11		2011-12
	Estimated Budget	Income for 2010-11	Budget Estimates 2011-12
जागीरो से आय	2.59	3.09	3.24
जायदादों से किराया	44.53	49.77	50.13
दान एवं नजूर	146.85	178.79	190.10
आरामगाह से आय	14.00	13.93	17.00
शिक्षा	121.00	165.69	171.50
दान	25.50	30.48	35.00
विविध	42.00	1.20	27.00
बैंक से प्राप्त आय	11.00	11.82	13.00
योग	407.47	454.77	506.97

दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर । बजट प्रस्ताव			
मुख्य हेड	खर्च रुपयों (लाख में)		
	2010-11		2011-12
	Estimated Budget	Income for 2010-11	Budget Estimates 2011-12
वेतन एवं भत्ते	160.00	178.51	214.03
कार्यालय के खर्च	29.00	21.72	33.25
दरगाह शरीफ के खर्च	88.95	78.22	102.25
मजार शरीफ के खर्च	10.44	11.31	12.50
चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च	1.95	1.46	2.20
दारुल उलूम खर्च	4.95	4.84	5.45
कल्याणकारी एवं अन्य खर्च	18.10	17.36	22.90
आरामगाह के खर्च	27.30	29.09	32.50
दरगाह अपार्टमेंट के खर्च	2.10	3.54	3.20
मरम्मत एवं नवीनीकरण	3.00	3.54	4.00
शिक्षा पर खर्च	3.50	3.16	4.00
ख्वाजा मॉडल स्कूल के खर्च	11.30	16.14	24.85
कम्प्यूटर सेन्टर के खर्च	4.50	3.30	4.50
केपिटल खर्च	10.00	4.61	12.00
विविध खर्च	1.95	2.45	2.10
कुल योग	377.04	377.25	479.73

जी. दरगाह कमेटी की बैठके :

वर्ष के दौरान दरगाह कमेटी की 4 बैठकें दरगाह के मामलात के संबंध में आयोजित हुईं ।

एच. वी.वी.आई.पी. एवं वी.आई.पी. का आगमन :-

निम्नलिखित अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने दरगाह शरीफ की जियारत की जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है ।

1. श्री ए.पी.जे.अबुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, भारत सरकार ।
2. श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
3. श्री फारुख अब्दुल्ला साहब, माननीय सौर ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार ।
4. श्रीमती पान्ना लक्ष्मी, माननीय टैक्सट्राईल मंत्री, भारत सरकार ।
5. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, माननीय कोयला मंत्री, भारत सरकार ।
6. श्री सुलतान अहमद साहब, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री, भारत सरकार ।
7. श्री विलास राव देशमुख, माननीय पंचायत राज मंत्री, भारत सरकार ।
8. श्री दिग्विजय सिंह, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ।

आई. धन्यवाद

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तमाम दरगाह कमेटी के सदस्यों का मैं आभारी हूँ जिनके दिये गये मार्गदर्शन से दरगाह शरीफ का प्रबंधन सुचारु रूप से हो पाया । दरगाह कमेटी के सहयोग के परिणाम स्वरूप प्रति दिन एवं उर्स एवं मुख्य दरगाह शरीफ की रसूमात का प्रबंधन बिना किसी व्यवधान के हुआ ।

मैं अपने कर्तव्यों में असफल रहता यदि मुझे अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन अजमेर, पुलिस विभाग, नगर परिषद, विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों से निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता । इनके सहयोग से दरगाह प्रशासन में गुणवत्ता आई ।

मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ कि हमारे लिये आने वाला वर्ष भी चुनौतीपूर्ण होगा ।

अब्दुल मजीद खान
नाजिम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब,
अजमेर

वर्ष 2011-12 के लिए दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा
प्रतिवेदन का हिन्दी रूपान्तरण ।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

हमने दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के 31 मार्च 2011 की स्थिति दर्शाने वाले, संलग्न तुलन-पत्र और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्यशक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के साथ पठित दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत कर ली है। यह लेखापरीक्षा वर्ष 2008-09 से 5 वर्षों की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में दरगाह ख्वाजा साहब की समस्त इकाईयों के लेखे शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व दरगाह ख्वाजा साहब के प्रबन्धन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के सम्बंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो तो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त है, लेखा परीक्षा योजना बनाते हैं और उसे करते हैं। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में प्रकटन और राशियों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों की नमूना आधार पर जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समस्त प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

- (i) हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
- (ii) इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत के महानियंत्रक लेखा द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारी राय में संधारित लेखाओं की समुचित बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रकट होता है, दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर द्वारा संधारित किए गए हैं जैसा कि दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 की धारा 20(2)(डी) के अंतर्गत अपेक्षित है।
- (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

लेखों पर टिप्पणियां

क- तुलन पत्र

क-1 चल आस्तियों पर मूल्य हास निधि ₹ 44.88 लाख।

वर्ष 2010-11 तक चल आस्तियों पर भारित मूल्य द्वारा ₹ 44.88 लाख था, किंतु आय एवं व्यय लेखों में यह राशि भारित नहीं की गई। इसका परिणाम स्थायी आस्तियों का ₹ 44.88 लाख से आधिक्य और इस सीमा तक अधिशेष को अधिक बताने में हुआ।

यह उत्तर दिया गया कि दरगाह ख्वाजा साहब एक पुण्यार्थ संस्था/न्यास है एवं मूल्य हास आय के प्रयोजन के रूप में अनुमत्य नहीं है।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि यह लेखाओं के विहित प्रारूप के अनुसार नहीं है।

क-2 आस्तियां

क-2-1 पूर्ण स्वामित्व भूमि पर भवन ₹ 1328.81 लाख।

इसमें 16.09.2010 को उपहार में प्राप्त ₹ 16.00 लाख मूल्य के घर की कीमत (दाता एवं घर के मालिक के बीच निष्पादित विक्रय दस्तावेज अनुसार) शामिल नहीं है।

यह स्थिर आस्तियों के साथ साथ पूंजी निधि के ₹ 16.00 लाख राशि के कम बताए जाने में परिणामित हुआ।

क-2-2 (I) स्थायी आस्तियां पूर्ण स्वामित्व भूमि ₹ 41.88 लाख।

प्रबंधन ने 11.04.2009 को कोटा जिले में खतौली, देवनिमरियां एवं झोपडिया में स्थित तीन भूमि खण्ड कब्जे में लिए, इस भूमि की कुल कीमत, डी.एल.सी. दर से ₹ 19.65 लाख की बजाय ₹ 22.65 लाख मूल्यांकित की गई। इसका परिणाम स्थायी आस्तियों तथा पूंजी निधि के ₹ 3.00 लाख आधिक्य में हुआ।

इस प्रकार की टिप्पणी वर्ष 2009-10 में की गई थी, किन्तु कोई सुधार नहीं किया गया था।

क-2-2(II) दरगाह कमेटी ने दरगाह मुख्य भवन ₹ 2.32 लाख एवं सिविल लाइन्स के स्कूल भवन पर ₹ 1.59 लाख कुल योग ₹ 3.91 लाख के निर्माण कार्य पूर्ण करवाए, जबकि इन्हें अचल सम्पत्तियों में ₹ 0.91 लाख दर्शाया गया। इसकी परिणिति स्थाई आस्तियों तथा पूंजी निधि को ₹ 3.00 लाख की सीमा तक न्यून दर्शाने में हुई।

क-2-3 चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि ₹ 86.74 लाख।

इसमें पिछले वर्ष में अजमेर विद्युत वितरण निगम लि० को अग्रिम जमा राशि ₹ 0.81 लाख शामिल हैं यह राशि माह अप्रैल 2010 के विद्युत बिल के समायोजन द्वारा प्राप्त की गई कम्पनी द्वारा वास्तविक उपभोग ₹ 1.25 लाख के स्थान पर ₹ 0.44 लाख का बिल बनाया गया था।

दरगाह ख्वाजा साहब ने माह अप्रैल 2010 के विद्युत व्यय में ₹ 0.44 लाख लेखांकित किए थे। इसकी परिणिति चालू आस्तियों ऋण एवं अग्रिम के साथ साथ अधिशेष को ₹ 0.81 लाख से अधिक बताने में हुई।

प्रबन्धन में उत्तर दिया कि परिशोधन अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

ख- आय एवं व्यय लेखा

ख-1 व्यय ₹ 4.30 करोड़

ख-1-1 दरगाह ख्वाजा साहब सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान करने हेतु दायी है तथापि प्रोदभूत उपादान एवं अवकाश नकदीकरण का प्रावधान लेखाओं में नहीं रखा गया। यह अधिशेष को अधिक बताए जाने के साथ साथ पूंजी निधि को अधिक बताए जाने में परिणामित हुआ। राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका था।

वर्ष 2009-10 में समान टिप्पणी की गई थी, किन्तु परिशोधन नहीं किया गया था।

ख-1-2 वर्ष 2009-10 के दौरान दरगाह अतिथि गृह की प्राप्ति में से अतिथि गृह के स्वागतकर्ता द्वारा ₹ 5.68 लाख का गबन किया गया था जिसकी दरगाह प्राधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। दरगाह के तुलन-पत्र में टिप्पणी के रूप में वसूली योग्य राशि को नहीं दर्शाया गया।

गत वर्ष समान टिप्पणी की गई थी, किन्तु परिशोधन नहीं किया गया था।

ग- सामान्य

1. यह अतिथि गृह से प्राप्त किराया आय एवं सम्पत्तियों से प्राप्त किराये की आय से सम्बन्धित है जिन्हें उपशीर्ष "विविध आय" के अन्तर्गत लेखांकित किया जाना चाहिए। यह उप शीर्ष के गलत वर्गीकरण में परिणामित हुआ।

2. किराये की जमा एवं अग्रिम प्राप्त किराया ₹ 11.59 लाख (अनुसूची-एम) में किरायेदारों से प्राप्त तीन माह के किराये के बराबर जमानत राशि ₹ 11.59 लाख शामिल है जो कि जमानत जमा के अंतर्गत लेखांकित होनी चाहिए थी, यह शीर्ष के गलत वर्गीकरण में परिणामित हुआ।

घ- लेखाओं पर लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव:-

पूर्ववर्ती पैराओं में दी गई टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह हुआ है कि 31 मार्च 2011 को दायित्व ₹ 16.00 लाख से कम बताए गए एवं आस्तियों रु. 29.69 लाख से अधिक दर्शायी गयी तथा अधिशेष ₹ 45.69 लाख से अधिक बताए गए।

च- प्रबन्धन-पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियाँ उपचारी/ सुधारात्मक कार्यवाही के लिए पृथक रूप से जारी प्रबन्धन पत्र के माध्य से प्रबन्धन के ध्यान में लाई गई हैं।

(v)- पिछले पैराग्राफों में हमारे प्रेक्षकों के अध्यक्षीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहारित किए गए तुलन-पत्र / आय एवं व्यय लेखा / प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखाबहियों के अनुरूप है।

(vi)- हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबन्ध 1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यक्षीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:-

क- जहां तक यह 31 मार्च 2011 को दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के कार्यों के तुलन-पत्र से सम्बंधित है।

ख- जहां तक यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से सम्बंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए

स्थान: जयपुर

दिनांक: 17.09.2012

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) अहमदाबाद
शाखा कार्यालय: राजस्थान जयपुर

वर्ष 2011-12 के लिए दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन का अनुबन्ध-1

1. आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता
दरगाह में प्रचलित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है। सनदी लेखाकार द्वारा केवल अंतिम लेखे तैयार किये गए।
2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली
दरगाह में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का लेखापरीक्षा के दौरान मूल्यांकन किये जाने पर निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:-
 - वहां नकद, स्टॉक एवं मूल्यांकन इत्यादि के कर्मचारियों के नियोजन में क्रमावर्तन की कोई योजना नहीं है।
 - अतिथि गृह पंजिका का उचित रूप से संधारण नहीं किया गया था।
 - किसी प्राधिकारी द्वारा आगन्तुक पंजिका का पर्यवेक्षण नहीं किया गया।
 - रसीद पुस्तकों के स्टॉक पंजिका की जांच प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से नहीं की गई।
 - रोकडिया/उप रोकडिया से विश्वस्तता बंध पत्र प्राप्त नहीं किया गया।
3. वहां कोई लेखा नियम पुस्तक प्रचलन में नहीं है।
4. भौतिक सत्यापन-
 - (i) भूमि पंजिका का संधारण नहीं किया गया था।
 - (ii) सम्पत्ति पंजिका को उचित रूप से अद्यतन नहीं किया गया था, इस पंजिका के अंकों का लेखाओं से मिलान नहीं हुआ था।
 - (iii) स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और इसकी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं थी।
5. दरगाह ख्वाजा साहब वैधानिक देयताओं का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है।
6. खादिमों एवं उनके परिवार के सदस्यों के ब्यौरे को दर्शाए जाने सम्बन्धी पंजिका का संधारण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा अधिकारी
के.प्रा.ले.प.॥ (व्यय)

निवल प्रभाव का विवरण वर्ष 2010-11
(दरगाह ख्वाजा साहब 2010-11)

(रु. लाख में)

क्र.सं.सं.	टिप्पणी संख्या	दायित्व		आस्तियां		अधिशेष	
		अधिक बताए गए	कम बताए गए	अधिक बताए गए	कम बताए गए	अधिक बताए गए	कम बताए गए
1.	क 1.1	—	—	44.88	—	44.88	—
2.	क 2.1	—	16.00	—	16.00	—	—
3.	क 2.2(I)	3.00	—	3.00	—	—	—
4.	क 2.2(II)	—	3.00	—	3.00	—	—
5.	क 2.3	—	—	0.81	—	0.81	—
	योग	3.00	19.00	48.69	19.00	45.69	—
अधिशेष अधिक बताए गए		—₹ 45.69 लाख					
घटाएं दायित्व कम बताए गए		—₹ 16.00 लाख					
आस्तियां अधिक बताए गये		—₹ 29.69 लाख					

लेखापरीक्षा अधिकारी
के.प्रा.ले.प. ॥ (व्यय)

भारतीय बीमांकन संस्थान

बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 13 के अधीन 28 अगस्त 2014 को होनेवाली आठवीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए सूचना सेवा में

संस्थान के सभी सदस्य

बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 13 के अंतर्गत संस्थान की वार्षिक साधारण बैठक इस प्रकार होगी :

दिनांक	28 अगस्त 2014
समय	शाम 4.00 से 5.00 बजे
स्थान	भारतीय बीमांकन संस्थान, जी एस दीवान कक्ष, 302, इंडियन ग्लोब चैम्बर्स, 142, फोर्ट स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400 001

कार्यसूची की मदें :

कार्यसूची 1 :

निम्नलिखित सदस्यों के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए दो मिनट का मौन रखना। इस संबंध में संस्थान को सूचना 21 सितंबर 2013 को अंतिम वार्षिक साधारण बैठक के बाद प्राप्त हुई थी :

क्रमांक	नाम एवं सदस्यता संख्या	सह/फेलो	देहांत की तारीख
1	आर वी जोशी	फेलो	27 मार्च 2014
2	एम एस वैकटरामन	फेलो	02 मई 2014

कार्यसूची 2 :

21 सितंबर 2013 को हुई वार्षिक साधारण बैठक के कार्यवृत्त को दर्ज करना।

कार्यसूची 3 :

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद की आठवीं रिपोर्ट पर विचार कर उसे स्वीकार करना।

कार्यसूची 4 :

01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए लेखापरीक्षित लेखों पर विचार कर उसे स्वीकार करना।

कार्यसूची 5 :

परिषद के 2014 के चुनाव -परिणाम को दर्ज करना ।

टिप्पणी : इस बारे में सदस्यों को सूचना ई-मेल से तथा जिनके पास ई-मेल आइ डी नहीं है उन्हें डाक से सूचना भेजी गई है और इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया है। कार्यसूची की टिप्पणियां अलग से भेजी/प्रदान की जा रही हैं।

ह./-

राजेश डालमिया

मानद सचिव

7वीं वार्षिक साधारण बैठक का कार्यवृत्त

बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 13 के अनुसार संस्थान की वार्षिक साधारण बैठक इस प्रकार हुई :

दिनांक	21 सितंबर 2013
समय	शाम 2.00 से 3.00 बजे
स्थान	आइ ए आइ कार्यालय, जी एस दीवान कक्ष

कोरम (गणपूर्ति) की अपेक्षा को ध्यान में रखकर यह बैठक 5.00 बजे तक स्थगित की गई और उसी स्थान पर उक्त बैठक पुनः आयोजित की गई जिसके लिए कोई कोरम अपेक्षित नहीं था।

उपस्थित सदस्य

1. श्री एम करुणानिधि
2. श्री के एस गोपालकृष्णन
3. श्री साकेत सिंघल
4. श्री दिलीप चक्रवर्ती
5. श्री ए आर प्रभू
6. श्री चंदन खासनोबिस
7. सुश्री एन कल्पना
8. श्री विनोद कुमार

उपस्थित स्टाफ

1. श्री आर बी एल वैश
2. श्री गुरुराज नायक
3. श्री रवि मस्तेकर
4. श्री योगेश पंडित

अध्यक्ष, श्री एम करुणानिधि ने बैठक की अध्यक्षता की।

कार्यसूची 1 : निम्नलिखित सदस्यों के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया :

क्रमांक	नाम एवं सदस्यता संख्या	सह/फेलो	देहांत की तारीख
1)	श्री आर के चंडक (29)	फेलो	26-08-2012
2)	श्री डी आर अय्यर (78)	फेलो	14-01-2013
3)	श्री आर के दारूवाला (16645)	फेलो	08-05-2013

कार्यसूची 2 : 08 सितंबर 2012 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित करना।

कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची 3 : 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद की सातवीं रिपोर्ट पर विचार कर उसे स्वीकार करना।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद की सातवीं रिपोर्ट अध्यक्ष ने प्रस्तुत की।

उन्होंने बताया कि संस्थान के शासन का स्वरूप विगत कुछ वर्षों से भलीभांति आकार ले चुका है। उन्होंने उस छात्र समर्थन स्कीम के बारे में भी सूचित किया जो, अन्यो के साथ-साथ, आइ ए आइ की सामाजिक जिम्मेदारी की ही एक प्रकार से अभिव्यक्ति है और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इसका उद्देश्य आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। इस स्कीम का उद्देश्य आइ ए आइ के उन छात्र सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो बीमांकक बनने की क्षमता तो रखते हैं, किंतु परीक्षाओं की तैयारी करने में वित्तीय संसाधन जुटाने में वे अन्यथा कठिनाई का अनुभव करते हैं।

अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि सदस्य सेवा प्रदान करने की प्रणाली, परीक्षा पंजीयन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी रहेगा और भुगतान को ऑन लाइन कर दिया गया है। हमने इस बात के प्रयास भी किए हैं कि सदस्य स्तर पर ऑन लाइन लॉगिंग की जाए और सी पी डी क्रेडिटों की ट्रेकिंग की जाए।

इस संकल्प का प्रस्ताव श्री विनोद कुमार ने और इसका समर्थन श्री साकेत सिंघल ने किया।

इसके बाद 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की परिषद की सातवीं रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई।

कार्यसूची 4: 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए लेखा परीक्षित लेखों पर विचारकर उन्हें स्वीकार करना।

अध्यक्ष ने संस्थान के वित्त के बारे में सदस्यों को संक्षेप में बताया। उन्होंने सूचित किया कि निवेश आय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है जिससे अपेक्षाकृत अधिक निवेश आय का अर्जित होना प्रकट होता है। इससे ज्यादा निवेश योग्य निधि का भी पता चलता है। निवेश आय में 27 लाख की वृद्धि हुई। कुल निवेश राशि में 2.38 करोड़ की वृद्धि हुई और यह 17.3 करोड़ से बढ़कर 19.7 करोड़ तक पहुंच गई। शैक्षिक सेवा तथा परीक्षा शुल्क के माध्यम से प्राप्त राजस्व कुल राजस्व का 68.47% तक हो गया। उन्होंने उन विभिन्न समितियों तथा सलाहकार समूहों के योगदान को भी स्वीकार किया जो पूरे वर्ष अपना योगदान देते रहे और उन्होंने व्यावसायिकता का अत्यंत उच्च मानक स्थापित किया।

इसके बाद, भारतीय बीमांकक संस्थान की 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए लेखा परीक्षित लेखों को स्वीकार किया गया।

इस संकल्प का प्रस्ताव श्री के एस गोपालकृष्णन ने और इसका समर्थन श्री डी सी चक्रवर्ती ने किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ यह बैठक समाप्त हुई।

संस्थान की स्थिति के संबंध में अध्यक्ष का वक्तव्य



शुभकामनाएँ !

वर्ष 2013-14 के दौरान की गई पहल तथा गतिविधियों के सार-संक्षेप में भागेदारी करने की मुझे खुशी है।

शिक्षा और परीक्षा क्षेत्र के विषय में कम अंकों से अनुत्तीर्ण होनेवालों के लिए परामर्शी सत्र जारी रहा। विशेषज्ञतावाले विषयों के परीक्षकों को साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई ताकि विगत कुछ वर्षों में परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशतों की समीक्षा की जाए और कतिपय विषयों में बार-बार अनुत्तीर्ण होने के संभावित कारणों का पता लगाया जाए। परीक्षा पेपर की सेटिंग में सुधार के क्षेत्रों के विषय में भी विस्तृत विचार-विमर्श किए गए ताकि भारत-विशिष्ट वातावरण, संकल्पनात्मक तथा संप्रेषण की स्पष्टता और व्यवसाय-ज्ञान में परीक्षण के संबंध में सुसंगतता सुनिश्चित की जा सके।

इस वर्ष हमारी अध्येतावृत्ति में 15 छात्रों को प्रवेश दिया गया जिसे मिलाकर अध्येताओं की संख्या 31-03-2014 तक 278 तक हो गई। पूरे देश-भर में 41 केंद्रों पर संपन्न ए सी ई टी प्रवेश परीक्षा में 4844 छात्रों ने भाग लिया जिनमें से 2150 सफल रहे।

विभिन्न विशेषज्ञतावाले क्षेत्रों में 12 क्षमता-निर्माण सेमीनार आयोजित किए गए जिनमें 623 सदस्यों ने भाग लिया। हमारे उत्कृष्ट सम्मेलन जी सी ए ने इस वर्ष एक और सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया जिसमें 16 देशों के 735 लोगों ने भाग लिया।

हमें सर्टिफाइड इंटरप्राइज रिस्क ऐक्चुअरी (सी ई आर ए) अवॉर्ड सिग्नेटरी स्टेटस प्रदान किया गया। इस प्रकार, हम उन 15 बीमांकिक संघों में से एक हो गए हैं जो पूरे विश्व में इस अर्हता के लायक हैं। सी ई आर ए उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रत्यय पत्र सर्वाधिक व्यापक है और यह कठोर विश्व स्तरीय मान्यताप्राप्त उद्यम जोखिम प्रबंधन पदनाम है। हमारा विश्वास है कि जोखिम प्रबंधन कौशल-रुचि के संवर्धन के लिए यह एक उल्लेखनीय घटना है जिसे बीमांकिकों को सामने लाना चाहिए और परंपरागत बीमा तथा पेंशन क्षेत्रों से परे इसका व्यापक अनुप्रयोग है।

इस व्यवसाय को बढ़ाने तथा उसमें प्रतिभा को आकर्षित करने की दृष्टि से आइ आइ टी - जैसे उच्च प्रतिष्ठावाली संस्थाओं में रोड शो कार्यक्रम किए गए। इस क्षेत्र में और कार्यक्रम किए जाने जरूरी हैं। हमने अपनी छात्र समर्थन स्कीम के माध्यम से इस वर्ष आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्गों के 11 मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

वर्ष के दौरान, संस्थान के अनुसंधान विभाग को एच आइ वी संक्रमण से प्रभावित लोगों से संबद्ध बाहरी परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिला। यह कार्य जनहित में योगदान का कार्य था। इस टीम ने दो रिपोर्टें तैयार कीं, अर्थात् "एच आइ वी संक्रमण से प्रभावित लोगों की अनुकूल जनांकिक प्रोफाइल तथा मेडिकल आवश्यकताएं" और "पी एल एच आइ वी समूह की मृत्यु दर भिन्न कैसे है?" इन रिपोर्टों का उल्लेख बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइ आर डी ए) ने किया है ताकि भारत में बीमा कंपनियों द्वारा हामीदारी अंकन मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। इस टीम ने "भारतीय निजी क्षेत्र में वेतन वृद्धि प्रवृत्ति की समझ" नामक शीर्षक से एक अध्ययन भी किया है। इसे यह सोचकर प्रकाशित किया गया है ताकि सेवा-निवृत्त हितलाभ प्रावधानों की भावी लागत के लिए उपयुक्त अनुमान लगाने में सहायता मिल सके। भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वेतनमान के संबंध में एक ऐसे ही अध्ययन पर काम चल रहा है जिसमें अनेक भागीदारों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी।

एम एम आइ सी को आइ आइ बी (बीमा सूचना ब्यूरो) में स्थानांतरित कर दिया गया है कि ताकि आंकड़े संग्रह करने, प्रौद्योगिकी, भंडारण तथा विश्लेषण का काम साथ-साथ हो सके। मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण के विषय में आइ आइ बी के कार्यों का मार्गदर्शन बीमांकिक समिति करेगी जिसमें संस्थान, आइ आर डी ए तथा जीवन परिषद का भी प्रतिनिधित्व रहेगा।

बीमांकिक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार सरकार ने एक गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड ने संस्थान को सलाह दी है कि सभी बीमांकिक परंपरा के क्षेत्रों में व्यावसायिक अनुपालन निगरानी की संस्था को शीघ्र काम करने के लिए कहा जाए। एक ओर जहां कुछ काम शुरू किया गया है, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट रूप से ध्यान देने का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसीलिए आगामी वर्षों में इस पर पूरा ध्यान देना होगा।

शेयरधारकों ने अलग-अलग मंचों से अपने ये विचार व्यक्त किए हैं कि बीमांककों की आपूर्ति बढ़ाई जानी चाहिए। इस दिशा में जहां इस व्यवसाय में उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित करने के प्रयास जारी हैं, जिसमें तुलनात्मक रूप से शीघ्र परीक्षा के माध्यम से प्रगति की जा सकती है, वहीं संस्थान का यह विचार है कि इसकी व्यावसायिक अर्हता कठोर है और इसमें समय लगता है तथा साथ ही गुणवत्ता बनाए रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें निरंतर विचार-विमर्श जरूरी है और आगामी वर्षों में इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इस बात की पहचान करना भी महत्वपूर्ण है कि प्रायः अंतर्निहित समस्या कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति की तुलना में मांग की गुणवत्ता (हालांकि स्पष्ट रूप से यह मांग ही है) के लिए ज्यादा है। यदि गुणवत्ता अच्छी है तो मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति अपना रास्ता खोज ही लेगी। अतः, मांग की गुणवत्ता मुख्य बात है। इसलिए, जिन क्षेत्रों में मांग की गुणवत्ता के बारे में चिंताएं हैं उनके संबंध में शेयरधारकों को एक साथ मिलकर सहज वातावरण तैयार करने की जरूरत है।

अच्छी गुणवत्ता सदस्य समर्थन प्रदान करने में हमारे निरंतर प्रयास, छात्र सदस्यता प्रवेश, परीक्षा पंजीयन तथा परामर्शी सत्रों के लिए बुकिंग को ऑन लाइन कर दिया गया है। आंकड़ों की संरक्षा तथा प्रक्रियाओं की अनेक प्रक्रिया वाले प्रलेखन-सहित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी आइ टी आधारभूत संरचना की विस्तृत समीक्षा इस वर्ष की गई जिसमें अतिरिक्त समय लगाना पड़ा।

इस वर्ष के दौरान परिषद 7 बार बैठक करने में व्यस्त रही जिसमें उसने 56 कार्यसूची के मदों पर विचार-विमर्श किया।

अंत में, काम करने की ज्यादा-से-ज्यादा हमेशा अपेक्षा और सुधार की गुंजाइस बनी रहती है। इसलिए, सदस्यों से स्वैच्छिक योगदान करना मूलभूत बात है ताकि एक व्यवसाय के रूप में निरंतर प्रगति होती रहे। इस अवसर में परिषद, समितियों, सलाहकार समूहों, परीक्षकों, परीक्षा एवं शिक्षा गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों तथा संस्थान के स्टाफ का धन्यवाद करता हूं जिनके प्रयासों से हम प्रगति करते रहे हैं।

प्रगति के एक और वर्ष की प्रतीक्षा में !

31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद की आठवीं रिपोर्ट

1. वातावरण

1.1 बीमांकिक प्रतिभा के प्रमुख नियोक्ताओं में से जीवन बीमा एक उद्योग है। विनियामक परिवर्तनों के बारे में वह

निरंतर धीमा समायोजन करता रहा। जीवन बीमा के प्रभाव का स्तर निम्न रहा और विनियामक का जोर ज्यादातर संरक्षण-उन्मुख उत्पादों की ओर रहा जिसका अर्थ यह था कि जोखिम प्रबंधन की ओर कंपनियों को अपनी ज्यादा शक्ति लगानी पड़ी। इसके फलस्वरूप, बीमांकिक रूप से अर्हताप्राप्त कार्मिकों को अपेक्षा से अधिक कार्य करना पड़ा।

1.2 साधारण बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा उद्योग में निरंतर वृद्धि होती रही और उनके प्रस्तावों में भी विस्तार होता गया। इस क्षेत्र में कंपनियों ने जिस प्रकार से वर्धित फोकस उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर फोकस किया है और भावी देयताओं के लिए इसे आरक्षित कर दिया है, उसे देखते हुए बीमांकिक संलग्नता काफी हद तक बढ़ गई है।

1.3 शुरुआती स्तर पर बीमांकिक रोजगार सीमित बना रहा। बीमांकिक समुद्रपारीय इकाइयां इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखीं। सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में अनुभवी एवं अर्हताप्राप्त बीमांकिकों की स्थिति सुदृढ़ बनी रही। भारतीय बीमांकिकों की विदेशों में अवसरों के पुनः स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ती रही है।

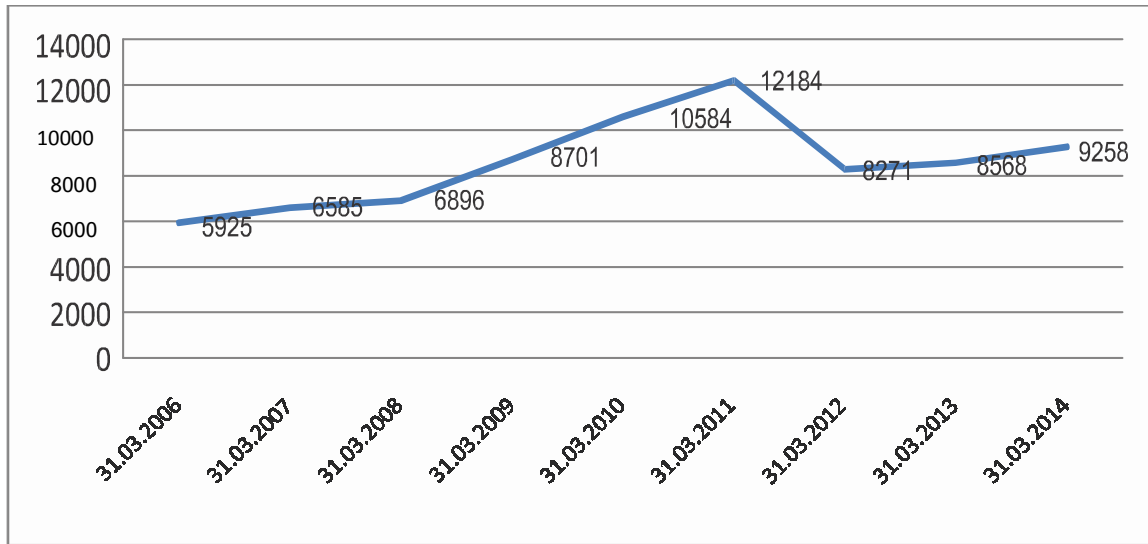
1.4 भारत में अनेक बीमांकिकों के लिए सेवानिवृत्त - हितलाभ का क्षेत्र निरंतर प्राथमिक परामर्शी अधिकार-क्षेत्र बना रहा। अभी भी गैर-परंपरागत क्षेत्रों में अदोहित कार्यक्षमता पड़ी हुई है।

2. सदस्यता

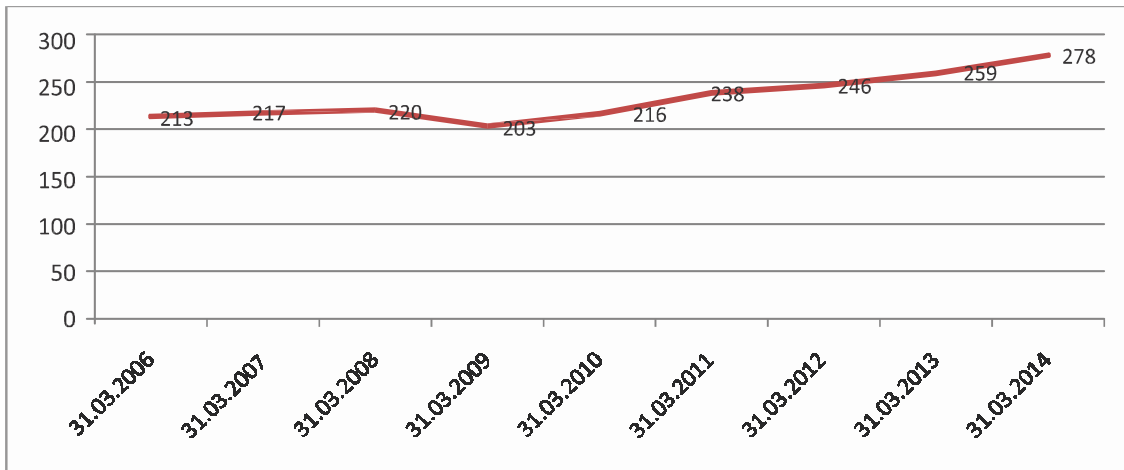
2.1 विश्लेषण

सदस्यता की श्रेणी	31.3.2006 को	31.3.2007 को	31.3.2008 को	31.3.2009 को	31.3.2010 को	31.3.2011 को	31.3.2012 को	31.3.2013 को	31.3.2014 को
अध्येता (फेलो)	213	217	220	203	216	238	246	259	278
सम्बद्ध सदस्यता	23	27	18	20	16	17	21	18	19
सह सदस्यता	131	135	134	132	130	137	134	124	151
सह सदस्यताओं के अलावा छात्र	5552	6200	6518	8340	10216	11786	7864	8161	8804
योग	5919	6579	6890	8695	10578	12178	8265	8562	9252
मानार्थ अध्येता	6	6	6	6	6	6	6	6	6
सकल योग	5,925	6,585	6,896	8,701	10,584	12,184	8,271	8568	9258

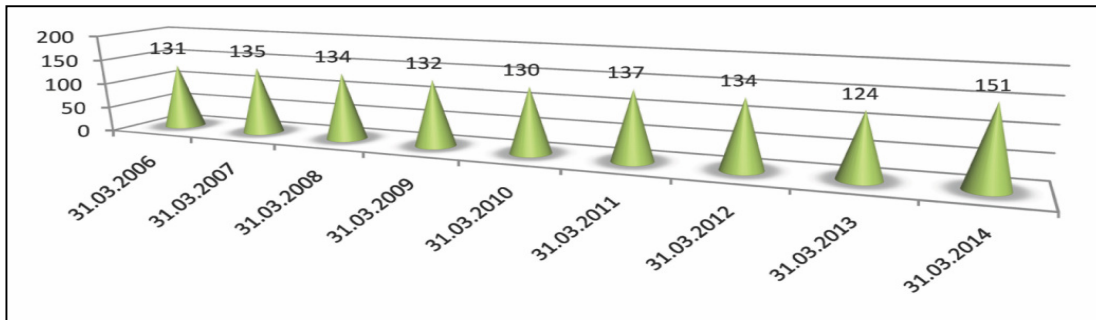
2006 से 2014 के बीच वर्ष-दर-वर्ष सदस्यता



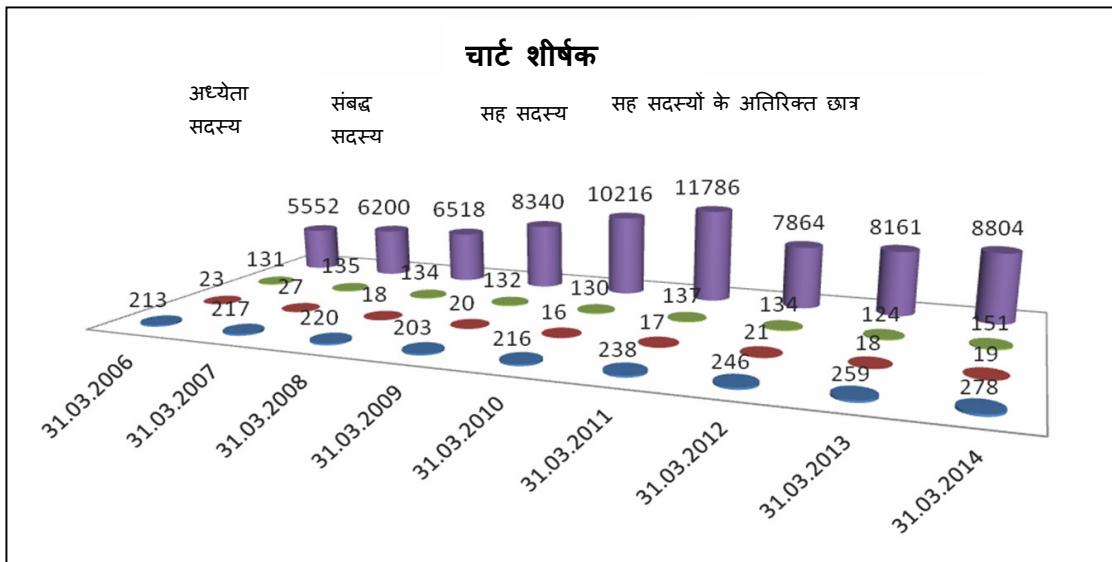
अध्येता सदस्य संख्या—वर्ष 2006 से वर्ष 2014



सह सदस्यता—वर्ष 2006 से वर्ष 2014



सदस्यता संख्या



2.2. 31.03.2014 को सदस्यों का आयुवार वितरण (मानद अध्येताओं के अतिरिक्त)

आयु	अध्येता	सह सदस्य	सम्बद्ध सदस्य	छात्र	योग
20 से कम	0	0	0	486	486
20-25	0	7	0	3748	3755
26-30	27	26	3	2118	2174
31-35	49	16	2	1114	1181
36-40	31	11	5	538	585
41-45	50	47	2	500	599
46-50	29	16	2	224	271
51-55	13	6	1	47	67
56-60	4	6	3	17	30
61-65	15	11	1	7	34
66-70	2	2	0	3	7
71-80	37	2	0	2	41
81-90	20	1	0	0	21
91 एवं अधिक	1	0	0	0	1
योग	278	151	19	8804	9252

2.3 देहांत

अंतिम ए जी एम से 31-07-2014 तक की अवधि में निम्नलिखित सदस्यों के देहांत पर संस्थान ने गहरा शोक व्यक्त किया:

क्रमांक	नाम एवं सदस्यता संख्या	सह/फेलो	देहांत की तारीख
1	आर वी जोशी (89))	फेलो	27 मार्च 2014
2	एम एस वैक्टरमण (203)	फेलो	02 मई 2014

2.4 छात्र श्रेणी से अध्येताओं के रूप में अर्हताप्राप्त सदस्य

16 अगस्त 2013 से 31 जुलाई 2014 तक आइ ए आइ के अध्येता के रूप में निम्नलिखित सदस्यों को दाखिला दिया गया:

क्र. सं.	सदस्य आइ डी	सदस्य का नाम	रूट	अंतिम पेपर में उत्तीर्ण/छूट	आइ एफ एस सेमीनार में भाग लेने की तारीख	अध्येता के रूप में दाखिले की तारीख
1.	10562	श्री प्रदीप गुप्ता	छात्र	नवंबर 2012 परीक्षा में एसए2	13-14 जून 2013	11 सितंबर 2013
2.	5068	श्री अनुराग रस्तोगी	छात्र	जून 2013 परीक्षा में सीए2	13-15 दिसंबर 2012	25 सितंबर 2013
3.	4538	श्री दिनेश पंत	छात्र	जून 2013 परीक्षा में सीए2	4-5 दिसंबर 2013	17 दिसंबर 2013
4.	2869	सुश्री शुचि जिंदल	छात्र	मई 2013 परीक्षा में एसए4	13-15 दिसंबर 2012	17 दिसंबर 2013
5.	6425	श्री पंकज कुमार तिवारी	छात्र	नवंबर 2013 में सीए2 छूट	4-5 दिसंबर 2013	26 दिसंबर 2013
6.	5230	श्री जयदीप साहा	छात्र	जून 2013 परीक्षा में सीए2 उत्तीर्ण	4-5 दिसंबर 2013	04 जनवरी 2014
7.	1049	श्री अनुज बहल	छात्र	मई 2013 परीक्षा में एसए1 उत्तीर्ण	4-5 दिसंबर 2013	29 जनवरी 2014
8.	2850	सुश्री रौनक झा	छात्र	अक्टू 2013 परीक्षा में सीए2 उत्तीर्ण	4-5 दिसंबर 2013	29 जनवरी 2014
9.	7684	श्री रवि बालाजी	छात्र	अक्टू 2013 परीक्षा में सीए2 उत्तीर्ण	13-14 जून 2013	01 फरवरी 2014
10.	6623	श्री परशुराम बाबू बराकवि	छात्र	जून 2013 परीक्षा में सीए2 उत्तीर्ण	4-5 दिसंबर 2013	11 फरवरी 2014
11.	5760	श्री विकास कुमार शर्मा	छात्र	नवंबर 2013 परीक्षा में एसए2 उत्तीर्ण	4-5 दिसंबर 2013	11 फरवरी 2014
12.	6943	श्री अभिनव सिंह	छात्र	नवंबर 2013 में सीए2 छूट	4-5 दिसंबर 2013	11 फरवरी 2014
13.	1430	श्री हिमांशु चौधरी	छात्र	नवंबर 2013 परीक्षा में एसए1 उत्तीर्ण	28-29 जून 2012	11 फरवरी 2014
14.	3700	सुश्री सुनयना महनसरिया	छात्र	मई 2013 परीक्षा में सीए1 उत्तीर्ण	13-14 दिसंबर 2012	11 फरवरी 2014
15.	3203	श्री मेहताब खान	छात्र	दिस 2013 परीक्षा में सीए3 उत्तीर्ण	4-6 दिसंबर 2013	15 फरवरी 2014
16.	6248	सुश्री वी सुब्बुलक्ष्मी	छात्र	नवंबर 2013 में सीए2 छूट	16-17 जून 2011	01 अप्रैल 2014
17.	10198	श्री सचिन गर्ग	छात्र	फर. 2014 परीक्षा में सीए2 उत्तीर्ण	4-5 दिसंबर 2013	11 जून 2014
18.	6605	सुश्री ज्योति वैद्य	छात्र	दिस 2013 परीक्षा में सीए3 उत्तीर्ण	12-14 जून 2014	26 जून 2014
19.	2717	सुश्री प्रशंसा जैन	छात्र	नवंबर 2013 परीक्षा में एसए2 उत्तीर्ण	12-14 जून 2014	03 जुलाई 2014

2.5 सम्बद्ध श्रेणी से अध्येताओं के रूप में अर्हताप्राप्त सदस्य

16 अगस्त 2013 से 31 जुलाई 2014 तक आइ ए आइ के अध्येता के रूप में निम्नलिखित सदस्यों को दाखिला दिया गया:

क्रम संख्या	सदस्य आइ डी	सदस्य का नाम	आइ एफ एस सेमीनार में भाग लेने की तारीख	दाखिले की तारीख
1.	26967	श्री फिलिप जैक्सन	13-14 जून 2012	25 सितंबर 2013
2.	26127	श्री हितेन कोठारी	13-14 जून 2013	18 अक्टूबर 2013
3.	27953	श्री माइकेल फ्रीलिक	4-6 दिसंबर 2013	15 फरवरी 2014

2.6. अध्येताओं के रूप में दाखिल किए गए सदस्य (एम आर ए रूट)

16 अगस्त 2013 से 31 जुलाई 2014 तक आइ ए आइ के एम आर ए रूट के माध्यम से अध्येता के रूप में निम्नलिखित सदस्यों को दाखिला दिया गया:

क्रम संख्या	सदस्य आइ डी	सदस्य का नाम	आइ एफ एस सेमीनार में भाग लेने की तारीख	दाखिले की तारीख
1	1377	श्री शिवंक चंद्र	13-14 जून 2013	21 सितंबर 2013
2	1490	श्री नील छेदा	4-5 दिसंबर 2013	03 जनवरी 2014
3	349	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	4-5 दिसंबर 2013	03 जनवरी 2014
4	2439	श्री शमित गुप्ता	4-5 दिसंबर 2013	01 फरवरी 2014
5	6701	सुश्री भावना वर्मा	13-14 जून 2013	11 फरवरी 2014
6	3789	श्री रमाकांत मालपाणी	4-6 दिसंबर 2013	15 फरवरी 2014
7	5036	श्री आशीष रंजन	13-14 जून 2013	15 मई 2014

2.7. सम्बद्ध के रूप में दाखिल किए गए सदस्य

19 अप्रैल 2013 से 31 जुलाई 2014 तक आइ ए आइ के सम्बद्ध सदस्य के रूप में निम्नलिखित सदस्यों को दाखिला दिया गया:

क्रम संख्या	सदस्य आइ डी	सदस्य का नाम	दाखिले की तारीख
1.	27951	सुश्री जेनीफर ऐरिस	11 सितंबर 2013
2.	27953	श्री माइकेल फ्रीलिक	18 सितंबर 2013
3.	29040	श्री चर्चित अगरवाल	11 फरवरी 2014

2.8. सह-सदस्यों के रूप में दाखिल किए गए सदस्य

03 अगस्त 2013 से 31 जुलाई 2014 तक आइ ए आइ के सह-सदस्य के रूप में निम्नलिखित सदस्यों को दाखिला दिया गया:

क्रम संख्या	सदस्य आइ डी	सदस्य का नाम	दाखिले की तारीख
1	523	सुश्री रिदम अगरवाल	11 सितंबर 2013
2	6113	सुश्री अदिति सोढी	18 सितंबर 2013
3	5760	श्री विकास कुमार शर्मा	25 सितंबर 2013
4	2662	सुश्री दिशा जैन	25 सितंबर 2013
5	9907	सुश्री सुरुचि भार्गव	28 सितंबर 2013
6	1141	श्री हिमांशु भाटिया	04 अक्टूबर 2013
7	5036	श्री आशीष रंजन	18 अक्टूबर 2013
8	1351	श्री डी एन के एल एन के चक्रवर्ती	18 अक्टूबर 2013
9	5756	सुश्री वसुंधरा शर्मा	17 दिसंबर 2013
10	6847	श्री नकुल यादव	29 जनवरी 2014
11	1029	श्री गौरव बत्रा	29 जनवरी 2014
12	2717	सुश्री प्रशंसा जैन	01 फरवरी 2014
13	9605	सुश्री कृतिका वर्मा	01 फरवरी 2014
14	5932	सुश्री कविता रामफूल सिंह	01 फरवरी 2014
15	3222	श्री राहुल खंडेलवाल	01 फरवरी 2014
16	3718	श्री महीधर देवनगरे वी	01 फरवरी 2014
17	6548	श्री वैभव त्यागी	11 फरवरी 2014
18	4476	सुश्री रिधि पालिवाल	11 फरवरी 2014
19	515	सुश्री नेहा अगरवाल	11 फरवरी 2014
20	1088	श्री रामानुज बंसीलाल भंगड़िया	15 फरवरी 2014
21	7701	सुश्री योगिता रावत	15 फरवरी 2014
22	4607	सुश्री कृति कमलेश पटेल	15 फरवरी 2014
23	8065	सुश्री नेहा अगरवाल	15 फरवरी 2014
24	5168	श्री सौरव रॉय	15 फरवरी 2014
25	10399	सुश्री चहक जैन	01 अप्रैल 2014
26	3305	श्री इरविंदर सिंह कोहली	11 जून 2014
27	1325	श्री सुप्रियो चाकी	26 जून 2014

3. परिषद तथा समितियाँ/सलाहकार समूह

3.1 31 जुलाई 2014 को सेवारत परिषद के सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री एम करुणानिधि	अध्यक्ष
2	श्री के एस गोपालकृष्णन	उपाध्यक्ष
3	श्री राजेश डालमिया	मानद सचिव
4	श्री अनूप वधावन	सदस्य (12-08-2013 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार नामित)
5	श्री बी ए प्रभाकर	सदस्य (13-02-2014 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार नामित)
6	श्री एम रामप्रसाद	सदस्य (03-07-2012 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार नामित)
7	श्री ए आर प्रभू	सदस्य
8	श्री चंदन खासनोबिस	सदस्य
9	श्री डी सी चक्रवर्ती	सदस्य
10	श्री जी एल एन शर्मा	सदस्य
11	श्री के श्रीराम	सदस्य
12	श्री लियाकत खान	सदस्य
13	सुश्री एन कल्पना	सदस्य
14	श्री साकेत सिंहल	सदस्य
15	सुश्री विभा बागेरिया	सदस्य

3.2 बैठक

21 सितंबर 2013 को अंतिम ए जी एम से 31 जुलाई 2014 तक परिषद की नीचे दी गई तारीखों को मुंबई में 11 बार बैठक हुई:

क्रम संख्या	परिषद की बैठकों की तारीख
1	02 मार्च 2013
2	04 मई 2013
3	15 जून 2013
4	03 अगस्त 2013
5	31 अगस्त 2013
6	21 सितंबर 2013
7	14 दिसंबर 2013
8	16 फरवरी 2014
9	12 अप्रैल 2014
10	21 जून 2014
11	26 जुलाई 2014

3.3 अधिकारी

क्रम संख्या	नाम	पद
1	श्री एम करुणानिधि	अध्यक्ष
2	श्री के एस गोपालकृष्णन	उपाध्यक्ष
3	श्री राजेश डालमिया	मानद सचिव

3.4 समितियाँ

31 जुलाई 2014 को समितियाँ और सदस्य इस प्रकार हैं :

3.4.1 विदेशी मामले और अनुसंधान समिति (धारा 21 के अंतर्गत)

सदस्य

क्रम संख्या	नाम	पद
1	श्री डी सी चक्रवर्ती,	अध्यक्ष
2	श्री ए आर प्रभू	सदस्य

कार्य

- विदेशी शेयरधारकों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना और उसे बनाए रखना। इसमें दूसरे स्वदेशी तथा विदेशी व्यवसायिक निकाय, सांविधिक तथा विनियामक निकाय एवं उद्योगों के संघ शामिल हैं।
- कारगर संचार-रणनीति विकसित करना और उसे बनाए रखना---सदस्यों, मीडिया एवं अन्य शेयरधारकों के लिए ' द ऐक्चुअरी इंडिया ' पत्रिकाओं, विवरणिकाओं, समाचार पत्रों आदि के प्रकाशन।
- बीमांकों के लिए अनुसंधान तथा व्यापक क्षेत्र गतिविधियों का संवर्धन करना।
- बीमांकों का वैश्विक सम्मेलन करना और अन्य ऐसे ही आयोजन करना।
- परिषद द्वारा समय-समय पर इस समिति को सौंपे जा सकनेवाले अन्य कार्य।

निम्नलिखित सलाहकार समूह इस समिति को रिपोर्ट करेंगे:

- संचार
- साथी, शेयरधारक तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध
- अनुसंधान एवं प्रकाशन
- उद्यम जोखिम प्रबंधन
- अपतटीय बीमांकिक कार्य
- व्यष्टि बीमा

3.4.2 व्यावसायिकता समिति (धारा 21 के अंतर्गत)

सदस्य

क्रम संख्या	नाम	पद
1	श्री चंदन खासनोबिस	अध्यक्ष
2	श्री साकेत सिंघल	सदस्य

कार्य

- बीमांकिक मानक स्थापित करना और अनुपालन की निगरानी करना ।
- व्यवसाय प्रमाणपत्र (सी ओ पी) जारी करना और उसके लिए मानदंड स्थापित करना ।
- सतत व्यवसायिक विकास (सी पी डी) के लिए मानदंड स्थापित करना और उसके अनुपालन की निगरानी करना ।
- सी पी डी / व्यवसायिकता / आचारशास्त्र पाठ्यक्रमों/ सेमीनारों का आयोजन करना ।
- परिषद द्वारा समय-समय पर इस समिति को सौंपे जा सकनेवाले अन्य कार्य।

निम्नलिखित सलाहकार समूह इस समिति को रिपोर्ट करेंगे:

- व्यवसायिकता, आचारशास्त्र तथा आचरण
- लेखांकन, ऋणशोधन क्षमता---बीमा एवं पेंशन निधि
- सामाजिक, संस्कृति तथा युवा कार्य

* इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञता क्षेत्र सलाहकार समूह---जीवन, साधारण, स्वास्थ्य रक्षा तथा पेंशन सलाहकार समूह--- सी ओ पी, सी पी डी तथा बीमांकिक मानक स्थापित करने से संबंधित मामले इस समिति को रिपोर्ट करेंगे।

3.4.3 लेखा परीक्षा समिति (धारा 21 के अंतर्गत)

सदस्य

क्रम संख्या	नाम	पद
1	श्री के श्रीराम	अध्यक्ष
2	सुश्री विभा बागेरिया	सदस्य
3	श्री साकेत सिंघल	सदस्य
4	श्री वीरेन एच मेहता	सदस्य

कार्य

1. आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
2. सभी लेखा परीक्षा की मदों को बंद करना सुनिश्चित करने के लिए समितियों /परिषद से संपर्क करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि आइ ए आइ में सभी नियमों, विनियमों, अधिनियमों आदि का पालन किया जाता है।
4. परिषद द्वारा समय-समय पर इस समिति को सौंपे जा सकनेवाले अन्य कार्य।

3.4.4 वित्त तथा प्रशासन समिति (धारा 21 के अंतर्गत)

सदस्य

क्र. सं.	नाम	पद
1	श्री लियाकत खान	अध्यक्ष
2	सुश्री एन कल्पना	सदस्य
3	श्री ए आर प्रभू	सदस्य

कार्य

1. चालू वर्ष के लिए वित्तीय बजट तैयार करना और उत्तरवर्ती तीन वर्ष के लिए अनुमानित बजट तैयार करना । समितियों, सलाहकार समूहों तथा ऐसे अन्य समूहों के साथ संपर्क में रहना जहां तक उनका संबंध संस्थान के वित्तीय मामलों से है ।
2. संस्थान के कर-संबंधी मामलों-सहित वित्तीय स्थिति का प्रबंधन ।
3. संस्थान के वित्तीय नियंत्रण तथा लेखांकन नीतियों का विकास एवं कार्यान्वयन ।
4. निवेश नीति तैयार करना और नीति के अनुसार निवेशों के संबंध में निर्णय लेना। सदस्य सेवा सुपुर्दगी (डिलीवरी) तथा एच आर परंपराओं के संबंध में संस्थान के प्रशासन की देखरेख करना।
5. छात्र समर्थन स्कीम या ऐसी ही अन्य स्कीमों का कार्यान्वयन करना जो संस्थान के सदस्यों के कल्याण के लिए हैं।
6. परिषद द्वारा समय-समय पर इस समिति को सौंपे जा सकनेवाले अन्य कार्य।

निम्नलिखित सलाहकार समूह इस समिति को रिपोर्ट करेंगे:

एच आर डी, प्रशासन और वित्त

3.4.5 शिक्षा समिति (धारा 21 के अंतर्गत)

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री एम करुणानिधि	अध्यक्ष
2	डा. के श्रीराम	सदस्य
3	श्री लियाकत खान	स्थायी आमंत्रित
4	श्री के एस गोपालकृष्णन	स्थायी आमंत्रित

कार्य

1. समय-समय पर शिक्षा-नीति की समीक्षा करना ।
2. परीक्षाएं आयोजित करने से संबंधित सभी मामले----परीक्षकों /मार्करों का चयन, मानदेय, संभारतंत्र, परिणामों की घोषणा, छात्रों की शिकायतों का समाधान करना, परीक्षा में कदाचारों आदि की जांच करना।
3. विदेशी व्यावसायिक निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के साथ रियायत/आपसी मान्यता-व्यस्था के बारे में बातचीत करके व्यवस्था करना।
4. छात्रों के लिए परीक्षा कोचिंग/परामर्श सेवा (काउन्सेलिंग) का आयोजन करना।
5. क्षमता-निर्माण तथा वर्तमान मुद्दों पर सेमीनार/सम्मेलन आयोजित करना।
6. परिषद द्वारा समय-समय पर इस समिति को सौंपे जा सकनेवाले अन्य कार्य।

निम्नलिखित सलाहकार समूह इस समिति को रिपोर्ट करेंगे: परीक्षा

- I. जीवन बीमा
- II. साधारण बीमा
- III. पेंशन, अन्य कर्मचारी हितलाभ तथा सामाजिक सुरक्षा
- IV. स्वास्थ्य रक्षा बीमा

3.4.6 अनुशासनिक समिति (धारा 26 के अंतर्गत)

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री के एस गोपालकृष्णन	पीठासीन अधिकारी
2	सी ए.उत्तम प्रकाश अगरवाल	सदस्य
3	श्री एन श्रीनिवास राव	सदस्य
4	श्री लियाकत खान	सदस्य
5	श्री राजेश डालमिया	सदस्य

समिति के कार्य:

बीमांकक अधिनियम, 2006 और बीमांकक (व्यावसायिक तथा अन्य कदाचार जांच कार्यविधि) नियमावली, 2008 के अनुसार

3.5 सलाहकार समूह /कार्यदल

31 जुलाई 2014 को सलाहकार समूह इस प्रकार हैं:

3.5.1 परीक्षा संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री डी साइ श्रीनिवास	अध्यक्ष
2	श्री पुनीत नय्यर	सचिव
3	श्री वरुण गुप्ता	सदस्य
4	श्री प्रांशु माहेश्वरी	सदस्य
5	श्री आकाश गुप्ता	सदस्य
6	श्री अभय तिवारी	सदस्य
7	श्री शुभेंदु बाल	सदस्य
8	श्री प्रवीर चंद्र	सदस्य
9	श्री समरीन आसिफ	सदस्य
10	श्री धीरज मिश्र	सदस्य

कार्य

- * परीक्षा के आधारभूत ढाँचे की समीक्षा करना और ईमानदारी का उच्च स्तर सुनिश्चित करना ।
- * बाहरी सहयोग तथा तकनीक का प्रयोगकर, उदाहरण के लिए सीटी 9 तथा सीए 2 परीक्षाओं का विस्तृत आधार खोजना ।
- * परीक्षकों के समूह के बारे में 'बाक्स से बाहर' निकलकर विचार करना, 'स्टाफ बीमांकक' प्रणाली निर्मित करना तथा परीक्षाओं की शैली का निरीक्षण करना ।
- * शिक्षा-नीति के निर्धारित ढाँचे के अंतर्गत प्रश्नपत्रों तथा अंक देने (मार्किंग) के उच्च मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना ।
- * प्रश्नपत्र तैयार करनेवालों, परीक्षकों तथा अंक देनेवालों की समय-समय पर बैठकें करना ताकि इनसे जो अपेक्षाएं की जाती हैं वे इन सभी के बारे में एक ही जगह उपलब्ध हों ।
- * जहाँ तक परीक्षा नियंत्रण का संबंध है, यू.के.बीमांकिक व्यवसाय से संपर्क करना और उनके साथ मिलकर काम करना ।
- * शिक्षा कार्यनीति संबंधी कार्यदल के तालमेल से काम करना ।

3.5.2 व्यावसायिकता, नैतिकता तथा आचरण संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री अभय तिवारी	अध्यक्ष
2	श्री संजीव कुमार	सचिव
3	सुश्री आशा मुरली	सदस्य
4	श्री वी राजगोपालन	सदस्य
5	श्री गौतम काकर	सदस्य
6	श्री पी ए बालासुब्रमणियन	सदस्य
7	श्री निक टकेत	सदस्य
8	श्री पृथेश चौबे	सदस्य

कार्य

- * सदस्यों में वितरण तंत्र के माध्यम से व्यावसायिकता के उच्च स्तर की ऐसी आदत डालना जो कारगर हो ।
- * आचरण के कठोर नियम, बीमांकिक व्यवहार मानदंड तथा उनके पालन की पद्धति विकसित करना ।
- * आचरण संहिता तथा बीमांकिक व्यवहार मानदंडों के पालन के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित तथा उत्प्रेरित करना ।
- * बीमांकक अधिनियम, 2006 के ढाँचे के अंतर्गत अनुशासनिक प्रावधानों को लागू करने की सलाह देना जो जनहित की अपेक्षाओं के अंतर्गत ठीक तथा उचित हो और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करते हों ।
- * व्यावसायिकता के ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाएं जो संस्थान के सदस्यों के व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करें और हर समय नैतिक रूप से अनुपालन के लायक हों ।

3.5.3 सहकर्मी, शेयरधारक तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री के सुब्रह्मणियम	अध्यक्ष
2	श्री हीरक बसु	सचिव
3	श्री अक्षय पंडित	सदस्य
4	श्री एस मधुसूदनन	सदस्य
5	श्री सुनील शर्मा	सदस्य
6	श्री मयूर अंकोलेकर	सदस्य
7	श्री भरत वैक्टरमणी	सदस्य
8	श्री देबरशी चटर्जी	सदस्य

कार्य

- * (i) सी ए संस्थान, (ii) कंपनी सचिव संस्थान, (iii) विधि व्यवसाय, (iv) वित्तीय सेवा विनियामक: आइआरडीए, सेबी, आर बी आइ, (v) औद्योगिक निकाय तथा कंपनी क्षेत्र: एफ आइ सी सी आइ, सी आइ आइ तथा अन्य, (vi) सरकार- जैसों के साथ निरंतर विचार-विमर्श करना क्योंकि ये हमारी सोच को प्रभावित करते हैं ।
- * अंतर्राष्ट्रीय बीमांकिक निकायों से संबंध रखना ।
- * बीमांकिकों के कौशल सेटों में शेयरधारकों के बीच व्यवसाय का विपणन करना तथा संस्थान के सदस्यों की रोजगार क्षमता को शीघ्र सुविधा प्रदान करना ।
- * जोखिम तथा वित्तीय संस्थाओं के विशेषज्ञ एवं प्रबंधकों के रूप में बीमांकिकों की छवि बनाना ।
- * बीमांकिकों का वैश्विक सम्मेलन करने की जिम्मेदारी उठाना ।
- * दक्षिण एशिया तथा एशिया प्रशांत के देशों की बीमांकिक शिक्षा-सहयोग की जरूरतों का पता लगाना और उन्हें इसकी सुविधा प्रदान करना ।

3.5.4 संचार संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री सुनील शर्मा	अध्यक्ष
2	श्री निक टाकेत	सदस्य
3	श्री अनिल के सिंह	सदस्य
4	श्री डी साई श्रीनिवास	सदस्य

कार्य

- * सदस्यों के साथ दु-तरफा संचार: विचार जानना तथा संदेश भेजना: राय सर्वेक्षण ।
- * इलेक्ट्रानिक तथा मुद्रण संचार-आंतरिक:अन्य विकल्पों-सहित अद्यतन ऐक्चुअरी इंडिया मैगजिन पर पुनर्विचार करना ।
- * इलेक्ट्रानिक तथा मुद्रण संचार-बाह्य: इलेक्ट्रानिक तथा मुद्रण मीडिया-पत्रकार ।
- * वेबसाइट मामले ।

3.5.5 अनुसंधान तथा प्रकाशन संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	सुश्री तानिया चक्रवर्ती	अध्यक्ष
2	श्री गौतम शाह	सचिव
3	श्री आर अरुणाचलम	सदस्य
4	श्री अजय चतुर्वेदी	सदस्य
5	श्री आदित्य टिब्रेवाला	सदस्य
6	श्री सौविक जैश	सदस्य
7	श्री पी के दिनाकर	सदस्य

कार्य

- * मृत्युसंख्या, रुग्णता तथा अन्य हानियों-सहित सभी बीमांकिक अनुसंधान के लिए उत्तरदायी होना । साधारण बीमा में हानि का वितरण तथा ऐसे अन्य क्षेत्र जिनके बारे में परिषद समय-समय पर तय कर सकती है ।
- * वित्तीय सेवा उद्योग के उन विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रकाशन निकालने के लिए उत्तरदायी होना जिनमें व्यवसाय के सदस्य अपने हित रखते हों या भविष्य में रख सकते हैं ।
- * अन्य बीमांकिक निकायों के बीच ऐसी गतिविधियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

3.5.6 मानव संसाधन विभाग, प्रशासन तथा वित्त संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री शुभेन्दु बाल	अध्यक्ष
2	श्री भरत वैक्टरमणी	सचिव
3	श्री मयूर अंकोलेकर	सदस्य
4	श्री पृथ्वेश चौबे	सदस्य
5	श्री गौतम शाह	सदस्य

कार्य

- * सेवा संगठन के रूप में इस संस्थान को विकसित करने में सहायता करना जिससे सदस्यों को गुणवत्तावाली सेवा मिले : अच्छी सदस्य प्रशासन पद्धति, सदस्य के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निरंतर प्रचार करना।
- * संस्थान के स्वयं के परिसर के लिए रूपरेखा तैयार करना तथा जल्दी ही कोई उपयुक्त प्लॉट लेने के बारे में कदम उठाना।
- * बजट बनाना।
- * वित्तीय प्रणालियों एवं नियंत्रणों में ऊँचे दर्जे की ईमानदारी।
- * स्टाफ के लिए उच्च स्तर की प्रेरणा, पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा कैरियर का भविष्य सुनिश्चित करना।
- * स्टाफ संबंधी मामलों पर विचार करना और तदनुसार अध्यक्ष को राय देना।

3.5.7 सामाजिक, सांस्कृतिक तथा युवा कार्य संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री सव्यसाची सरकार	अध्यक्ष
2	श्री निधिर गुप्ता	सचिव
3	सुश्री हर्षिता गुप्ता	सदस्य
4	श्री तनय चन्द्रा	सदस्य
5	सुश्री सुरुचि भार्गव	सदस्य
6	श्री अवधेश गुप्ता	सदस्य
7	सुश्री अदिति सोढी	सदस्य
8	श्री हिमांशु भाटिया	सदस्य

कार्य

- * संस्थान की सदस्यता के भीतर प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहन देना तथा उनके कार्यनिष्पादन को बढ़ावा देना, विशेषकर नाटक, संगीत, नृत्य आदि का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होना।
- * संस्थान से नवयुवक सदस्यों से संबंधित सामान्यीकृत मुद्दों तथा उनके समाधान की सुविधा का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होना।
- * संस्थान के नवयुवक सदस्यों से संबंधित उन मामलों के प्रति जवाबदेही होना जो संस्थान को भेजे जाते हैं।

3.5.8 जीवन बीमा संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री संजीव पुजारी	अध्यक्ष
2	श्री कुशवंत पाहवा	सचिव
3	श्री बी एन रंगराजन	सदस्य
4	श्री नेलियस बेज्यूदेन्हाउट	सदस्य
5	श्री एन एम गोवर्धन	सदस्य
6	श्री वी राजगोपालन	सदस्य
7	श्री रिचर्ड हैलोवे	सदस्य
8	श्री मार्क सौंडर्स	सदस्य
9	श्री पीटर डुरान	सदस्य
10	श्री श्रीनिवासन पार्थसारथी	सदस्य
11	सुश्री शुभा नीलकांतन	सदस्य
12	श्री संकेत कवत्कर	सदस्य

कार्य

- * उस जीवन बीमा के बारे में मुद्दों पर ध्यान देने के लिए उत्तरदायी होना जो समूह को भेजे जाते हैं या जिस पर ध्यान देना समूह उचित समझता है और उपयुक्त कार्यवाई के लिए परिषद को सलाह देता है।
- * उन बीमांकिक व्यवहार मानदंडों (मार्गदर्शी टिप्पणियों) को व्यवहार में लाने तथा समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा जो संस्थान के उन सदस्यों के लिए अपेक्षित हैं जो नियुक्त बीमांककों-सहित जीवनबीमा में काम करते हैं।
- * जीवन बीमा में सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए सेमीनारों तथा कार्यशालाओं-सहित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना तथा कार्यान्वित करना।

- * भारत के भीतर तथा बाहर जीवन बीमा उद्योग को प्रभावित करनेवाले उभर रहे कारबार तथा उद्योग के मुद्दों के बारे में जानकारी रखना और संस्थान को सलाह देना।
- * स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमांकिक या अन्य सुसंगत क्षेत्रों में जीवन बीमा से संबंधित उपयोगी तकनीकी एवं अकादमिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी रखना तथा संस्थान को सलाह देना।
- * एल आइ ए जी की सभी गतिविधियों का दीर्घकालीन उद्देश्य संस्थान की एक विश्वस्त निकाय के रूप में उसकी पहचान होनी चाहिए जो इस उद्योग एवं जनता के हित में बीमांकक अधिनियम, 2006 की शर्तों के अधीन कार्य करता है।

3.5.9 साधारण बीमा संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री मेहुल शाह	अध्यक्ष
2	श्री देबरशी चटर्जी	सचिव
3	श्री मनलुर सांडिल्य	सदस्य
4	श्री पुनीत सूदन	सदस्य
5	कुमारी सुलोचना ईजेती	सदस्य
6	श्री शरोन डिकोस्टा	सदस्य
7	श्री विकास नेवतिया	सदस्य
8	श्री अंकुर अग्रवाल	सदस्य
9	श्री आर अरुणाचलम	सदस्य

कार्य

- * उस साधारण बीमा के बारे में मुद्दों पर ध्यान देने के लिए उत्तरदायी होगा जो समूह को भेजे जाते हैं या जिस पर ध्यान देना समूह उचित समझता है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए परिषद को सलाह देता है।
- * उन बीमांकिक व्यवहार मानदंडों (मार्गदर्शी टिप्पणियों) को व्यवहार में लाने तथा समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा जो संस्थान के उन सदस्यों के लिए अपेक्षित हैं जो नियुक्त बीमांककों - सहित साधारण बीमा में काम करते हैं।
- * साधारण बीमा में सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए सेमिनारों तथा कार्यशालाओं-सहित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना तथा कार्यान्वित करना।
- * भारत के भीतर तथा बाहर साधारण बीमा को प्रभावित करनेवाले उभर रहे व्यावसायिक मुद्दों के बारे में जानकारी रखना और संस्थान को सलाह देना।
- * भारत के भीतर तथा बाहर साधारण बीमा से संबंधित उभर रहे कारबार तथा उद्योग के मुद्दों को प्रभावित करने के बारे में जानकारी रखना तथा संस्थान को सलाह देना।
- * किसी ऐसे विनियामक या बाजार मुद्दों के बारे में परिषद को सलाह देना जो व्यवसाय के स्तर (प्रतिष्ठा) को संभवतः प्रभावित कर सकता है।

3.5.10 स्वास्थ्य रक्षा बीमा संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री बीरेश गिरि	अध्यक्ष
2	श्री विश्वनाथ महेन्द्र	सचिव
3	श्री जगबीर सोढी	सदस्य
4	कुमारी विभा बागेरिया	सदस्य
5	श्री रिचर्ड किप्प	सदस्य
6	श्री हर्बट मिस्टर	सदस्य
7	श्री राजेश एस	सदस्य
8	श्री रौनक झा	सदस्य

कार्य

- * स्वास्थ्य रक्षा बीमा के संबंध में ध्यान देनेवाले उन मुद्दों के लिए उत्तरदायी होगा जो संस्थान को भेजे जाते हैं या जिन पर ध्यान दिए जाने के लिए यह समूह उपयुक्त समझता है और उचित कार्रवाई के लिए अध्यक्ष / परिषद को सलाह देगा ।
- * उन बीमांकिक व्यवहार मानदंडों (मार्गदर्शी टिप्पणियों) को व्यवहार में लाने तथा समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा जो संस्थान के उन सदस्यों के लिए अपेक्षित हैं जो स्वास्थ्य रक्षा बीमा में काम करते हैं।
- * स्वास्थ्य रक्षा बीमा व्यवसाय में सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए सेमीनारों तथा कार्यशालाओं-सहित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना और उसे आगे बढ़ाना।
- * भारत के भीतर तथा बाहर स्वास्थ्य रक्षा बीमा उद्योग को प्रभावित करनेवाले उभर रहे कारबार तथा व्यावसायिक मुद्दों के बारे में जानकारी रखना और संस्थान को सलाह देना ।
- * भारत के भीतर तथा बाहर स्वास्थ्य रक्षा बीमा उद्योग को प्रभावित करनेवाले उभर रहे कारबार तथा उद्योग के मुद्दों के बारे में जानकारी रखना और संस्थान को सलाह देना ।
- * किसी ऐसे विनियामक या बाजार मुद्दों के बारे में परिषद को सलाह देना जो व्यवसाय के स्तर (प्रतिष्ठा) को संभवतः प्रभावित कर सकता है ।

3.5.11 पेंशन, अन्य कर्मचारी हितलाभ तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री के सुब्रह्मणियम	अध्यक्ष
2	सुश्री चित्रा जयसिंह	सचिव
3	श्री कुलीन पटेल	सदस्य
4	सुश्री प्रीति चंद्रशेखर	सदस्य
5	श्री सिमोन मेटिस हर्बार्न	सदस्य
6	श्री आर अरुणाचलम	सदस्य
7	श्री के गणेशन	सदस्य
8	श्री ए डी गुप्ता	सदस्य

कार्य

- * निरंतर जनसंपर्क के माध्यम से व्यवहार के लिए और ज्यादा पारदर्शिता लाना।
- * सूचना भागीदारी के लिए संचार मानकों की स्थापना करके तथा क्रियाविधि तैयार करके व्यवहार के लिए सार्वजनिक छवि सुदृढ़ करना।
- * एक उपयुक्त व्यवहार तंत्र प्रमाणपत्र की परिषद से सिफारिश करना तथा परामर्शी बीमांककों के लिए मानकीकृत मूल्यांकन रिपोर्टिंग का फार्मेट तैयार करना।
- * सूचना-स्पष्टता तथा संचार मुद्दों के संदर्भ में परामर्शी बीमांककों का समर्थन करना ।
- * कोर्स के पाठ्यक्रम तथा कोर्स की सामग्री को अद्यतन करके गुणवत्ता लाना; और पेंशन, कर्मचारी हितलाभ तथा सामाजिक सुरक्षा के अनुकूल बीमांकिक व्यवहार मानदंड तथा मार्गदर्शी टिप्पणियां जारी करना। पेंशन, कर्मचारी हितलाभ तथा सामाजिक सुरक्षा विशेष के लिए सेमीनार / कार्यशालाएं आयोजित करके क्षमता निर्माण करना।
- * पेंशन, कर्मचारी हितलाभ तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित मामलों की जानकारी रखते रहना, सामान्य रूप से विश्व में हो रही गतिविधियों के विषय में खासकर आइ ए ए के स्तर पर और परिषद तथा सदस्यों को उपयुक्त रीति के सलाह देना।
- * बीमांककों के परामर्श के लिए कार्य के नए एवं और ज्यादा क्षेत्रों का निर्माण करना / पता लगाना।

3.5.12 उद्यम जोखिम प्रबंधन संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री बी एन रंगराजन	अध्यक्ष
2	श्री गौतम शाह	सचिव
3	श्री जेम्स क्रीडन	सदस्य
4	श्री मनलूर सांडिल्य	सदस्य
5	श्री कुंज महेश्वरी	सदस्य
6	श्री संदीप पाटिल	सदस्य
7	श्री संचित मैनी	सदस्य

कार्य

- * उद्यम तथा वित्तीय जोखिम के संबंध में ध्यान देनेवाले मुद्दों के लिए उत्तरदायी होगा जो संस्थान को भेजे जाते हैं या जिन पर ध्यान दिए जाने के लिए यह समूह उपयुक्त समझता है और उचित कार्रवाई के लिए अध्यक्ष/परिषद को सलाह देगा ।
- * उन बीमांकिक व्यवहार मानदंडों (मार्गदर्शी टिप्पणियों) को व्यवहार में लाने तथा समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा जो संस्थान के उन सदस्यों के लिए अपेक्षित हैं जो उद्यम तथा वित्तीय जोखिम में काम करते हैं ।
- * उद्यम तथा वित्तीय जोखिम व्यवसाय में सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए सेमीनारों तथा कार्यशालाओं-सहित सतत व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना और उसे आगे बढ़ाना ।
- * सूचना-स्पष्टता तथा संचार मुद्दों के संदर्भ में परामर्शी बीमांककों का समर्थन करना ।
- * भारत के भीतर तथा बाहर उद्यम तथा वित्तीय जोखिम उद्योग को प्रभावित करनेवाले उभर रहे कारबार तथा व्यावसायिक मुद्दों के बारे में जानकारी रखना और संस्थान को सलाह देना ।
- * भारत के भीतर तथा बाहर उद्यम तथा वित्तीय जोखिम उद्योग को प्रभावित करनेवाले उभर रहे कारबार तथा उद्योग के मुद्दों के बारे में जानकारी रखना और संस्थान को सलाह देना ।

- * किसी ऐसे विनियामक या बाजार मुद्दों के बारे में परिषद को सलाह देना जो व्यवसाय के स्तर (प्रतिष्ठा) को संभवतः प्रभावित कर सकता है ।

3.5.13 लेखांकन और ऋणशोधन संबंधी सलाहकार समूह - बीमा और पेंशन निधि

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री सत्यन जम्बूनाथन	अध्यक्ष
2	श्री जोश जॉन	सचिव
3	श्री कुलीन पटेल	सदस्य
4	श्री हीरक बसु	सदस्य
5	कुमारी सुलोचना ईजेती	सदस्य
6	श्री गौतम काकर	सदस्य

कार्य

- * उद्यम तथा वित्तीय जोखिम के संबंध में उन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी है जो इसे भेजे जाते हैं या जिसे समूह उपयुक्त कार्रवाई के लिए अध्यक्ष को संबोधित करने तथा उन्हें सलाह देने के लिए उपयुक्त समझता है।
- * बीमा एवं पेंशन निधि लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग (इ एफ आर एस तथा संबंधित गतिविधियां) के बारे में ध्यान देनेवाले उन मुद्दों के लिए उत्तरदायी है जो इसे भेजे जाते हैं या जिसे समूह उपयुक्त कार्रवाई के लिए अध्यक्ष/ समूह को संबोधित करने तथा उन्हें सलाह देने के लिए उपयुक्त समझता है।
- * व्यवसाय के सदस्यों को उनके कार्य क्षेत्र में सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए सेमीनारों तथा कार्यशालाओं-सहित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना और उसे आगे बढ़ाना ।
- * संस्थान के कार्य क्षेत्र में उसके सदस्यों को प्रभावित करनेवाले उभर रहे व्यावसायिक, कारबार तथा उद्योग के मुद्दों के संबंध में अध्यक्ष के माध्यम से संस्थान की जानकारी रखना और उसे सलाह देना ।
- * ऐसे किसी विनियामक या बाजार मुद्दों के संबंध में अध्यक्ष को सलाह देना जो उसके कार्य क्षेत्र में व्यवसाय के स्तर को संभवतः प्रभावित कर सकता है ।
- * बीमाकों के वैश्विक सम्मेलन के लिए इसके कार्य क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त गुणवत्ता पेपर्स तथा प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी होगा।

3.5.14 व्यक्ति बीमा संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री मयूर अंकोलेकर	अध्यक्ष
2	श्री भरत वेंकटरमणी	सचिव
3	सुश्री शुभा नीलकांतन	सदस्य
4	श्री कमलेश गुप्ता	सदस्य

कार्य

- * एम आइ एम एफ के संबंध में उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए उत्तरदायी होगा जो उसे भेजे जाते हैं या जिसे समूह उपयुक्त कार्रवाई के लिए अध्यक्ष/परिषद को भेजना तथा उनकी सलाह लेना उपयुक्त समझता है।
- * उन बीमांकिक व्यावहारिक मानदंडों (मार्गदर्शी टिप्पणियों) को व्यवहार में लाने तथा समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा जो संस्थान के उन सदस्यों के लिए अपेक्षित हैं जो एम आइ एम एफ में काम करते हैं।

- * एम आइ एम एफ में व्यवसाय के सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए सेमीनारों तथा कार्यशालाओं-सहित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की डिजाइन तैयार करना और कार्यान्वित करना।
- * भारत के भीतर और बाहर एम आइ एम एफ उद्योग को प्रभावित करनेवाले उभर रहे व्यावसायिक मुद्दों के संबंध में जानकारी रखना और संस्थान को सलाह देना।
- * भारत के भीतर और बाहर एम आइ एम एफ उद्योग को प्रभावित करनेवाले उभर रहे कारबार तथा उद्योग के मुद्दों के संबंध में जानकारी रखना और संस्थान को सलाह देना।
- * किसी ऐसे विनियामक या बाजार मुद्दों के संबंध में संस्थान को सलाह देना जो व्यवसाय के स्तर को संभवतः प्रभावित कर सकता है।

3.5.15 वैश्विक बीमांकिक कार्य-संबंधी सलाहकार समूह

सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री अंकुर अग्रवाल	अध्यक्ष
2	श्री राजीव मुखर्जी	सचिव
3	श्री अमित मेहरा	सदस्य
4	श्री अमित कुमार	सदस्य
5	श्री संदीप पाटिल	सदस्य
6	श्री इरविन्दर कोहली	सदस्य
7	श्री श्रीनिवास श्रीपेरुम्बुदुरी	सदस्य
8	श्री संदीप नारंग	सदस्य
9	श्री वैभव त्यागी	सदस्य
10	श्री अंकित मित्तल	सदस्य

कार्य

- * भारत में किए जा रहे वैश्विक बीमांकिक कार्य के संबंध में उन मुद्दों को उठाने के लिए उत्तरदायी होगा जो इसे भेजे जाते हैं या उपयुक्त कार्यवाई के लिए संस्थान को संबोधित करने तथा उसकी राय के लिए समूह उपयुक्त समझता है।
- * उन मुद्दों के लिए उत्तरदायी होगा जिन्हें आइ ए आइ द्वारा सुलझाना अपेक्षित है ताकि बीमांकिक सेवा प्रदान करने की क्षमता बढ़ाई जा सके।
- * वैश्विक बीमांकिक इकाइयों में काम कर रहे बीमांकिक स्टाफ के कौशल को बढ़ाने के लिए सेमीनारों तथा कार्यशालाओं-सहित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना और उसे आगे बढ़ाना ।
- * भारत के भीतर वैश्विक बीमांकिक इकाइयों को प्रभावित करनेवाले उभर रहे मुद्दों के बारे में जानकारी रखना और संस्थान को सलाह देना ।
- * भारतीय बीमांकिक व्यवसाय की प्रतिष्ठा को संभवतः प्रभावित करनेवाले किसी ऐसे विनियामक या बाजार मुद्दों के बारे में संस्थान को सलाह देना।
- * बीमांकिक कार्य करते रहने के लिए वरीयताप्राप्त गंतव्य के रूप भारत को आगे बढ़ाना ।

4. परीक्षा

4.1 मई/नवंबर परीक्षा का विश्लेषण

मई 2013 परीक्षा का विश्लेषण				
विषय	मई 2013 परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार	मई 2013 परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार	अंतिम उत्तीर्ण	अंतिम उत्तीर्ण (%)
सीटी 1	1193	801	156	19%
सीटी 2	891	595	121	20%
सीटी 3	1079	734	236	32%
सीटी 4	419	252	28	11%
सीटी 5	506	360	62	17%
सीटी 6	459	281	57	20%
सीटी 7	780	556	249	45%
सीटी 8	338	207	31	15%
सीए 1	143	107	19	18%
एसटी 1	75	53	5	9%
एसटी 2	128	93	17	18%
एसटी 4	36	19	2	11%
एसटी 5	44	30	4	13%
एसटी 6	23	15	0	0%
एसटी 7	49	35	3	9%
एसटी 8	39	30	5	17%
एसए 1	20	18	2	11%
एसए 2	47	29	2	7%
एसए 3	17	12	0	0%
एसए 4	15	11	2	18%
एसए 5	11	7	1	14%
एसए 6	9	8	3	38%
योग	6321	4253	1005	24%

नवंबर 2013 परीक्षा का विश्लेषण				
विषय	नवंबर 2013 परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार	नवंबर 2013 परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार	अंतिम उत्तीर्ण	अंतिम उत्तीर्ण (%)
सीटी 1	1219	864	139	16%
सीटी 2	942	651	217	33%
सीटी 3	1089	740	78	11%
सीटी 4	451	38	5	13%
सीटी 5	489	322	56	17%
सीटी 6	475	305	44	14%
सीटी 7	774	549	196	36%
सीटी 8	337	195	19	10%
सीए 1	141	116	20	17%
एसटी 1	67	51	9	18%
एसटी 2	115	83	14	17%
एसटी 4	36	25	4	16%
एसटी 5	44	34	0	0%
एसटी 6	19	11	3	27%
एसटी 7	41	29	5	17%
एसटी 8	33	24	3	13%
एसए 1	21	19	4	21%
एसए 2	50	35	3	9%
एसए 3	16	15	1	7%
एसए 4	12	10	0	0%
एसए 5	9	7	0	0%
एसए 6	10	7	0	0%
योग	6390	4130	820	20%

5. ए सी ई टी

5.1 ए सी ई टी 5 (दिसंबर 2013)

अर्हतावार आँकड़े

अर्हतावार आँकड़े	पंजीकृत	परीक्षा में उपस्थित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण %
इंजीनियर	406	332	211	63.55%
स्नातक	627	509	160	31.43%
एच एस सी	938	864	445	51.50%
सूचना प्रौद्योगिकी	9	8	3	37.50%
सी ए,सी एस,आइ सी डब्ल्यू ए, सी एफ ए	269	176	42	23.86%
एम बी ए	333	210	62	29.52%
अन्य	630	502	216	43.03%
सकल योग	3212	2601	1139	43.79%

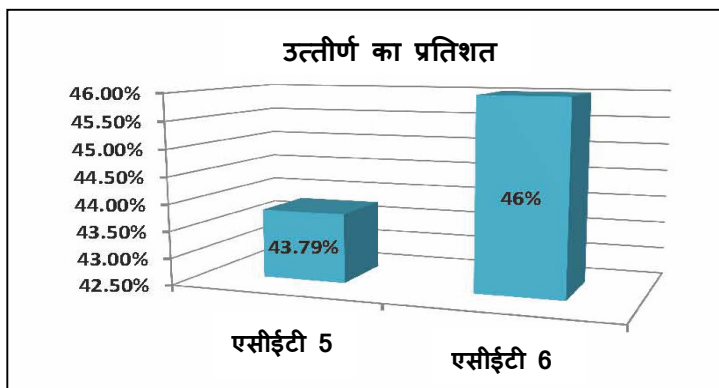
5.2 ए सी ई टी 6 (जून 2014)

अर्हतावार आँकड़े

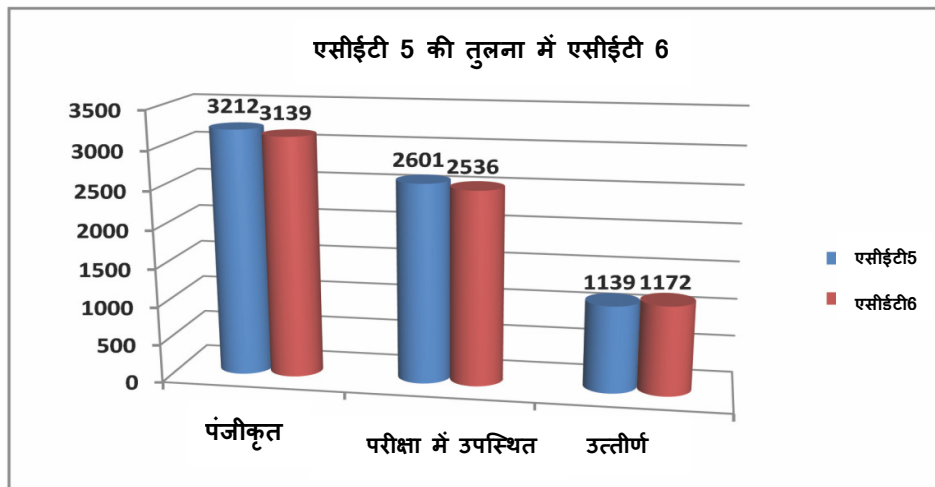
अर्हतावार आँकड़े	पंजीकृत	परीक्षा में उपस्थित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण %
इंजीनियर	421	320	211	66%
स्नातक	488	409	138	34%
एच एस सी	961	858	431	50%
सूचना प्रौद्योगिकी	8	7	4	57%
सी ए,सी एस,आइ सी डब्ल्यू ए, सी एफ ए	214	135	31	23%
एम बी ए	272	180	59	33%
अन्य	775	627	298	48%
सकल योग	3139	2536	1172	46%

5.3 उत्तीर्ण का प्रतिशत - एसीईटी 5 की तुलना में एसीईटी 6

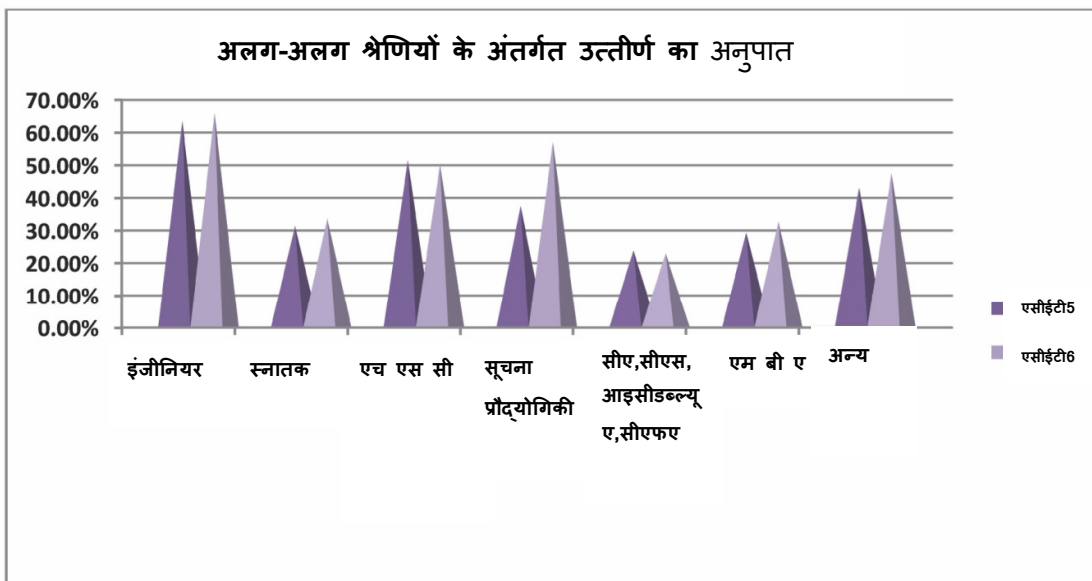
उत्तीर्ण का प्रतिशत



5.4 परीक्षा में उपस्थित, पंजीकृत एवं उत्तीर्ण का प्रतिशत - एसीईटी 5 की तुलना में एसीईटी 6



5.5 अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत उत्तीर्ण का प्रतिशत - एसीईटी 5 की तुलना में एसीईटी 6



6. इनाम और पुरस्कार

6.1 अकादमिक उत्कृष्टता

वर्ष 2013 में आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त सर्वाधिक अंकों के आधार पर 17 फरवरी 2014 को रेनैसॉ मुंबई कान्वेन्शन सेन्टर होटल, मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में 16वें जी सी ए के दौरान निम्नलिखित अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। इस पुरस्कार में वैयक्तिक ट्राफी तथा प्रत्येक को 10,000/- रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।

कैलेंडर वर्ष 2013 के लिए अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार

क्र.सं.	अकादमिक उत्कृष्टता	विषय	विजेता का नाम (सदस्यता आई डी)	बैच
1	आर एस ए समूह निगम केंद्र अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	सीए 2 - मॉडल प्रलेखीकरण विश्लेषण और रिपोर्टिंग	अभिषेक पटोदिया (4655)	फरवरी 2013
2	आर एस ए समूह निगम केंद्र अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	सीए 2 - मॉडल प्रलेखीकरण विश्लेषण और रिपोर्टिंग	अंशुल भूषण (9648)	जून 2013
3	आर एस ए समूह निगम केंद्र अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	सीए 2 - मॉडल प्रलेखीकरण विश्लेषण और रिपोर्टिंग	नेहा अगरवाल (8065)	अक्टूबर 2013
4	बिरला सन लाइफ अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	सीए 3-संचार	हिमांशु गर्ग (10193)	अप्रैल 2013
5	बिरला सन लाइफ अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	सीए 3-संचार	रामनाथ शेनाय (5782)	अगस्त 2013
6	बिरला सन लाइफ अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	सीए 3-संचार	आदित्य अजमणि (596)	दिसंबर 2013

कैलेंडर वर्ष 2013 के लिए अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार

क्र.सं.	अकादमिक उत्कृष्टता	विषय	विजेता का नाम (सदस्यता आइ डी) मई 2013 के लिए	विजेता का नाम (सदस्यता आइ डी) नवंबर 2013 के लिए
1	टाटा आइ ए आइ लाइफ अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	सीए 1 - बीमांकिक जोखिम प्रबंधन	राहुल खंडेलवाल गुप्ता (3222)	ऋचा गुप्ता (18382)
2	मिलिमेन अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसटी 1 - स्वास्थ्य तथा रक्षा बीमा	कपिल अगरवाल (509)	वंदना बालूनी (927)
3	मैक्स लाइफ अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसटी2 - जीवन बीमा	पुष्प अगरवाल (22000)	नेहा अगरवाल (8065)
4	मरसर परामर्शी अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसटी4- पेंशन तथा अन्य कर्मचारी हितलाभ	कृति कमलेश पटेल (4607)	रामानुज बंशीलाल भंगडिया (1088)
5	जार्डिन लायड थामसन अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसटी5 - वित्त एवं निवेश - ए	रोहित अजगांवकर (594)	कोई उम्मीदवार पास नहीं हुआ
6	जार्डिन लायड थामसन अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसटी6 - वित्त एवं निवेश -बी	कोई उम्मीदवार पास नहीं हुआ	अजय शेखर (8588)
7	टावर वाटसन अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसटी 7- साधारण बीमा: आरक्षण एवं पूँजी माडलिंग	रूपाली भार्गव (1112)	मनीष यादव (22107)
8	दिवंगत सुशील देव चटर्जी अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसटी 8- साधारण बीमा: मूल्य निर्धारण	गौरव मल्होत्रा (3755)	शांतनु गौड़ (2020)
9	भारतीय जीवन बीमा अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसए 1-स्वास्थ्य एवं रक्षा बीमा	खुशबू हमीरबेसिया (10557)	वंदना बालूनी (927)
10	आर जी ए पुनर्बीमा अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसए 2 -जीवन बीमा	सचिन गर्ग (10198)	ए वी रमणन (4992)
11	म्युनिख रे इंडिया अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एसए 3 - साधारण बीमा	कोई उम्मीदवार पास नहीं हुआ	गौरव मल्होत्रा (3755)
12	के ए पंडित परामर्शी बीमांकक स्मारक अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एस ए4- पेंशन एवं अन्य कर्मचारी हितलाभ	शुचि जिंदल (2869)	कोई उम्मीदवार पास नहीं हुआ
13	के पी एम जी अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एस ए5- वित्त	अंचित कालरा (2986)	कोई उम्मीदवार पास नहीं हुआ
14	जेन रे अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार	एस ए6-निवेश	रोहित अजगांवकर (594)	कोई उम्मीदवार पास नहीं हुआ

7. सम्मेलन /सेमीनार तथा कार्यशाला

क्र.सं.	ब्योरा	तारीख	स्थान
1	आइ एफ आर एस के संबंध में कार्यशाला	06 सितंबर 2013	होटल सी प्रिंसेस, मुंबई
2	पेंशन एवं सेवानिवृत्ति हितलाभ में 9वाँ वर्तमान मुद्दे (सी आइ आर बी)	08 अक्टूबर 2013	होटल आर्किड, मुंबई
3	जीवन बीमा में 9वाँ वर्तमान मुद्दे (सी आइ एल ए)	29 नवंबर 2013	होटल आर्किड, मुंबई
4	संभाव्यता सिद्धांत एवं जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए नवीन गणितशास्त्र में दूसरा क्षमता-निर्माण कार्यक्रम (फ्रैंक अशे द्वारा)	30 नवंबर 2013	होटल सी प्रिंसेस, मुंबई
5	20वां भारत अध्येतावृत्ति सेमीनार (आइ एफ एस)	4-6 दिसंबर 2013	होटल सी प्रिंसेस, मुंबई
6	उद्यम जोखिम प्रबंधन पर दूसरा सेमीनार (ई आर एम)	11 दिसंबर 2013	डबल ट्री बाइ हिल्टन, गुडगाँव
7	स्वास्थ्य रक्षा बीमा में दूसरा क्षमता निर्माण सेमीनार	12 दिसंबर 2013	डबल ट्री बाइ हिल्टन, गुडगाँव
8	साधारण बीमा में वर्तमान मुद्दों पर दूसरा सेमीनार	18 दिसंबर 2013	होटल सी प्रिंसेस, मुंबई
9	साधारण बीमा में चौथा क्षमता निर्माण सेमीनार	19 दिसंबर 2013	होटल सी प्रिंसेस, मुंबई
10	कार्यशाला 1: इकोनामिक सिनेरिओ जेनरेटर ई एस जी (फ्रैंक अशे द्वारा)	02 मई 2014	होटल आर्किड, मुंबई
11	कार्यशाला 2: व्यापक बीमांकिक जोखिम मूल्यांकन (फ्रैंक अशे द्वारा)	03 मई 2014	द चांसेरी, बेंगलुरु
12	कार्यशाला 3: संभाव्यता सिद्धांत माडलिंग और ए एल एम (फ्रैंक अशे द्वारा)	05 मई 2014	डबल ट्री बाइ हिल्टन, गुडगाँव
13	21वां भारत अध्येतावृत्ति सेमीनार और एल डी पी	12-14 जून 2014	होटल सी प्रिंसेस, मुंबई
14	कर्मचारी हितलाभ और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों (पेंशन) में ब्याज दर पहलुओं के संबंध में पहला क्षमता निर्माण सेमीनार	20 जून 2014	होटल सी प्रिंसेस, मुंबई
15	अनुसंधान एवं माडलिंग कौशल की प्रस्तावना के संबंध में 5वां क्षमता निर्माण सेमीनार	08 अगस्त 2014	होटल सी प्रिंसेस, मुंबई
16	जीवन बीमा कंपनियों में जोखिम प्रबंधन के मुख्य दृष्टिकोण के संबंध में पहला क्षमता निर्माण सेमीनार	09 अगस्त 2014	द क्लब, मुंबई
17	तीसरा आइ ए आइ कनेक्ट	20 अगस्त 2014	होटल एवीअन, मुंबई
18	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	22-23 अगस्त 2014	होटल एवीअन, मुंबई

8. पुस्तकालय

आइ ए आइ का पुस्तकालय बहुत अनूठा है। इसमें विशिष्ट किस्म की पुस्तकें हैं जिनसे आवश्यक सूचना प्राप्त होती है तथा बीमांकिक परीक्षा के लिए अध्ययन करने वालों को इससे मार्गदर्शन मिलता है।

संस्थान का पुस्तकालय वह केंद्र स्थल है जहाँ रुचिवाले विषय के बारे में और अध्ययन करने की सामग्री मिल जाती है। आइ ए आइ की सदस्यता में बढ़ोतरी के साथ-साथ पुस्तकालय की सदस्यता भी बढ़ रही है। आज की तारीख में पुस्तकालय की सदस्यता लगभग 2500 है और इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह विषयवार किया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या के बारे में वर्ष में दो बार जांच की जाती है ताकि उनकी संख्या ठीक रहे।

पुस्तक-संस्तुति फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसमें मांगकर्ता अपनी मांग भर सकता है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे पुस्तकालय को भेज सकता है। पुस्तकों के शीर्षक संसार के कोने-कोने से मंगाए जाते हैं।

परिचालन तथा पाठक सेवा:

पुस्तकालय रुचि के विषयों में और अध्ययन के लिए सामग्री प्राप्त करने का अभिगम केंद्र है।

- क) जो सदस्य पुस्तकालय की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं वे [library @ actuariesindia.org](mailto:library@actuariesindia.org) को पुस्तकालय सदस्यता फार्म भेज सकते हैं।
- ख) सदस्य एक बार में दो पुस्तकें ले सकते हैं। मुंबई स्थित सदस्य एक पुस्तक अधिकतम 15 दिन के लिए तथा बाहर के सदस्य 21 दिन तक के लिए कोई पुस्तक ले सकते हैं।
- ग) मुंबई स्थित सदस्यों को पुस्तक लेने के लिए स्वयं आना होगा। बाहर के सदस्य ई-मेल के जरिए अपना अनुरोध भेज सकते हैं और उन्हें पुस्तक कूरियर से भेज दी जाएगी।
- घ) पुस्तक की अवधि बढ़ाने के लिए फोन या ई-मेल या व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जा सकता है। मांग के अनुसार उसी व्यक्ति को वही पुस्तक और दो सप्ताह के लिए पुनः दी जा सकती है।
- ङ) नियत तारीख से पहले और 15 दिन के लिए केवल एक बार पुस्तक दोबारा जारी की जा सकती है बशर्ते कि उसकी मांग हो। विलंब से पुस्तक लौटाने पर 10/- रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा।
- च) परिचालन से बाहर की किसी पुस्तक को कोई सदस्य आरक्षित करा सकता है और जैसे ही पुस्तकालय में ऐसी पुस्तक लौटाई जाती है, उसकी सूचना उस सदस्य को ई-मेल या फोन से दी जाती है।
- छ) केवल संदर्भ के काम आनेवाले दस्तावेज पुस्तकालय में देखने को मिल सकते हैं और अनुरोध किए जाने पर उनके अपेक्षित अंश की फोटोकॉपी कराई जा सकती है।
- ज) सदस्यों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पुस्तकालय में पुस्तकें अच्छी हालत में लौटाई गई हैं। ऐसा न करने पर उन्हें पुस्तक की लागत देनी होगी या उस पुस्तक की एक नई प्रति उसे पुस्तकालय को देनी होगी।
- झ) लिबसिस (LIBSYS) : पुस्तकालय साफ्टवेयर : वेब ओपैक (Web - OPAC) की प्रक्रिया जारी है। इससे सदस्यों को पुस्तकालय की पुस्तक सूची (कैटलाग) आनलाइन ब्राउज करने में सहायता मिलेगी।
- ञ) पुस्तक समीक्षाएं भी अनुसंधान तथा प्रकाशन लैब के अंतर्गत वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अंतिम ए जी एम से 31 जुलाई 2014 तक पुस्तकालय में शामिल नई पुस्तकें

क्र.सं.	विषय	पुस्तक शीर्षक	लेखक
1	विधि और विधान	इन्सुरेंस लॉ मैनुअल विद आइआरडीए गाइडलाइंस	आइ आर डी ए (इरडा)
2	विधि और विधान	राइट टु इन्फार्मेशन: लॉ एंड प्रैक्टिस	वर्मा, आर के
3	विधि और विधान	आर टी आइ के लिए पी आइ ओ की गाइड	वर्मा, आर के
4	साधारण बीमा	क्रिएटिंग वैल्यू इन जनरल इन्सुरेंस	एन्जिफ
5	वित्त	द वोलेटिलिटी सरफेस	कैथेरल, जिम
6	वित्त	ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स	हल जॉन सी
7	वित्त	डेरिवेटिव्स मार्केट	मैकडोनाल्ड, रॉबर्ट एल
8	अधिनियम, विधि तथा विनियम	इनकम टैक्स ऐक्ट 2013	
9	वित्त	क्वान्टिटेटिव फाइनेन्स वैल्यूम 1	विलमॉट, पी
10	वित्त	क्वान्टिटेटिव फाइनेन्स वैल्यूम 2	विलमॉट, पी
11	वित्त	क्वान्टिटेटिव फाइनेन्स वैल्यूम 3	विलमॉट, पी
12	वित्त	डिस्काउन्ट रेट्स इन फाइनेन्सियल रिपोर्टिंग: अ प्रैक्टिकल गाइड	आइ ए ए
13	निवेश	इनवेस्टमेंट एनैलिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट	चंद्र, पी
14	मनोविज्ञान	बेसिक काउन्सलिंग स्किल	नेल्सन, आर
15	जोखिम प्रबंधन	कॉरपोरेट वैल्यू ऑफ एन्टरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट	सेगल,एस
16	बीमा	इन्ट्रोडक्शन टु रेटमेकिंग एंड लॉस रिजर्विंग फॉर प्रापर्टी एंड कैजुअल्टी इन्सुरेंस	ब्राउन, आर एल
17	मनोविज्ञान	मास्टरिंग काउन्सलिंग स्किल्स	जेनी
18	मनोविज्ञान	काउन्सलिंग स्किल्स: अ प्रैक्टिकल गाइड	मैकलियोड, जे
19	मनोविज्ञान	टाइम-लिमिटेड काउन्सलिंग	फेल्थम, सी
20	निवेश	इनवेस्टमेंट प्रिंसीपल्स फॉर ऐक्चुअरीज	फिटजरबर्ट, आर
21	बीमांकिक विज्ञान	अंडरस्टैंडिंग ऐक्चुरिअल मैनेजमेंट: द ऐक्चुरिअल कंट्रोल साइकिल	बेलिस, सी

9. अनुसंधान

वर्ष को दौरान, अनुसंधान विभाग को एच आइ वी संक्रमण से प्रभावित लोगों से संबंधित बाहरी परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिला है। चूंकि यह कार्य जनहित में योगदान का कार्य था, इसलिए यह संभव हो सका। एड्स नियंत्रण विभाग (डी ए सी) द्वारा गठित कार्यचालन समूह में व्यवसाय का प्रतिनिधित्व संभव होने से " पी एल एच आइ वी और एच आइ वी संक्रमण से प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य एवं अन्य बीमा" संबंधी मामले में तकनीकी समर्थन एवं मार्गदर्शन मिला। नाको (एन ए सी ओ) के सहयोग से हमने पी एल एच आइ वी से संबंधित दो अध्ययनों का काम पूरा किया है और रिपोर्टें तैयार की हैं, अर्थात् "एच आइ वी से प्रभावित लोगों की अनुकूल जनांकिक प्रोफाइल तथा उनकी मेडिकल जरूरतें" और " पी एल एच आइ वी समूह की मृत्युसंख्या भिन्न कैसे है?" भारत में अपने किस्म की ये पहली रिपोर्टें हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइ आर डी ए) ने इन रिपोर्टों का इसलिए उल्लेख किया है ताकि भारत में बीमा कंपनियों द्वारा हामीदारी अंकन मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके।

निजी क्षेत्रों में वेतन संबंधी उतार-चढ़ाव को समझने के लिए भारत में कई अध्ययन नहीं किए गए हैं। पेंशन, उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण-जैसे सेवांत हितलाभों के विषय में कंपनियों द्वारा प्रावधान करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसका महत्त्व है। परामर्शी बीमांकक इस प्रकार की निधियां जुटाने तथा उनकी रिपोर्टिंग गतिविधियों और निजी क्षेत्र के वेतन की प्रवृत्तियों के बारे में व्यापक समझ की इच्छा भी रखते हैं। अनुसंधान विभाग ने एक अध्ययन की शुरुआत की है और "भारतीय निजी क्षेत्र में वेतन वृद्धि की प्रवृत्तियों की समझ" के संबंध में एक पेपर प्रकाशित किया है जो जनता के लिए प्रोफेशनल्स वेबसाइट पर उपलब्ध है।

व्यवसाय के छात्र सदस्यों में अनुसंधान के प्रति अभिवृत्ति तथा रुझान की आदत डालने के लिए, "छात्र अनन्य" नामक एक अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसमें छात्रों को अनुसंधान के विषयों का प्रस्ताव, विशेषकर बीमांकिक व्यवसाय में नए छात्रों को ध्यान में रखकर, दिया गया है। छात्रों ने इसमें काफी बढ़-चढ़कर भाग लिया और उन्होंने कई पेपर प्रस्तुत किए जिससे शुरु किए गए इस कार्यक्रम का प्रयोजन सिद्ध हो गया।

अलग-अलग प्रयोजनमूलक क्षेत्रों के सलाहकार समूहों ने अनुसंधान टीम को विषय दिए हैं जिनमें से तीन परियोजनाओं को इस अवधि में हमने अपने हाथ में लिया। "भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (1947-2013) में वेतनमान का अध्ययन" इन सबमें सर्वाधिक प्रमुख है। इसमें स्वतंत्रता के बाद की अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वेतन-प्रतिमान (पैटर्न) का विस्तृत अध्ययन शामिल है और इनमें से यह अपने किस्म का अकेला है। इसमें अनेक शेरधारक हैं जिन्हें इस रिपोर्ट से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। यह रिपोर्ट प्रकाशित होनेवाली है।

भारत में जीवनेतर बीमा कंपनियां बाजार में औसतन 7 वर्षों से काम कर रही हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के प्रस्ताव के विषय में 2007 तक वे प्रशुल्क-दर के अधीन थीं। प्रीमियम दरों पर से प्रशुल्क-दर हटाने तथा बाद में बीमाकर्ताओं के कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए " भारतीय जीवनेतर बीमा उद्योग में हामीदारी अंकन आवर्तन" के संबंध में एक अध्ययन अनुसंधान विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचना का उपयोग करके किया है। यदि समीक्षा प्रक्रिया में इस रिपोर्ट के निष्कर्ष उपयोगी पाए गए तो यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

10. एम एम आइ सी

वर्ष के शुरू में एम एम आइ सी का स्थानांतरण आइ आइ बी में कर दिया गया और संस्थान द्वारा शुरु किए गए मृत्युसंख्या एवं रुग्णता के अन्वेषण कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारियां इस समय उन्हें सौंप दी गई हैं।

11. 2013-2014 के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

1. तुलनपत्र

क) न्यास निधि तथा आधारभूत निधि में लगभग 46.01 % की वृद्धि हुई है।

ख) चालू देयताओं में लगभग 29.44% की कमी हुई है।

ग) निवेश आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई जिससे यह पता चलता है कि अपेक्षाकृत अधिक निवेश निधि अर्जित हुई और अपेक्षाकृत ज्यादा निवेशयोग्य निधि भी प्राप्त हुई। निवेश आय में 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। कुल निवेश राशि में 2.83 करोड़ की वृद्धि होकर वह 19.7 करोड़ रुपए से बढ़कर 22.53 करोड़ हो गई।

घ) ऋण एवं अग्रिम की राशि में 20.98% की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी उपचित ब्याज के कारण हुई किंतु निवेशों पर वह देय नहीं है (वृद्धि 26.67%) और आयकर प्राधिकरण से वसूली के लायक स्रोत पर कर कटौती (कमी -2.90%) है। वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए आयकर विभाग से प्राप्त राशि में यह कमी स्रोत पर कर कटौती के कारण क्रमशः 10.45 लाख रुपए तथा 13.43 लाख रुपए है।

2. आय तथा व्यय

- * कुल आय में 21.13% की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह 32% की थी।
- * वर्ष 2013-2014 में सृजित वास्तविक अधिशेष में 102.95% की वृद्धि हुई थी जबकि विगत वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 2.58% ही थी।
- * शिक्षा तथा परीक्षा सेवाओं से होनेवाली आय पिछले 2013 वर्ष की तुलना में 16.80% बढ़ी।
- * शैक्षिक सेवा तथा परीक्षा शुल्क के माध्यम से जो राजस्व प्राप्त हुआ वह कुल राजस्व का 66.02% था।
- * जी सी ए से प्राप्त निवल आय 71.46 लाख रुपए से बढ़कर 138.11 लाख रुपए हो गई।
- * पिछले वर्ष की तुलना में कुल खर्च (लेखा परीक्षा शुल्क तथा मूल्यहास को छोड़कर) में लगभग 1.64% की वृद्धि हुई जो संस्थान के ऊपरी खर्चों पर कठोर नियंत्रण को दर्शाते हैं।
- * विगत वर्ष की तुलना में वेतन वृद्धि 12.74% की थी।
- * निम्नलिखित के खर्चों में कमी हुई है:

सेमीनार	रुपए 54 लाख	39%
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	रुपए 6 लाख	70%
कार्यालय एवं सामान्य	रुपए 3.68 लाख	53%
डाक टिकट, कूरियर एवं टेलीफोन	रुपए 1.29 लाख	20%
यात्रा एवं वाहन	रुपए 0.93 लाख	69%

12. आभार

भारतीय बीमांकक संस्थान का स्टाफ निरंतर कठोर परिश्रम करता रहा और सतत बढ़ रहे कार्यभार के साथ कदम-से-कदम मिलाते हुए उसने उच्च स्तर की वचनबद्धता का प्रदर्शन किया।

विभिन्न समितियों तथा सलाहकार समूहों ने पूरे वर्ष - भर अपना योगदान दिया तथा व्यावसायिकता का अत्यंत उच्च मानदंड अपनी गतिविधियों से प्रकट किया।

परीक्षकों तथा अंक देनेवालों (मार्करों) ने परीक्षाओं के संचालन में अपना योगदान दिया जिससे एक विश्वसनीय व्यावसायिक परीक्षा-निकाय के रूप में भारतीय बीमांकक संस्थान की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला।

भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद के लेखों से संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय बीमांकक संस्थान

1. हमने 31 मार्च 2014 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखे के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त भारतीय बीमांकक संस्थान के संलग्न तुलनपत्र की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देने तक सीमित है।
2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस तर्कसंगत आश्वासन के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, परीक्षण-आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकट की गई जानकारी के समर्थन के साक्ष्य की जांच भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के अनुमान समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन के साथ शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का एक तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।
3. हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमें वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
 - (ख) हमारी राय में बीमांकक अधिनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप लेखे रखे गए हैं;
 - (ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे खाता-बहियों के अनुरूप हैं;
 - (घ) हमारी राय में, तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखा लेखांकन मानकों के अनुसार हैं;
 - (ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त लेखे तथा उनके संबंध में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित ये लेखे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही-सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:
 - i) 31 मार्च, 2014 को संस्थान के कार्यों की स्थिति के तुलनपत्र के बारे में और
 - ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता वाले आय एवं व्यय लेखे के विषय में।

कृते और की ओर से
 खांडवाला एंड शाह
 सनदी लेखाकार
 (फर्म सं.105069डब्ल्यू)

ह/-

(प्रेमल पी. गाँधी)
 भागीदार
 सदस्यता सं. 45462

स्थान: मुंबई
 दिनांक: 21 जून 2014

भारतीय बीमांकक संस्थान

31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र

31.03.13 को	निधियां एवं देयताएं	अनुसूची	31.03.14 को	31.03.13 को	संपत्ति एवं परिसंपत्तियां	अनुसूची	31.03.14 को
8,05,42,424.10	पूँजी एवं आरक्षित निधियाँ	"क"	11,76,02,105.43	3,33,69,490.00	अचल परिसंपत्तियां तथा काम चालू है	"छ"	3,35,18,176.00
62,62,970.00	इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियां	"ख"	66,69,629.00	19,70,45,754.32	निवेश	"ज"	22,52,90,027.23
14,32,41,206.51	उद्दिष्ट धर्मादा निधि	"ग"	15,78,37,942.00	29,12,833.75	चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम : क) नकदी एवं बैंक शेष	"झ"	53,29,655.24
39,14,738.00	अन्य उद्दिष्ट निधियां	"घ"	52,37,242.00	24,10,884.40	ख) विविध देनदार	"ञ"	72,671.00
60,20,242.00	जमानती ऋण	"ड"	-	81,76,371.27	ग) ऋण एवं अग्रिम	"ट"	97,12,467.28
3,36,35,761.57	चालू देयताएं	"च"	2,37,34,128.05	2,83,18,666.81	घ) निवेश पर उपचित ब्याज	"टक"	3,60,52,268.77
				13,83,341.63	भारतीय बीमांकक संस्थान- मृत्युसंख्या और रुग्णावस्था अन्वेषण केंद्र (एमएमआईसी)	"चक"	11,05,780.96
27,36,17,342.18	योग रु.		31,10,81,046.48	27,36,17,342.18	योग रु.		31,10,81,046.48

लेखे तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए टिप्पणियां 'ध'

सम संख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खांडवाला एवं शाह

सनदी लेखाकार

ह/-

प्रेमल पी. गांधी

भागीदार

सदस्य संख्या 45462

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21 जून 2014

कृते भारतीय बीमांकक संस्थान

ह/-

एम करुणानिधि

अध्यक्ष

ह/-

के. एस. गोपालकृष्ण

उपाध्यक्ष

ह/-

राजेश डालमिया

मानद सचिव

भारतीय बीमांकक संस्थान

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखे

समाप्त वर्ष			समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	आय	अनु.	समाप्त वर्ष
31.03.2013	व्यय	अनु	31.03.2014	31.03.2013			31.03.2014
76,590,669.62	संस्थान के खर्च	"ठ"	77,849,390.86	18,841,589.08	निवेश पर ब्याज:	"ड"	20,868,981.66
				15,900,927.59	बचत बैंक खाता पर और बैंकों तथा सार्वजनिक निगमों के यहां मीयादी जमा राशियों पर घटाइए:विशिष्ट निधियों को अंतरित	"ढ"	15,786,804.49
1,34,832.00	लेखा परीक्षा शुल्क		120,000.00	2,940,661.49			5,082,177.17
39,326.00	आंतरिक लेखापरीक्षा-शुल्क		35,000.00				
	सांविधिक लेखा परीक्षा- शुल्क			66,164,712.93	शैक्षिक सेवाएं एवं परीक्षा शुल्क	"ण"	77,279,434.79
10,27,600.00	मूल्यहास	'छ'	807,723.00	5,241,681.52	सदस्यों का अंशदान	"त"	10,032,073.48
				21,765,283.00	सेमीनार शुल्क	"थ"	23,185,134.36
1,88,42,218.47	अधोनीत शेष		38,240,109.33	522,307.15	अन्य आय	"द"	1,473,403.39
9,66,34,646.09	योग रु.		117,052,223.19	96,634,646.09	योग रु.		117,052,223.19
15,000,000.00	भवन निधि को अंतरित		0.00		अधोनीत शेष		38,240,109.33
3,842,218.47	सामान्य निधि को अंतरित वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता		38,240,109.33	18,842.218.47			
18,842,218.47	योग रु.		38,240,109.33	18,842.218.47	योग रु.		38,240,109.33

लेखे तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए टिप्पणियां 'ध'

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खांडवाला एवं शाह

सनदी लेखाकार

ह/-

प्रेमल पी. गांधी

भागीदार

सदस्य संख्या 045462

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21 जून 2014

कृते भारतीय बीमांकक संस्थान

ह/-

एम.करुणानिधि

अध्यक्ष

ह/-

के.एस.गोपालकृष्णन

उपाध्यक्ष

ह/-

राजेश डालमिया

मानद सचिव

भारतीय बीमांकक संस्थान			
31.03.2014 को तुलनपत्र की अनुसूचियां			
31-03-2013 को	व्योरे	31-03-2014 को	31-03-2014 को
अनुसूची क	पूंजी तथा आरक्षित निधियां		
	क) पूंजी		
	निम्नलिखित द्वारा दान की गई पूंजी :		
325,000.00	i) साधारण बीमा परिषद् की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष	325,000.00	
500,000.00	ii) साधारण भारतीय बीमा निगम	500,000.00	
151,270.00	iii) अन्य निधियां	151,270.00	
976,270.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014	976,270.00	
	ख) सामान्य आरक्षित निधियां		
45,563,935.63	01.04.2012 को शेष <----- > 01 अप्रैल 2013	79,566,154.10	
3,842,218.47	जोड़िए : आय तथा व्यय लेखे से अंतरित	38,240,109.33	
31,175,000.00	जोड़िए : उपयोग के कारण भवन निधि से अंतरित	0.00	
1,000,000.00	घटाइए : छात्र सहयोग स्कीम को अंतरित	1,170,428.00	
15,000.00	घटाइए : बेस्ट थीम अवार्ड (15वीं जी सी ए)	10,000.00	
79,566,154.10	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014	116,625,835.43	
80,542,424.10	योग रु.		117,602,105.43
दिनांक	नाम		राशि
12-08-95	मेसर्स थानावाला कंसल्टेंट्स सर्विस		50,000.00
13-12-95	श्री डी. बसु		1,000.00
27-12-95	श्री एम. सी. चक्रवर्ती		10,000.00
17-01-96	श्री एस.वी. रामास्वामी		1,000.00
23-01-96	श्री एम.एस. वेंकटरमन		2,000.00
01-02-96	श्री एस. पी. सूभेदार		2,500.00
23-02-96	श्री डी. के. लोड्या		1,000.00
26-02-96	श्री जे. एल. स्मित		2,500.00
03-03-96	श्री डी बसु		100.00
19-03-96	श्री एच. एल. भाटिया		10,000.00
19-03-96	श्री बी. पी. गुप्त		6,550.00
31-03-96	श्री ए आर प्रभु		1,000.00
08-05-96	श्री के. वी. वाइ. शास्त्री		1,000.00
15-05-96	श्री टी एस स्वामीनाथन		25,000.00
16-05-96	सुश्री अर्चना त्रिपाठी		300.00
21-05-96	श्री एस. एन. नारायणन		3,320.00
25-06-96	मेसर्स थानावाला कंसल्टेंट्स सर्विस		7,500.00
08-07-96	श्री डी. के. पंडित		10,000.00
21-08-96	श्री एम. वीराबद्रियन		1,000.00
05-12-96	श्री वी. एल. सप्रे		5,000.00
13-12-96	श्री बी. पी. गुप्त (एल.एम.)		10,500.00
	योग रु.		151,270.00

31.03.13 को	ब्योरे	31.03.14 को	31.03.14 को
अनुसूची ख	इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियां :		
	क) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक / इनाम/पुरस्कार निधि (विषय एस ए 2)		
176,363.48	01.04.2012 को शेष <----- > 01 अप्रैल 2013	184,823.00	
18,459.52	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	19,018.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
10,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिए गए इनाम	10,000.00	
184,823.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		193,841.00
	ख) प्रोफेसर (दिवंगत) जी.एस. दीवान 100 वीं वर्षगांठ स्मारक शिक्षा निधि (एसटी1 तथा एसए1 के लिए आर.एम.मेहता द्वारा दिया गया दान)		
248,109.04	01.04.2012 को शेष <----- > 01 अप्रैल 2013	239,066.00	
25,956.96	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	24,600.00	
35,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिए गए इनाम	20,000.00	
239,066.00	01.04.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		243,666.00
	ग) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक छात्रवृत्ति निधि (विषय एस ए 6) (अनुसंधान परियोजना के लिए)		
224,124.65	01.04.2012 को शेष <----- > 01 अप्रैल 2013	237,585.00	
23,460.35	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	24,447.00	
10,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिए गए इनाम	5,000.00	
237,585.00	01.04.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		257,032.00
	घ) प्रोफेसर जी. एस. दीवान जन्म शताब्दी शिक्षा निधि (विषय सीटी 8 के लिए)		
192,576.74	01.04.2012 को शेष <----- > 01 अप्रैल 2013	187,725.00	
20,148.26	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	19,317.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
25,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
187,725.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		197,042.00
	ड) के. आर. तलपडे स्मारक छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सी टी1 के लिए)		
12,192.81	01.04.2012 को शेष <----- > 01 अप्रैल 2013	13,469.00	
1,276.19	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	1,386.00	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
13,469.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		14,855.00
	च) एच. वी. कृष्णमूर्ति इनाम निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)		
42,525.53	01.04.2012 को शेष <----- > 01 अप्रैल 2013	111,345.00	
7,519.47	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	11,457.00	
81,300.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त इनाम निधि	0.00	
20,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
111,345.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		112,802.00
	छ) शांति न्यास धर्मादा निधि : (भारतीय बीमांकक सदस्य द्वारा सर्वोत्तम अनुसंधान/लेख के लिए)		
193,504.76	01.04.2012 को शेष <----- > 01 अप्रैल 2013	174,686.00	
19,787.24	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	17,975.00	
38,606.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	30,000.00	
174,686.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		162,661.00
	ज) आत्माराम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 5 के लिए)		
188,678.39	01.04.2012 को शेष <----- > 01 अप्रैल 2013	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज(अनुसूची (ढ)(क)	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
188,678.39	घटाइए : आत्माराम,छज्जूराम और पार्वती देवी स्मारक छात्रवृत्ति निधि को अंतरित	0.00	
0.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		0.00
1,148,699.00		शेष अयोग्य	1,181,899.00

31.03.13 को	ब्योरे	31.03.14 को	31.03.14 को
1,148,699.00	शेष अग्रणीत		1,181,899.00
	झ) छज्जू राम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 2 के लिए)		
34,024.83	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
34,024.83	घटाइए : आत्माराम, छज्जू राम और पार्वती देवी स्मारक छात्रवृत्ति निधि को अंतरित	0.00	
0.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		0.00
	ञ) पार्वती देवी छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 6 के लिए)		
34,640.63	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
34,640.63	घटाइए : आत्माराम, छज्जू राम और पार्वती देवी स्मारक छात्रवृत्ति निधि को अंतरित	0.00	
0.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		0.00
	ट) कनाडा जीवन छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय एस ए 4 के लिए)		
325,089.19	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	344,117.00	
34,027.81	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	35,410.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
15,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	5,000.00	
344,117.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		374,527.00
	ठ) के.ए.पंडित स्मारक इनाम निधि (विषय एसटी 4 के लिए)		
105,662.73	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	121,719.00	
12,056.27	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	12,525.00	
24,000.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त इनाम निधि	0.00	
20,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
121,719.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		124,244.00
	ड) के. पी. शर्मा इनाम निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)		
40,468.78	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	0.00	
40,468.78	घटाइए : वर्ष के दौरान वापस किया गया धन	0.00	
0.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		0.00
	ढ) जनार्दन पुंडलिक नेरूरकर इनाम निधि : (विषय एसटी 2 के लिए)		
129,164.36	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	122,676.00	
13,511.64	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	12,623.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	750.00	
20,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
122,676.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		126,049.00
	ण) प्रोफेसर आर.एम.जोशी इनाम निधि : (विषय सीटी 7 के लिए)		
130,275.73	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	123,904.00	
13,628.27	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	12,750.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
20,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
123,904.00	31.03.2011 को शेष <----- > 31 मार्च 2012		126,654.00
	त) पीटर एक्स अनुसंधान निधि : (जीवन बीमा के लिए)		
20,592.14	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	22,748.00	
2,155.86	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	2,341.00	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
22,748.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		25,089.00
	थ) पीटर एक्स इनाम निधि (विषय एसटी 7 के लिए)		
52,653.29	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	43,157.00	
5,503.71	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	4,441.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
15,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
43,157.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		37,598.00
1,927,020.00	शेष अग्रणीत		1,996,060.00

31.03.13 को	व्योरे	31.03.14 को	31.03.14 को
1,927,020.00	शेष अग्रानीत		1,996,060.00
	द) जे. आर. जोशी इनाम निधि (विषय सीए 3 के लिए)		
92,591.98	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	102,286.00	
9,694.02	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क))	10,525.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
102,286.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		112,811.00
	ध) के. एस. गोपालकृष्णन तथा लियाकत खान इनाम निधि (विषय सी ए 1 के लिए)		
120,733.81	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	0.00	
15,000.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
8,867.92	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क))	0.00	
144,601.73	घटाइए : भावी बीमांकन इनाम निधि को अंतरित	0.00	
0.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		0.00
	न) दिवंग- मीना सिधवानी बीमांकन शिक्षा निधि (4-5 वर्ष के भीतर अध्येतावृत्ति पूरा करने के लिए)		
184,548.50	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	268,113.00	
60,000.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
23,528.50	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क))	27,589.00	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
268,113.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		295,702.00
	प) दिवंगत आर. एम. मेहता स्मारक निधि		
75,062.64	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	82,922.00	
7,859.36	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क))	8,533.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
82,922.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		91,455.00
	फ) दिवंगत ए.एस.गुप्त इनाम निधि (जून-जुलाई बैंच के एसीईटी परीक्षा के टापर के लिए)		
123,387.69	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	124,983.00	
12,776.31	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क))	12,861.00	
11,181.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	11,575.00	
124,983.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		126,269.00
	ब) प्रिंसिपल पीएनबी जीवन बीमा कंपनी लि-(3 वर्ष के भीतर समापन सह छात्रवृत्ति के लिए)		
2,222,383.43	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	2,455,067.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
232,683.57	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क))	252,626.00	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
2,455,067.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		2,707,693.00
	भ) कमल कुमार नोरंगलाल पोद्दार इनाम निधि (विषय एसटी 5 के लिए)		
127,737.32	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	121,100.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
13,362.68	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क))	12,461.00	
20,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	5,000.00	
121,100.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		128,561.00
	म) दिवंगत डी. बसु इनाम निधि (एसटी 6)		
69,915.66	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	124,275.00	
65,000.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	0.00	
9,359.34	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क))	12,788.00	
20,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	5,000.00	
124,275.00	31.03.2012 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		132,063.00
	य) दिवंगत सुशील देव चटर्जी निधि (एसटी 8-शैक्षिक उत्कृष्टता)		
91,207.97	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	77,089.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
9,256.03	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क))	7,932.00	
23,375.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	23,825.00	
77,089.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		61,196.00
5,282,855.00	शेष अग्रानीत		5,651,810.00

31.03.13 को	व्योरे	31.03.14 को	31.03.14 को
5,282,855.00	शेष अग्रानीत		5,651,810.00
कक) आत्माराम, छज्जूराम और पार्वती देवी स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (सी टी 2)			
0.00	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	131,712.00	
188,678.39	जोड़िए: आत्माराम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि से अंतरित	0.00	
34,024.83	जोड़िए: श्री छज्जूराम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि से अंतरित	0.00	
34,640.63	जोड़िए: श्रीमती पार्वती देवी छात्रवृत्ति धर्मादा निधि से अंतरित	0.00	
14,368.15	जोड़िए: वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची(ढ)(क)	13,553.00	
140,000.00	घटाइए: वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
131,712.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		135,265.00
कख) भावी बीमांकन इनाम निधि (सी ए 1)			
0.00	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	129,274.00	
144,601.73	जोड़िए: के. एस. गोपालकृष्णन तथा एल खान इनाम निधि से अंतरित	0.00	
4,672.27	जोड़िए: वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	13,302.00	
20,000.00	घटाइए: वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
129,274.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		132,576.00
कग) दिवंगत श्रीमती जया एवं श्रीमती कल्या एन. पारिख (दिसं.-जन. बैच के एसीईटी परीक्षा के टापर के लिए)			
0.00	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	130,695.00	
140,000.00	जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
11,877.00	जोड़िए: वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	13,449.00	
21,182.00	घटाइए: वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	13,150.00	
130,695.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		130,994.00
कघ) श्री आर कृष्णास्वामी इनाम निधि- सी टी 1			
0.00	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	235,439.00	
250,000.00	जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
5,439.00	जोड़िए: वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	24,227.00	
20,000.00	घटाइए: वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
235,439.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		249,666.00
कड) श्री आर कृष्णास्वामी इनाम निधि- सी टी 4			
0.00	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	240,442.00	
250,000.00	जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
5,442.00	जोड़िए: वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	24,741.00	
15,000.00	घटाइए: वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
240,442.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		255,183.00
कच) श्रीमती विद्यावती एवं श्रीमती संतोष कुमारी स्मारक छात्रवृत्ति निधि (सी टी 5)			
0.00	1.04.2012 को शेष <----- > 1 अप्रैल 2013	112,553.00	
120,000.00	जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
12,553.00	जोड़िए: वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(क)	11,582.00	
20,000.00	घटाइए: वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	10,000.00	
112,553.00	31.03.2013 को शेष <----- > 31 मार्च 2014		114,135.00
6,262,970.00	योग रु.		6,669,629.00

31.03.13 को	व्योरे	31.03.14 को	31.03.14 को
अनुसूची ग	उद्दिष्ट धर्मादा निधियां		
	क) स्विस रे		
157,211.70	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	173,672.00	
16,460.30	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ख)	17,871.00	
0.00	घटाइए : पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने पर व्यय	0.00	
173,672.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		191,543.00
	ख) स्विस रे : (फर्नीचर)		
444,549.06	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	491,093.00	
46,543.94	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ख)	50,533.00	
0.00	घटाइए : माइयुलर फर्नीचर खरीदने पर व्यय	0.00	
491,093.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		541,626.00
	ग) स्टैंडर्ड लाइफ :		
380,005.64	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	357,606.51	
39,786.36	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ख)	36,797.49	
62,185.49	घटाइए : पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद	56,807.00	
357,606.51	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		337,597.00
	घ) स्टैंडर्ड लाइफ : (फर्नीचर)		
771,020.83	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	851,747.00	
80,726.17	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(ख)	87,645.00	
0.00	घटाइए : माइयुलर फर्नीचर खरीदने पर व्यय	0.00	
851,747.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		939,392.00
	ड) प्रूडेंशियल कार्पोरेशन एशिया लिमि.(किसी एक वर्ष में सर्वोच्च अंक-ईएएसी सम्मेलन)		
2,519,143.79	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	2,782,898.00	
263,754.21	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ख)	286,360.00	
0.00	घटाइए : इस वर्ष में एस ए 2 में सर्वाधिक अंक	85,977.00	
2,782,898.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		2,983,281.00
	च) एचडीएफसी :		
15,175.85	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	16,765.00	
1,589.15	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ख)	1,725.00	
0.00	घटाइए : बीमांकिक डायरेक्टरी के प्रकाशन के लिए दिया गया	0.00	
16,765.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		18,490.00
	छ) सीपीडी/अनुसंधान :		
1,159,383.71	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	1,280,771.00	
121,387.29	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ख)	131,791.00	
0.00	घटाइए : खर्चों को पूरा करने के लिए आइएआइ को अंतरित ब्याज	0.00	
1,280,771.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		1,412,562.00
	ज) जीसीए तथा अनुसंधान निधि :		
12,077,225.25	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	13,341,711.00	
1,264,485.75	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ख)	1,372,862.00	
13,341,711.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		14,714,573.00
	झ) भवन निर्माण निधि :		
126,914,422.13	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	123,944,943.00	
0.00	जोड़िए : पिछले वर्षों की अलग रखी गई राशि अब सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित कर दी गई	0.00	
15,000,000.00	जोड़िए : आय एवं व्यय लेखे से अंतरित	0.00	
13,205,520.87	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ख)	12,753,935.00	
31,175,000.00	घटाइए : उपयोग के लिए सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित	0.00	136,698,878.00
123,944,943.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		157,837,942.00
143,241,206.51			

योग रु.

31.03.13 को	ब्योरे	31.03.14 को	31.03.14 को
अनुसूची घ	अन्य उद्दिष्ट निधियां :		
	क) भारतीय जीवन बीमा निगम:		
1,299,804.41	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	1,435,894.00	
136,089.59	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ग))	147,753.00	
0.00	घटाइए: आय-व्यय लेखे को अंतरित	0.00	
1,435,894.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		1,583,647.00
	ख) आइसीआईसीआई :		
1,029,606.45	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	1,137,406.00	
107,799.55	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ग))	117,039.00	
0.00	घटाइए: खर्चों को पूरा करने के लिए एएसआई को अंतरित ब्याज	0.00	
1,137,406.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		1,254,445.00
	ग) कर्मचारी राहत निधि :		
303,884.29	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	335,701.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
31,816.71	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ग))	34,544.00	
0.00	घटाइए: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	0.00	
335,701.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		370,245.00
	घ) छात्र समर्थन स्कीम		
0.00	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	1,005,737.00	
1,000,000.00	जोड़िए : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित	1,170,428.00	
5,737.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ढ)(ग))	103,490.00	
0.00	घटाइए: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	250,750.00	
1,005,737.00	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014		2,028,905.00
3,914,738.00			
	योग रु.		5,237,242.00
अनुसूची ड	जमानती ऋण		
6,020,242.00	ऋण: यूनिनियन बैंक ऑफ इंडिया से		0.00
6,020,242.00			
	योग रु.		0.00
बैंक के पास मीयादी जमा सं.141643 पर दी गयी जमानत			
अनुसूची च	चालू देयताएं और प्रावधान राशियाँ		
	विविध लेनदार		
2,000.00	बिल डेस्क	0.00	
	अग्रिम रूप में प्राप्त राशि		
35,000.00	म्यूनिख रे (विज्ञापन आय)	0.00	
3,594,000.00	प्रवेश परीक्षा	3,677,427.42	
180.00	टी डी एस प्राप्त	0.00	
14,663,214.00	परीक्षा शुल्क मई 2013	0.00	
0.00	परीक्षा शुल्क मई 2014	9,084,166.47	
0.00	एक्स एल इंडिया प्राइ. लिमि.	600.00	
0.00	आर एस ए बीमांकिक सर्विसेज इंडिया प्राइ. लिमि.	3,333.00	
0.00	के पी एम जी ग्लोबल सर्विसेज प्राइ. लिमि.	200.00	
588,000.00	सी ए 3 संचार कोर्स	0.00	
1,233,000.00	सी टी 9 ऑन लाइन परीक्षा शुल्क	1,110,109.00	
			13,875,835.89
	शुल्क तथा कर		
0.00	टी डी एस देय	1,027,376.00	
0.00	व्यवसाय कर देय	300.00	
			1,027,676.00
	अन्य देयता		
433,620.00	जमा प्रतिदेय (आइ ए आइ सदस्य)	425,684.05	
1,581,204.00	उपदान देयता	1,856,812.00	
1,197,095.00	छुट्टी नकदीकरण देयता	1,754,916.00	
0.00	देयता - टी डी एस ब्याज	12,582.00	
0.00	देयता - ई पी एफ ब्याज	391,000.00	
0.00	अतिरिक्त टी डी एस कटौती प्रतिदेय	11,000.00	
10,308,448.57	बकाया देयता	4,378,622.11	
33,635,761.57			8,830,616.16
	योग रु.		23,734,128.05

अनुसूची च (क) आइ ए आइ- एमएमआइसी निधि (पहले का नाम एमएमआइबी) - वितरकों की सूची

नाम	दिनांक	राशि
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण	6 अक्टूबर 03	500,000.00
एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कंपनी लि.	6 अक्टूबर 03	500,000.00
एवीवा जीवन बीमा कं. लि.	6 अक्टूबर 03	500,000.00
बिड़ला सनलाइफ बीमा कं. लि.	7 अक्टूबर 03	500,000.00
एएमपी सनमार बीमा कं. लि.	7 अक्टूबर 03	500,000.00
आइएनजी वैश्य जीवन बीमा कं. लि.	8 अक्टूबर 03	500,000.00
एलीएज बजाज जीवन बीमा कं. लि.	8 अक्टूबर 03	500,000.00
आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल जीवन बीमा कं. लि.	13 अक्टूबर 03	500,000.00
टाटा एआइजी जीवन बीमा कंपनी लि.	14- अक्टूबर 03	500,000.00
ओएम कोडक महिन्द्रा जीवन बीमा कं. लि.	17 अक्टूबर 03	500,000.00
मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा कं. लि.	17 अक्टूबर 03	500,000.00
मेट लाइफ इंडिया बीमा कं. लि.	21 नवंबर 03	500,000.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	22 नवंबर 03	500,000.00
भारती ए एक्स ए जीवन बीमा कं. लि.	01 सितंबर 06	500,000.00
श्रीराम जीवन बीमा कं. लि.	08 सितंबर 06	500,000.00
इगोन रेलीगेयर जीवन बीमा कं. लि.	23 मार्च 10	500,000.00
एस बी आइ जीवन बीमा कं. लि.	30 मार्च 10	500,000.00
स्टार यूनियन दाइ-इची जीवन बीमा कं. लि.	06 अप्रैल 10	500,000.00
केनारा एच एस बी सी जीवन बीमा कं. लि.	07 अप्रैल 10	500,000.00
फ्यूचर जनराली इंडिया बीमा कं. लि.	09 अप्रैल 10	500,000.00
डी एल एफ प्रामेरिका जीवन बीमा कं. लि.	13 अप्रैल 10	500,000.00
आइ डी बी आइ फोर्टीज जीवन बीमा कं. लि.	01 मई 10	500,000.00
इंडिया फर्स्ट जीवन बीमा कं. लि.	04 मई 10	500,000.00
सहारा इंडिया जीवन बीमा कं. लि.	15 जून 10	500,000.00
योग रु.		12,000,000.00

अनुसूची च (क)	क)एमएमआइसी (पहले का नाम एमएमआइबी)	
-98,176.63	1.04.2012 को शेष < ----- > 1 अप्रैल 2013	-1,383,341.63
0.00	जोड़िए : आयकर वापस	22,020.00
0.00	जोड़िए :: आइएआइ से अंतरित राशि	2,100,000.00
1,285,165.00	घटाइए: आइएआइ द्वारा किए गए खर्चे	1,844,459.33
-1,383,341.63	31.03.2013 को शेष < ----- > 31 मार्च 2014	-1,105,780.96

अनुसूची छ

अचल परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	व्योरे	मूल्यहास की दर %	सकल ब्लॉक					मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
			01.04.2013 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	पूर्त	बिक्री/समायोजन	31.03.2014 को	01.04.2013 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/समायोजन	31.03.2014 तक	31.03.2014	31.03.2013
1	वाटर प्यूरिफायर	15	8,429.23	0.00	0.00	0.00	8,429.23	6,707.23	258.00	0.00	6,965.23	1,464.00	1,722.00
2	एयर कंडीशनर	15	710,577.53	62,100.00	0.00	0.00	772,677.53	560,506.53	22,799.00	0.00	583,305.53	189,372.00	150,071.00
3	श्रव्य सम्मेलन प्रणाली	15	51,756.54	0.00	0.00	0.00	51,756.54	46,655.54	765.00	0.00	47,420.54	4,336.00	5,101.00
4	नकदी बाक्स	15	4,727.57	0.00	0.00	0.00	4,727.57	4,003.57	109.00	0.00	4,112.57	615.00	724.00
5	कंप्यूटर	60	3,445,302.49	518,580.00	0.00	0.00	3,963,882.49	2,777,339.49	547,907.00	0.00	3,325,246.49	638,636.00	409,866.00
6	कंप्यूटर प्रिंटर	60	274,498.07	0.00	0.00	0.00	274,498.07	240,351.07	20,488.00	0.00	260,839.07	13,659.00	34,147.00
7	ई पी बी ए एक्स प्रणाली (नई)	15	190,849.06	0.00	0.00	0.00	190,849.06	93,248.06	14,640.00	0.00	107,888.06	82,961.00	97,601.00
8	फर्नीचर	15	3,464,936.23	256,469.00	0.00	0.00	3,721,405.23	2,445,545.23	166,573.00	0.00	2,612,118.23	1,109,287.00	1,277,488.00
9	अग्निशामक	15	8,235.02	0.00	0.00	0.00	8,235.02	4,801.02	515.00	0.00	5,316.02	2,919.00	3,434.00
10	सुरक्षित लाकर	15	24,789.29	0.00	0.00	0.00	24,789.29	15,806.29	1,347.00	0.00	17,153.29	7,636.00	8,983.00
11	तौल मशीन	15	3,533.90	0.00	0.00	0.00	3,533.90	2,198.90	200.00	0.00	2,398.90	1,135.00	1,335.00
12	कार्यालय उपस्कर	15	200,495.00	32,130.00	0.00	0.00	232,625.00	51,199.00	23,913.00	0.00	75,112.00	157,513.00	149,296.00
13	अक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर	15	26,990.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00	532.00	3,969.00	0.00	4,501.00	22,489.00	26,458.00
14	बिजनेस प्रोजेक्टर	15	32,590.00	0.00	0.00	0.00	32,590.00	4,326.00	4,240.00	0.00	8,566.00	24,024.00	28,264.00
	योग		8,447,709.93	869,279.00	0.00	0.00	9,316,988.93	6,253,219.93	807,723.00	0.00	7,060,942.93	2,256,046.00	2,194,490.00
15	पूँजीगत कार्य प्रगति पर												
	कार्यालय परिसर के लिए अग्रिम		31,175,000.00	87,130.00	0.00	0.00	31,262,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,262,130.00	31,175,000.00
	योग		39,622,709.93	956,409.00	0.00	0.00	40,579,118.93	6,253,219.93	807,723.00	0.00	7,060,942.93	33,518,176.00	33,369,490.00
	पिछले वर्ष		10,367,044.93	31,876,393.00	-	2,620,728.00	39,622,709.93	5,225,619.93	1,027,600.00	0.00	6,253,219.93	33,369,490.00	5,141,425.00

31.03.13 को	व्योरे	31.03.14 को	31.03.14 को
अनुसूची ज	निवेश		
	क) निम्नलिखित के बांडों में :		
3,000,000.00	8% सरकारी बचत बांड	3,000,000.00	
	ख) निम्नलिखित के पास मीयादी जमाराशि		
5,000,000.00	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	5,000,000.00	
12,092,718.00	एचडीएफसी लिमि.	21,292,718.00	
5,000,000.00	आइडीबीआई बैंक लि.	17,407,930.00	
12,500,000.00	कर्नाटक बैंक लि.	20,111,595.00	
12,200,000.00	डीबीएस बैंक	12,200,000.00	
14,000,000.00	भारतीय जीवन बीमा निगम हाउसिंग फाइनेंस लि.	21,300,000.00	
10,000,000.00	केनारा बैंक	10,000,000.00	
16,500,000.00	हुडको	16,500,000.00	
10,700,000.00	ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स	7,739,510.00	
17,000,000.00	आइ एन जी वैश्य बैंक	0.00	
19,750,000.00	यूनियन बैंक आफ इंडिया	19,750,000.00	
15,000,000.00	विजया बैंक	20,000,000.00	
9,950,000.00	बैंक आफ महाराष्ट्र	0.00	
7,000,000.00	बैंक ऑफ इंडिया	7,000,000.00	
9,500,000.00	पंजाब नेशनल बैंक	9,500,000.00	
17,500,000.00	स्टेट बैंक आफ पटियाला	12,587,444.00	
	ग) म्युच्युअल फंडों में		
353,036.32	एलआइसी लिक्विड प्लस फंड - ग्रोथ ऑप्शन	21,900,830.23	
197,045,754.32		योग रु.	225,290,027.23
अनुसूची झ	नकदी और बैंक शेष		
	क) नकदी शेष		
11,406.28	हाथ नकदी	2,878.83	
5,800.00	नकदी (खुदरा नकदी)	5,800.00	
17,206.28			8,678.83
	ख) निम्नलिखित के यहां बचत खाते में बैंक शेष		
9,306.85	बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पाइंट (खाता सं.4553)	0.00	
28,032.22	बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फोर्ट (खाता सं.56426)	0.00	
17,058.73	बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फोर्ट (खाता सं.2970)	312,032.88	
101,276.49	बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फोर्ट (खाता सं..2971)	0.00	
155,674.29			312,032.88
	ग) निम्नलिखित के यहां चालू खाते में बैंक शेष		
	एक्सिस बैंक लिमि.- डीएन रोड, चालू खाता		
2,180,710.32	911050048384303	6,235,611.94	
	एक्सिस बैंक लिमि.- डीएन रोड, चालू खाता		
559,242.86	911050048431221	(1,226,668.41)	
2,739,953.18			5,008,943.53
2,912,833.75		योग रु.	5,329,655.24

31.03.13 को	ब्योरे	31.03.14 को	31.03.14 को
अनुसूची त्र	विविध देनदार		
20,000.00	डारविन रोडीज	0.00	
27,000.00	न्यू इंडिया इश्योरेंस	0.00	
4,500.00	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	0.00	
30,000.00	डिलोइट	0.00	
34,300.00	ईडलेविस टोकियो	0.00	
323,149.00	ग्रांड हयात	0.00	
450,000.00	हैनोवर रे	0.00	
43,080.40	एक्सिस बैंक	0.00	
8,820.00	रेलीगेयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमि.	0.00	
531,000.00	बिड़ला सन लाइफ इश्योरेंस	0.00	
0.00	स्विस रे	72,671.00	
12,000.00	टी ए एफ कंसल्टिंग ग्रुप	0.00	
100,000.00	रिइश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमरीका	0.00	
500,000.00	पी डब्ल्यू सी सर्विसेज लिमि.	0.00	
16,010.00	बैंक ऑफ इंडिया	0.00	
20,000.00	मैकिंसे एंड कंपनी	0.00	
3,000.00	मोहित जग्गी	0.00	
90,000.00	स्टार यूनियन दाइ-इची लाइफ इश्योरेंस कंपनी	0.00	
198,025.00	टावर्स वाटसन	0.00	
			72,671.00
2,410,884.40	योग रु.		72,671.00
अनुसूची ट	ऋण और अग्रिम		
	क) ऋण और अग्रिम:		
	वसूलीयोग्य स्रोत पर काटा गया कर		
127,439.20	कर निर्धारण वर्ष 2006-2007	127,439.20	
388,806.55	कर निर्धारण वर्ष 2007-08	388,806.55	
642,158.30	कर निर्धारण वर्ष 2008-2009	642,158.30	
543,485.13	कर निर्धारण वर्ष 2009-2010	543,485.13	
1,045,342.44	कर निर्धारण वर्ष 2010-2011	0.00	
1,343,426.15	कर निर्धारण वर्ष 2011-2012	0.00	
1,522,078.90	कर निर्धारण वर्ष 2012-2013	1,522,078.90	
2,093,035.80	कर निर्धारण वर्ष 2013-2014	2,093,035.80	
0.00	कर निर्धारण वर्ष 2014-2015	1,985,641.20	
7,645.00	टेलीफोन जमाराशि	7,645.00	
66,600.00	विद्युत जमाराशि	66,600.00	
396,303.80	पूर्वदत्त खर्च	1,676,894.20	
50.00	इंडियन पोस्टल आर्डर	0.00	
0.00	सेवा कर निविष्टि ऋण	658,683.00	
8,176,371.27	योग रु.		9,712,467.28
अनुसूची ट क	निवेश पर उपचित ब्याज		
17,408,243.92	मीयादी जमाराशियों पर उपचित ब्याज किंतु देय नहीं (बैंकों के पास)	20,099,433.02	
10,910,422.89	मीयादी जमाराशियों पर उपचित ब्याज किंतु देय नहीं (सार्वजनिक निगम एवं अन्य के पास)	15,952,835.75	
28,318,666.81	योग रु.		36,052,268.77

31.3.2014 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय
से संबंधित अनुसूचियां

31.03.13 को समाप्त पिछला वर्ष	व्योरे	31.3.14 को समाप्त चालू वर्ष	31.3.14 को समाप्त चालू वर्ष
अनुसूची ठ	संस्थान के खर्च		
13,914,546.30	वेतन (बोनस/उपदान/अवकाश नकदीकरण-सहित)	15,687,101.52	
169,791.00	स्टाफ कल्याण	158,416.00	
2,335,662.00	कार्यालय किराया	2,728,119.00	
1,114,696.00	विद्युत प्रभार	1,137,963.00	
24,767,264.37	परीक्षा खर्च	28,987,843.73	
2,089,859.50	अध्ययन सामग्री खर्च	1,967,632.75	
8,372,454.94	यूके, लंदन को रायल्टी	9,340,348.47	
13,876,083.05	सेमीनार खर्च	8,451,314.50	
1,872,529.83	बीमांकक इंडिया मैगजीन खर्च	1,834,225.07	
1,473,922.57	बैठक खर्च	2,358,232.46	
153,820.69	बीमा प्रीमियम	230,388.71	
1,573,751.00	कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	2,221,777.00	
850,166.10	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	251,779.50	
649,785.56	डाक टिकट, कूरियर तथा टेलीफोन प्रभार	519,888.09	
136,356.00	यात्रा एवं वाहन	42,724.00	
575,892.32	मरम्मत एवं रखरखाव	487,332.10	
61,680.02	बैंक प्रभार	62,110.41	
260,401.31	सदस्यता एवं अंशदान शुल्क	231,142.02	
699,436.35	कार्यालय एवं सामान्य खर्च	331,070.01	
27,646.00	चुनाव खर्च	0.00	
136,342.00	स्टाफ भर्ती शुल्क	91,998.00	
225,819.00	साफ्टवेयर एम टी एस खर्च	113,252.00	
37,794.00	अनुसंधान, विकास और पदोन्नति खर्च	14,091.00	
11,059.13	बड़े खाते डाले गए विविध शेष	12,526.52	
0.00	शिक्षा, पदोन्नति तथा विपणन	184,533.00	
1,183,668.58	अवधि-पूर्व मदें	0.00	
20,242.00	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण पर ब्याज	0.00	
0.00	ई पी एफ पर ब्याज	391,000.00	
0.00	टी डी एस पर ब्याज	12,582.00	
76,590,669.62		योग रु.	77,849,390.86

31.03.13 को समाप्त पिछला वर्ष	ब्योरे	31.3.14 को समाप्त चालू वर्ष	31.3.14 को समाप्त चालू वर्ष
अनुसूची ड	निवेश आय		
	क) बचत बैंक खातों पर ब्याज		
1,091.00	बैंक ऑफ इंडिया - डी.एन.रोड - खाता सं.56426	9,933.00	
39,639.00	बैंक ऑफ इंडिया - डी.एन.रोड - खाता सं.2970	2,268.00	
9,702.00	बैंक ऑफ इंडिया - डी.एन.रोड - खाता सं.2971	4,680.00	
362.00	बैंक ऑफ इंडिया - नरीमन प्वाइंट - खाता सं.4553	433.00	
50,794.00			17,314.00
	ख) बैंकों के पास मीयादी जमाराशि पर ब्याज		
1,244,978.00	डीबीएस बैंक लि.	1,341,039.00	
410,827.52	बार्कले बैंक	0.00	
518,119.00	आइडीबीआई बैंक	914,997.00	
1,734,176.79	आइएनजी वैश्य बैंक	30,323.66	
1,232,426.00	कर्नाटक बैंक	1,589,502.35	
553,360.95	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	603,840.00	
1,072,852.28	केनारा बैंक	1,167,856.58	
962,045.00	पंजाब नेशनल बैंक	1,046,270.00	
1,820,968.00	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1,946,914.00	
1,093,962.00	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1,088,114.00	
618,841.00	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,939,563.00	
632,047.00	विजया बैंक	1,133,808.42	
160,134.41	बैंक ऑफ इंडिया	685,924.47	
418,081.00	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	759,612.00	
12,472,818.95			14,247,764.48
	ग) अन्य निवेशों से ब्याज/लाभांश		
(28,022.41)	आइसीआइसीआई होम फाइनेंस लि.	0.00	
1,134,917.72	एचडीएफसी लि.	1,605,018.23	
741,120.35	एलआइसी एमएफ इनकम प्लस फंड (लाभांश)	1,147,793.91	
1,384,459.00	जीवन बीमा निगम हाउसिंग फाइनेंस लि.	1,796,224.00	
618,233.79	श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाइनेंस कं. लि.	0.00	
802,515.00	महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	0.00	
1,399,977.00	हुडको	1,670,929.00	
264,775.68	8% सरकारी बांड	297,836.63	
0.00	आयकर वापसी से प्राप्त ब्याज	86,101.41	
6,317,976.13			6,603,903.18
18,841,589.08	योग रु.(क+ख+ग)		20,868,981.66

भारतीय बीमांकक संस्थान

31.03.13 को समाप्त पिछला वर्ष	ब्योरे	31.3.14 को समाप्त चालू वर्ष	31.3.14 को समाप्त चालू वर्ष
अनुसूची ढ	विशिष्ट निधि के लिए आबंटित ब्याज		
18,459.52	प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक/ इनाम/पुरस्कार निधि-एस ए2	19,018.00	
	प्रोफेसर (दिवंगत) जी.एस.दीवान 100 वीं वर्षगांठ स्मारक शिक्षा निधि		
25,956.96	(आर.एम.मेहता द्वारा दिया गया दान)	24,600.00	
23,460.35	प्रोफेसर जी.एस.दीवान स्मारक छात्रवृत्ति निधि (अनुसंधान परियोजना के लिए)	24,447.00	
20,148.26	प्रोफेसर जी. एस. दीवान जन्म शती शिक्षा निधि (विषय सीटी 8 के लिए)	19,317.00	
1,276.19	के. आर. तलपडे स्मारक छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (विषय सीटी 1 के लिए)	1,386.00	
7,519.47	एच. वी. कृष्णमूर्ति इनाम निधि (विषय सीटी 3 के लिए)	11,457.00	
	शांति न्यास धर्मादा निधि		
19,787.24	(सदस्य द्वारा सर्वोत्तम अनुसंधान/लेख के लिए)	17,975.00	
	कनाडा जीवन छात्रवृत्ति धर्मादा निधि		
34,027.81	(सफल एसोसिएट्स तथा फेलो के लिए)	35,410.00	
12,056.27	के.ए.पंडित इनाम निधि (विषय एसटी 4 के लिए)	12,525.00	
13,511.64	जनार्दन पुंडलिक नेरूरकर इनाम निधि (विषय एसटी 2 के लिए)	12,623.00	
13,628.27	प्रोफेसर आर.एम.जोशी इनाम निधि (विषय सीटी 7 के लिए)	12,750.00	
2,155.86	पीटर एक्स अनुसंधान निधि (जीवन बीमा के लिए)	2,341.00	
5,503.71	पीटर एक्स इनाम निधि (विषय एसटी 3 के लिए)	4,441.00	
9,694.02	जे. आर. जोशी इनाम निधि (विषय सीए 3 के लिए)	10,525.00	
8,867.92	के. एस. गोपालकृष्णन एवं लियाकत खान इनाम निधि (विषय एसटी 5 के लिए)	0.00	
23,528.50	दिवंगत मीना सिधवानी बीमांकक शिक्षा निधि	27,589.00	
7,859.36	दिवंगत आर.एम.मेहता स्मारक निधि	8,533.00	
12,776.31	दिवंगत ए.एस.गुप्त इनाम निधि	12,861.00	
232,683.57	प्रिंसीपल पीएनबी जीवन बीमा कंपनी लि.	252,626.00	
13,362.68	कमल कुमार नोरंगलाल पोदार इनाम निधि एसटी 5 के लिए	12,461.00	
9,359.34	दिवंगत डी बसु इनाम निधि	12,788.00	
9,256.03	दिवंगत सुशील देव चटर्जी निधि	7,932.00	
14,368.15	आत्माराम,छज्जूराम तथा पार्वती देवी स्मारक छात्रवृत्ति निधि	13,553.00	
4,672.27	द पयूचर बीमांकक इनाम निधि	13,302.00	
11,877.00	दिवंगत श्रीमती जया एवं कुमारी कल्पना एन.पारिख	13,449.00	
5,439.00	श्री आर कृष्णास्वामी इनाम निध- सी टी 1(वित्तीय गणित)	24,227.00	
5,442.00	श्री आर कृष्णास्वामी इनाम निध- सी टी 4(माडल्स)	24,741.00	
12,553.00	श्रीमती विद्यावती एवं श्रीमती संतोष कुमारी स्मारक छात्रवृत्ति निधि	11,582.00	
16,460.30	स्विस रे (पुस्तकालय आधारिक संरचना)	17,871.00	
46,543.94	स्विस रे (फर्नीचर)	50,533.00	
39,786.36	स्टैंडर्ड लाइफ निधि	36,797.49	
80,726.17	स्टैंडर्ड लाइफ (फर्नीचर)	87,645.00	
	प्रूडेंशियल कारपोरेशन एशिया लिमि.निधि		
263,754.21	(कोचिंग कक्षाएं तथा परीक्षक सेमीनार)	286,360.00	
1,589.15	एचडीएफसी (बीमांकक डायरेक्टरी)	1,725.00	
121,387.29	सीपीडी / अनुसंधान निधि	131,791.00	
1,264,485.75	जीसीए एवं अनुसंधान निधि	1,372,862.00	
13,205,520.87	भवन निर्माण निधि	12,753,935.00	
136,089.59	भारतीय जीवन बीमा निगम (पदोन्नति एवं इनाम)	147,753.00	
107,799.55	आइसीआईसीआई	117,039.00	
31,816.71	कर्मचारी राहत निधि	34,544.00	
5,737.00	छात्र समर्थन स्कीम	103,490.00	
15,900,927.59			
	योग रु.		15,786,804.49

इनामों तथा छात्रवृत्ति निधि(यों) के लिए ब्याज प्रावधान:

अनुसूची ढ (क)

इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियां	01.04.13 को	ब्याज @ 10.29%	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान चुक्ता	31.03.14 को
प्रोफेसर जी.एस.दीवान इनाम स्मारक/इनाम/पुरस्कार निधि-एसए 2	184,823.00	19,018.00	0.00	10,000.00	193,841.00
दिवंगत जी.एस.दीवान 100वीं वर्षगांठ स्मारक निधि	239,066.00	24,600.00	0.00	20,000.00	243,666.00
प्रो. जी.एस.दीवान स्मारक छात्रवृत्ति निधि	237,585.00	24,447.00	0.00	5,000.00	257,032.00
प्रो. जी.एस.दीवान जन्मशती शिक्षा निधि	187,725.00	19,317.00	0.00	10,000.00	197,042.00
के आर तलपड़े स्मारक छात्रवृत्ति धर्मादा निधि	13,469.00	1,386.00	0.00	0.00	14,855.00
एच.वी.कृष्णमूर्ति इनाम निधि	111,345.00	11,457.00	0.00	10,000.00	112,802.00
शांति न्यास धर्मादा निधि	174,686.00	17,975.00	0.00	30,000.00	162,661.00
आत्माराम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छज्जूराम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पार्वती देवी छात्रवृत्ति धर्मादा निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आत्माराम, छज्जूराम एवं पार्वती देवी स्मारक छात्रवृत्ति निधि	131,712.00	13,553.00	0.00	10,000.00	135,265.00
कनाडा लाइफ छात्रवृत्ति धर्मादा निधि	344,117.00	35,410.00	0.00	5,000.00	374,527.00
के.ए.पंडित स्मारक इनाम निधि	121,719.00	12,525.00	0.00	10,000.00	124,244.00
के.पी.शर्मा इनाम निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जर्नादन पुंडलिक नेरुरकर इनाम निधि	122,676.00	12,623.00	750.00	10,000.00	126,049.00
प्रो. आर.एम.जोशी इनाम निधि	123,904.00	12,750.00	0.00	10,000.00	126,654.00
जीवन बीमा के लिए पीटर एक्स अनुसंधान निधि	22,748.00	2,341.00	0.00	0.00	25,089.00
पीटर एक्स इनाम निधि	43,157.00	4,441.00	0.00	10,000.00	37,598.00
जे.आर.जोशी इनाम निधि	102,286.00	10,525.00	0.00	0.00	112,811.00
के.एस. गोपालकृष्णन एवं लियाकत खान इनाम निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
द फ्यूचर बीमांकक इनाम निधि	129,274.00	13,302.00	0.00	10,000.00	132,576.00
दिवंगत मीना सिधवानी बीमांकक शिक्षा निधि	268,113.00	27,589.00	0.00	0.00	295,702.00
दिवंगत आर.एम.मेहता स्मारक निधि	82,922.00	8,533.00	0.00	0.00	91,455.00
दिवंगत ए.एस.गुप्ता इनाम निधि	124,983.00	12,861.00	0.00	11,575.00	126,269.00
प्रिंसिपल पीएनबी जीवन बीमा कं. लिमि.	2,455,067.00	252,626.00	0.00	0.00	2,707,693.00
कमल कुमार नोरंगलाल पोदार इनाम निधि एसटी5 के लिए	121,100.00	12,461.00	0.00	5,000.00	128,561.00
दिवंगत डी बसु इनाम निधि	124,275.00	12,788.00	0.00	5,000.00	132,063.00
दिवंगत सुशील देव चटर्जी निधि	77,089.00	7,932.00	0.00	23,825.00	61,196.00
जीसीए में विशेष महत्त्व के पेपर के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रोफेसर जी.एस.दीवान इनाम स्मारक/इनाम/पुरस्कार निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिवंगत श्रीमती जया एवं कुमारी कल्पना एन.पारिख	130,695.00	13,449.00	0.00	13,150.00	130,994.00
श्री आर कृष्णास्वामी इनाम निधि- सी टी 1(वित्तीय गणित)	235,439.00	24,227.00	0.00	10,000.00	249,666.00
श्री आर कृष्णास्वामी इनाम निधि- सी टी 4(माडल्स)	240,442.00	24,741.00	0.00	10,000.00	255,183.00
श्रीमती विद्यावती एवं श्रीमती संतोष कुमारी स्मारक छात्रवृत्ति निधि	112,553.00	11,582.00	0.00	10,000.00	114,135.00
योग	6,262,970.00	644,459.00	750.00	238,550.00	6,669,629.00

उद्दिष्ट धर्मादा निधि(यों) के लिए ब्याज प्रावधान :

अनुसूची ढ (ख)

उद्दिष्ट धर्मादा निधि	01.04.13 को	ब्याज @ 10.29%	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान अदा किया गया	31.03.14 को
स्विस रे (पुस्तकालय आधारभूत संरचना)	173,672.00	17,871.00	0.00	0.00	191,543.00
स्विस रे (फर्नीचर)	491,093.00	50,533.00	0.00	0.00	541,626.00
स्टैंडर्ड लाइफ (यू के)	357,606.51	36,797.49	0.00	56,807.00	337,597.00
स्टैंडर्ड लाइफ (फर्नीचर)	851,747.00	87,645.00	0.00	0.00	939,392.00
प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन एशिया लि.(उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए इनाम)	2,782,898.00	286,360.00	0.00	85,977.00	2,983,281.00
एच डी एफ सी (बीमांकिक डायरेक्टरी)	16,765.00	1,725.00	0.00	0.00	18,490.00
सीपीडी/अनुसंधान	1,280,771.00	131,791.00	0.00	0.00	1,412,562.00
जीसीए और अनुसंधान निधि	13,341,711.00	1,372,862.00	0.00	0.00	14,714,573.00
भवन निधि	123,944,943.00	12,753,935.00	0.00	0.00	136,698,878.00
द ऐक्युअरी इंडिया पत्रिका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	143,241,206.51	14,739,519.49	0.00	142,784.00	157,837,942.00

उद्दिष्ट धर्मादा निधि(यों) के लिए ब्याज प्रावधान :

अनुसूची ढ (ग)

अन्य उद्दिष्ट निधि	01.04.13 को	ब्याज @ 10.29%	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान अदा किया गया	31.03.14 को
भारतीय जीवन बीमा निगम (एएसआइ के पदोन्नति एवं इनाम के लिए)	1,435,894.00	147,753.00	0.00	0.00	1,583,647.00
आइसीआइसीआइ	1,137,406.00	117,039.00	0.00	0.00	1,254,445.00
कर्मचारी राहत निधि	335,701.00	34,544.00	0.00	0.00	370,245.00
छात्र समर्थन स्कीम	1,005,737.00	103,490.00	1,170,428.00	250,750.00	2,028,905.00
योग	3,914,738.00	402,826.00	1,170,428.00	250,750.00	5,237,242.00

भारतीय बीमांकक संस्थान

31.03.13 को समाप्त पिछला वर्ष	ब्योरे	31.3.14 को समाप्त चालू वर्ष	31.3.14 को समाप्त चालू वर्ष
अनुसूची ण	शैक्षिक सेवाएं एवं परीक्षा शुल्क		
44,620,135.83	परीक्षा शुल्क	54,797,092.64	
19,273,665.60	अध्ययन पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री शुल्क	19,199,132.65	
562,500.00	छूट शुल्क	647,800.00	
888,411.50	दाखिला शुल्क	1,610,714.50	
820,000.00	बीमांकक इंडिया पत्रिका आय	1,024,695.00	
66,164,712.93	योग रु.		77,279,434.79
अनुसूची त	सदस्यों का अंशदान		
5,213,181.52	अभिदान शुल्क	9,962,073.48	
28,500.00	जुर्माना/विलंब शुल्क	70,000.00	
5,241,681.52	योग रु.		10,032,073.48
अनुसूची थ	सेमीनार शुल्क		
18,451,983.00	बीमांककों के विश्व सम्मेलन पर	19,400,844.20	
716,000.00	इंडिया फेलोशिप पर	880,426.98	
803,000.00	जीवन बीमा के वर्तमान मुद्दों पर	475,460.93	
240,000.00	सेवानिवृत्ति हितलाभ के वर्तमान मुद्दों पर (सी आइ आर बी)	268,369.35	
	संभाव्यता यादृच्छिक संवितरण के लिए नवीन गणित शास्त्र		
426,000.00	एवं जोखिम प्रबंधन कार्यशाला पर	587,707.62	
480,000.00	क्षमता निर्माण पर: स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में	193,861.13	
84,000.00	नेतृत्व विकास कार्यक्रम-3 पर	0.00	
0.00	स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में वर्तमान मुद्दों पर	416,230.13	
129,300.00	आइ ए आइ से कनेक्ट पर	0.00	
0.00	फसल बीमा शुल्क के संबंध में कार्यशाला पर	70,512.25	
382,500.00	जीवनेतर उद्योग में क्षमता निर्माण पर	224,550.17	
45,000.00	साधारण बीमा के वर्तमान मुद्दे (सी आइ जी आइ) पर	147,977.34	
0.00	उद्यम जोखिम प्रबंधन (ई आर एम) पर	245,881.11	
7,500.00	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड (आइ एफ आर एस) पर	273,313.15	
21,765,283.00	योग रु.		23,185,134.36
अनुसूची द	अन्य आय		
465,000.00	सीओपी शुल्क (नवीकरण एवं नया निर्गम)	452,500.00	
41,517.00	रद्दी की बिक्री	49,977.00	
6,838.00	विविध शेष पुरांकन	2,595.27	
0.00	अनुसंधान आय	266,770.00	
0.00	सेवा कर जमा	699,177.12	
8,952.15	अन्य आय	2,384.00	
522,307.15	योग रु..		1,473,403.39

भारतीय बीमांकक संस्थान

अनुसूची- ध

लेखों पर टिप्पणियाँ

क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

1. लेखांकन परंपरा

ये लेखे ऐतिहासिक लागत-आधार पर तैयार किए जाते हैं और ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, ये उपचय आधार पर हैं।

2. राजस्व -पहचान

क) प्रवेश- शुल्क:

छात्रों के प्रवेश- वर्ष में प्रवेश-शुल्क को आय के रूप में माना जाता है।

ख) अंशदान-शुल्क:

वास्तविक रसीद के आधार पर वर्ष के लिए अंशदान- शुल्क को आय के रूप में माना जाता है।

ग) परीक्षा-शुल्क:

परीक्षाओं के आयोजन के आधार पर परीक्षा- शुल्क को मान्यताप्राप्त है।

घ) अध्ययन-सामग्री तथा शिक्षा-सामग्री शुल्क:

अध्ययन- सामग्री तथा शिक्षा-सामग्री के बिक्री-शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व अध्ययन-सामग्री के बिक्री-वर्ष में मान्यताप्राप्त है।

ड) सेमीनार-शुल्क:

सेमीनार-शुल्क रसीद- आधार पर मान्यताप्राप्त है।

च) ब्याज वाली प्रतिभूतियों तथा मीयादी जमा राशियों पर होने वाली आय इस प्रकार के निवेशों पर लागू दरों पर उपचय के आधार पर मान्य है ।

3. उद्दिष्ट निधियों का आबंटन/अंतरण

उद्दिष्ट निधियों के निवेशों से होने वाली आय भारित औसत पद्धति के आधार पर आनुपातिक रूप से उद्दिष्ट निधियों को आबंटित कर दी जाती है।

4. अचल परिसंपत्तियाँ तथा मूल्यहास

क) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है जिसमें से मूल्यहास घटा दिया जाता है।

ख) मूल्यहास की व्यवस्था निम्नलिखित दरों पर अवलेखन मूल्य- पद्धति के आधार पर, संस्थान द्वारा यथाअनुमोदित, संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित है:

परिसंपत्ति की किस्म	मूल्यहास की दर
वाटर प्यूरीफायर	15%
एअर कंडीशनर	15%
श्रव्य सम्मेलन प्रणाली	15%
नकदी बाक्स	15%
कंप्यूटर	60%
कंप्यूटर प्रिंटर	60%
ईपीबीएक्स प्रणाली	15%
फर्नीचर	15%
अग्निशामक	15%
सुरक्षित लाकर	15%
तौल मशीन	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
अक्वागार्ड वाटर प्यूरीफायर	15%
बिजनेस प्रोजेक्टर	15%

ग) अतिरिक्त मदों पर मूल्यहास यथानुपात दिया जाता है।

5. निवेश

निवेशों का उल्लेख लागत पर किया जाता है।

6 कर्मचारी -हितलाभ

क) उपदान:

संस्थान उपदान-भुगतान अधिनियम, 1972 पर आधारित उपदान-देयता की व्यवस्था करता है और बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित यथानुपात आधार पर इसके लिए व्यवस्था की गई है।

सारणी 1

उपदान योजना

ए एस 15 के अंतर्गत (संशोधित, 2005) बीमांकिक परिकलन

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्ति/देयता

स्थानीय करेंसी-रुपया

क	31 मार्च 2013 को तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्ति/देयता	
1	परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य:	1,581,204
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
3	निधिक स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	1,581,204
4	अमान्यताप्राप्त विगत सेवा लागत	-
5	तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता)	1,581,204
	31 मार्च 2013 को पूर्वानुमान राशियां	
	बढ़ा दर	8.03%

सारणी 2

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता खर्च का प्रकटीकरण

क	नियोक्ता खर्च के घटक	
1	वर्तमान सेवा-लागत (पूर्णरूपेण बीमाकृत हितलाभ के लिए जोखिम प्रीमियम-सहित)	335,809
2	ब्याज-लागत	124,558
3	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	-
4	कमी-लागत/ (जमा)	-
5	समझौता-लागत/ (जमा)	-
6	विगत सेवा-लागत	-
7	बीमांकिक हानि-राशियां/ (लाभ-राशियां)	136,297
8	हानि एवं लाभ में मान्यताप्राप्त कुल नियोक्ता खर्च	324,070
	31 मार्च 2013 को पूर्वानुमान राशियां	
	बढ़ा दर	8.00 %

सारणी 3

31 मार्च 2014 को तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्ति/देयता

क	31 मार्च 2014 को तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त अनुमानित निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	
1	परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,856,812
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
3	निधिक स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-1,856,812
4	अमान्यताप्राप्त विगत सेवा लागत	-
5	तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता)	1,856,812
	31 मार्च 2014 को पूर्वानुमान राशियां	
	बढ़ा दर	9.00%

सारणी 4

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की तुलना में दायित्व और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

क	परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन	
1	अवधि के शुरू में परिभाषित हितलाभ दायित्व	1,581,204
2	सेवा- लागत	335,809
3	ब्याज-लागत	124,558
4	कमी-लागत/ (जमा)	-
5	समझौता-लागत/ (जमा)	-
6	योजना संशोधन- राशियां	-
7	अधिग्रहण- राशियां	-
8	बीमांकिक हानि-राशियां/ (लाभ-राशियां)	136,297
9	हितलाभ भुगतान- राशियां	48,462
10	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	1,856,812

ख	परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	
1	अवधि के शुरू में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
2	अधिग्रहण-समायोजन	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	-
4	वास्तविक कंपनी अंशदान राशियां	48,462
5	बौमांकिक लाभ/ (हानि)	-
6	हितलाभ भुगतान- राशियां	48,462
7	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
31 मार्च 2014 को	पूर्वानुमान राशियां	
बढ़ा दर		9.00%

सारणी 5

तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्ति/देयता का समाधान

1	अवधि के शुरू में निवल परिसंपत्ति /(देयता)	1,581,204
2	नियोक्ता खर्च	324,070
3	नियोक्ता अंशदान राशियां	48,462
4	अधिग्रहण/कारबार की मिलीजुली राशियां	-
5	अवधि के अंत में निवल परिसंपत्ति /(देयता)	-1,856,812

सारणी 6

अनुभव -इतिहास

1	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	1,856,812
2	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियां	-
3	निधिक स्थिति	1,856,812
4	योजना देयता राशियों पर अनुभव समायोजन राशियां	-15,467
5	योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन राशियां	-

ख पूर्वानुमान राशियां

ख 1.1 प्रमुख पूर्वानुमान राशियों में से एक है बढ़ा-दर, जिसे लेखांकन की तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार आय राशियों पर आधारित होना चाहिए। इसकी शर्त यह होगी कि वह देयता राशियों के समकक्ष हो।

ख1.2 31 मार्च 2013 तथा 31 मार्च 2014 को परिकलन के काम में लगाई गई वित्तीय पूर्वानुमान राशियां इस प्रकार हैं :

	31 मार्च 2013	31 मार्च 2014
बढ़ा-दर	8.00%	9.00%
परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	0.00%	0.00%
वेतन-वृद्धि	10.00%	10.00%
मृत्युसंख्या	जीवन बीमा निगम(1994-1996) अंतिम	आइ ए एल एम (2006-08) अंतिम

आहरण-दर

निम्नलिखित से आयु	31 मार्च 2013	31 मार्च 2014
18	10.00%	10.00%
21	10.00%	10.00%
31	10.00%	10.00%
41	10.00%	10.00%
45	10.00%	10.00%
58	10.00%	10.00%

ख) छुट्टी नकदीकरण:

संस्थान ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपचित विशेषाधिकार एवं बीमारी छुट्टी के लिए व्यवस्था की है।

7. प्रावधान राशियाँ

इस प्रकार की राशियों के प्रावधान की जरूरत तभी पड़ती है जब विगत घटनाओं के फलस्वरूप किसी उद्यम को कोई वर्तमान दायित्व पूरा करना होता है अर्थात् इसके लिए इस बात की संभावना रहती है कि ऐसे दायित्व को पूरा करने से उन संसाधनों का बहिर्गमन होगा जिनके बारे में विश्वसनीय प्राक्कलन तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रावधान राशियों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं आकलित किया जाता बल्कि वे तुलन पत्र की तारीख को देनदारियों को निपटाने के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम प्राक्कलनों पर आधारित के अनुरूप तय किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और प्रचलित सर्वोत्तम प्राक्कलनों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

ख) अन्य टिप्पणियाँ:

1) भारतीय बीमांकिक समिति, समिति पंजीयन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और 09-11-2006 को बांबे लोक न्यास अधिनियम, 1950 को भंग कर दिया गया तथा भारतीय बीमांकिक समिति की सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ "भारतीय बीमांकिक संस्थान" को अंतरित कर दी गईं। इसे संसद के एक अधिनियम अर्थात् "बीमांकिक अधिनियम, 2006" द्वारा गठित किया गया है।

2) लेखों के संबंधित व्यय -शीर्षों के अंतर्गत अध्ययन सामग्री, प्रकाशन तथा लेखन-सामग्री का स्टॉक क्रय-वर्ष में बढ़े खाते डाल दिया जाता है।

3) आयकर का प्रावधान 12 सितंबर 2013 के आदेश के अनुसार नहीं किया गया है जिसकी संख्या एफ.सं.सी सी आइ टी/एम यू एम /10(23 सी) (vi) /378/2013-14 है। इसे ए वाई 2012-13 से आयकर अधिनियम के यू/एस 10(23 सी)(vi) के अंतर्गत आयकर के मुख्य आयुक्त (सी सी ए) मुंबई ने जारी किया है।

4) निवेश आय का आबंटन निम्नलिखित रीति से किया गया है जिसे अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है तथा लेखापरीक्षकों ने जिस पर विश्वास किया है।

क = निवेश का 01.04.2013 को अथ शेष (+) 01.04.2013 को अथ नकदी एवं बैंक शेष - 01.04.2013 को उधार।

ख = निवेश का 31.03.2014 को इति शेष (+) 31.03.2014 को इति नकदी एवं बैंक शेष - 31.03.2014 को उधार।

ग = वर्ष 1.04.2013 से-31.03.2014 के दौरान निवेश आय ।

i = सभी निधियों के लिए निवेश आय के आबंटन की ब्याज दर ।

$$i = (2x \text{ आइ}) / [(क+ख) - \text{आइ}]$$

$$क = 193,958,588.07$$

$$ख = 230,619,682.47$$

$$\text{आइ} = 20,800,194.25$$

$$(क+ख) - \text{आइ} = 403,778,076.29$$

$$i = 10.29\%$$

ध्यान दीजिए : निधियों में निवेश आय के आबंटन के लिए ब्याज दर 10.29% है।

5) पिछली अवधि के आंकड़ों को यथा आवश्यक पुनः समूहबद्ध, पुनः क्रमबद्ध तथा पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते खांडवाला एंड शाह

कृते भारतीय बीमांकक संस्थान

सनदी लेखाकार

ह/-

ह/-

प्रेमल पी. गाँधी

एम करुणानिधि

भागीदार

अध्यक्ष

सदस्यता सं. 45462

ह/-

के. एस. गोपालकृष्ण

उपाध्यक्ष

ह/-

राजेश डालमिया

मानद सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: 21 जून 2014

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केंद्र

1. हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केंद्र (भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई) के संलग्न तुलनपत्र की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय- व्यय लेखे के साथ लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देने तक सीमित है।
2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस तर्कसंगत आश्वासन के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, परीक्षण-आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकट की गई जानकारी के समर्थन के साक्ष्य की जांच भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के अनुमान समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन के साथ शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का एक तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।
3. हमारी लेखापरीक्षा और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम इस प्रकार रिपोर्ट करते हैं :
 - क) हमें वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
 - ख) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित बहियाँ केंद्र ने रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी परीक्षा से ज्ञात होता है;
 - ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखा बहियों के अनुरूप हैं;
 - घ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i) तुलनपत्र के मामले में, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2014 को इस केंद्र के कार्यों की सही-सही एवं स्वच्छ तस्वीर यह प्रस्तुत करती है;
 - ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए यह घाटे का आय एवं व्यय लेखा है;

कृते और की ओर से

खांडवाला एंड शाह

सनदी लेखाकार

(फर्म सं.105069डब्ल्यू)

ह/-

(प्रेमल पी. गाँधी)

भागीदार

सदस्यता सं. 45462

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21 जून 2014

मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केंद्र
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

31 मार्च 2014 को तुलनपत्र

	अनुसूची सं.	31-03-2014 को	31-03-2013 को
निधियों के स्रोत:			
आधारभूत निधि	1	1,532,535	4,065,598
योग रु.		1,532,535	4,065,598
निधियों का अनुप्रयोग			
अचल परिसंपत्तियां	2		
लागत पर		2,944,516	2,944,516
घटाइए: संचित मूल्यह्रास		2,831,301	2,003,354
		113,215	941,162
निवेश राशियां	3	2,280,465	3,591,676
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
नकदी एवं बैंक शेष	4	22,250	359,041
ऋण एवं अग्रिम	5	70,717	79,675
मीयादी जमा राशियों पर उपचित ब्याज		168,522	494,240
		261,489	932,956
चालू देयताएं	6	1,122,634	1,400,196
निवल चालू परिसंपत्तियां		(861,145)	(467,240)
योग रु.		1,532,535	4,065,598

हमारे समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते खांडवाला एंड शाह

सनदी लेखाकार

ह/-

प्रेमल पी. गाँधी

भागीदार

सदस्यता सं. 045462

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21 जून 2014

कृते मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केंद्र

(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

ह/-

एम करुणानिधि

अध्यक्ष

ह/-

के एस गोपालकृष्णन

उपाध्यक्ष

ह/-

राजेश डालमिया

मानद सचिव

ह/-
राजेश डालमिया
मानद सचिव

मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केंद्र
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)
तुलनपत्र के हिस्से की अनुसूचियां

अनुसूची 1:	31-03-2014 को	31-03-2013 को
	रु.	रु.
आधारभूत निधि		
अथ शेष	4,065,598	5,732,269
घटाइए: आय की तुलना में व्यय का आधिक्य	2,533,063	1,666,671
योग	1,532,535	4,065,598
अनुसूची 3:		
निवेश		
-मीयादी जमा खाते में:		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	911,017	722,228
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1,369,448	2,869,448
योग	2,280,465	3,591,676
अनुसूची 4:		
नकदी एवं बैंक शेष		
हाथ में नकदी	-	-
बैंक शेष		
-स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के पास चालू खाते में	22,250	359,041
योग	22,250	359,041
अनुसूची 5:		
ऋण और जमा		
स्रोत पर प्राप्त कर-कटौती	70,717	79,675
योग	70,717	79,675
अनुसूची 6:		
चालू देयताएं		
देय लेखा परीक्षा शुल्क	16,854	16,854
भारतीय बीमांकक संस्थान	1,105,780	1,383,342
योग	1,122,634	1,400,196

मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केंद्र
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)
आय एवं व्यय लेखे के हिस्से की अनुसूचियां

	2013-14	2012-13
	राशि	राशि
	रु.	रु.
अनुसूची 7:		
कर्मचारी लागत		
वेतन एवं बोनस	1,921,236	1,747,782
योग	1,921,236	1,747,782
अनुसूची 8:		
प्रशासनिक एवं अन्य खर्च		
यात्रा एवं वाहन	-	10,180
बैठक-खर्च	16,795	39,656
लेखा-परीक्षा शुल्क	16,854	16,854
वाहन	4,820	-
बैंक प्रभार	601	300
योग	39,070	66,990

मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केंद्र

(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

अनुसूची 2: अचल परिसंपत्तियां

राशि रुपए में

ब्योरे	मूल्यहास	सकल ब्लाक				मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	दर	01.04.13 को	परिवर्धन	बिक्री/ समायोजन	31.3.2014 को	01.04.13 को	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31.3.2014 को	31.3.2014 को	31.3.2013 को
एअर कंडीशनर	15%	134,503	-	-	134,503	69,557	9,742	-	79,299	55,204	64,946
कंप्यूटर	60%	215,850	-	-	215,850	210,981	2,920	-	213,901	1,949	4,869
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	36,748	-	-	36,748	14,445	2,230	-	16,675	20,073	22,303
कार्यालय -उपस्कर	15%	17,049	-	-	17,049	8,473	1,286	-	9,759	7,290	8,576
कंप्यूटर साफ्टवेयर	60%	991,793	-	-	991,793	959,689	19,262	-	978,951	12,842	32,104
कंप्यूटर-सर्वर	60%	1,548,573	-	-	1,548,573	740,209	792,507	-	1,532,716	15,857	808,364
योग रु.		2,944,516	-	-	2,944,516	2,003,354	827,947		2,831,301	113,215	941,162
पिछले वर्ष		2,944,516	-	-	2,944,516	1,789,789	213,565		2,003,354	941,162	1,154,727

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ

मुम्बई

1. पृष्ठभूमि

मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केंद्र, भारतीय बीमांकक संस्थान तथा जीवन बीमा परिषद् के बीच व्यावसायिक सहयोग करार के अनुसार, हैदराबाद में स्थापित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जीवन बीमा कंपनियों के पालिसी धारकों की मृत्युसंख्या तथा रुग्णता-दरों के संबंध में अनुसंधान करना है।

2. लेखांकन परंपरा

ये लेख ऐतिहासिक लागत - आधार पर तैयार किए जाते हैं और ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, ये उपचय आधार पर हैं।

3. राजस्व की पहचान

ब्याजवाली प्रतिभूतियों तथा मीयादी जमा राशियों के ब्याज पर आय की पहचान ऐसी निवेश राशियों पर उपचय आधार पर की जाती है।

4. अचल परिसंपत्तियां तथा मूल्यहास

क) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है जिसमें से मूल्यहास को घटा दिया जाता है।

ख) संस्थान द्वारा यथानुमोदित आधार पर, निम्नलिखित दरों एवं अवलिखित मूल्य-पद्धति पर मूल्यहास की व्यवस्था की गई है। इसका आधार संबंधित परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन-सीमा है:

परिसंपत्ति की किस्म	मूल्यहास की दर
एअर कंडीशनर	15%
कंप्यूटर	60%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%
कार्यालय -उपस्कर	15%
कंप्यूटर साफ्टवेयर	60%
कंप्यूटर-सर्वर*	60%

* मूल्यहास क्रमशः 15% से परिवर्तित करके 60% कर दिया गया है। इसके लिए 7,68,722/- रु. का मूल्यहास विगत वर्षों के मूल्यहास का प्रतिनिधित्व करता है।

ग) अतिरिक्त मदों पर मूल्यहास की व्यवस्था यथानुपात के आधार पर की गई है।

5. पारिश्रमिक एवं वेतन	2013-2014	2012-2013
वेतन तथा भत्ते	19,21,236 रु.	17,47,782 रु.

6. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक
- | | | |
|-------------------|------------|------------|
| लेखापरीक्षा शुल्क | 15,000 रु. | 15,000 रु. |
| सेवा कर | 1,854 रु. | 1,854 रु. |
7. सभी आंकड़े रुपयों में व्यक्त किए जाते हैं और जहां कहीं भी जरूरी हुआ है उन्हें पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते खांडवाला एंड शाह

कृते भारतीय बीमांकक संस्थान

सनदी लेखाकार

ह/-

ह/-

प्रेमल पी. गाँधी

एम करुणानिधि

भागीदार

अध्यक्ष

सदस्यता सं.- 45462

ह/-

के एस गोपालकृष्णन

उपाध्यक्ष

ह/-

राजेश डालमिया

मानद सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: 21 जून 2014

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 21st July 2014

No. N-15/13/10/1/2014-P&D—in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Odisha Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Odisha namely:-

“The AREAS COMPRISING OF THE REVENUE VILLAGES OF KURUDA, BHIMPURA, KALIDASPUR AND SUTELI in the Tahasil of Remuna, SUNDARI AND ISHANI in the Tahasil of Balasore, K.P.MAHAL in the Tehsil of Nilgiri and MANAKAHANI in the Tahasil of Bahanaga in the District of Balasore.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/4/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	AREA COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF
Vellakovil Tiruppur District	1. Vellakovil 2. Agalaraipalayam 3. Dasavanaickenpatti 4. Karattupalayam 5. Karukppanvalasu 6. Lakkamanaickenpatti 7. Mettukpalayam 8. Mylarangam 9. Nagamanickampatti 10. Padappai 11. Senapathipalayam 12. Pachapalayam(Vellakovil) 13. Theethampalayam 14. Uppupalayam 15. Velappanaickenvalasu

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/5/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	AREA COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF
Punjaipuliampatty & Sathyamangalam Sathyamangalam Taluk Erode District	1. Punjaipuliampatty 2. Vinnapalli 3. Madampalayam 4. Mangarasu Valayapalayam 5. Nallur 6. Pungampatty 7. Desipalayam 8. Sathyamangalam 9. Indianpalayam 10. Akkarainehaman

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

The 22nd July 2014

No. N-15/13/11/2/2014-P&D—in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely:-

Sr. No.	Name of the Village	Hadbast No.	Tehsil	Distt.
1.	Bale Chak	52	Taran Taran	Taran Taran

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/11/3/2014-P&D—in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely:-

Sr. No.	Name of the Village	Hadbast No.	Tehsil	Distt.
1.	Gurusar Saine wala	92	Bathinda	Bathinda
2.	Jodhpur Romana	64	Bathinda	Bathinda

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/12/4/2014-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely:-

S. No.	Name of Revenue Village	Name of Tehsil	Name of District
1	2	4	5
1.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	JAIPUR
2.	PUTLI	KOTPUTLI	JAIPUR
3.	SUNDERPURA	KOTPUTLI	JAIPUR
4.	RAHEDA	KOTPUTLI	JAIPUR
5.	KALYANPURA KHURD	KOTPUTLI	JAIPUR
6.	KANWARPURA	KOTPUTLI	JAIPUR
7.	GORDHANPURA	KOTPUTLI	JAIPUR
8.	MOHANPURA	KOTPUTLI	JAIPUR
9.	KANSALI	KOTPUTLI	JAIPUR
10.	FATEHAPURA KALAN	KOTPUTLI	JAIPUR
11.	SARUND	KOTPUTLI	JAIPUR
12.	NAREHADA	KOTPUTLI	JAIPUR
13.	BHOJAVAS	KOTPUTLI	JAIPUR
14.	JAGDISHPURA	KOTPUTLI	JAIPUR
15.	SHYAM NAGAR	KOTPUTLI	JAIPUR
16.	KHEDANIHALPURA	KOTPUTLI	JAIPUR

1	2	4	5
17.	CHANCHAKI	KOTPUTLI	JAIPUR
18.	RAMSINGPURA	KOTPUTLI	JAIPUR
19.	GOPALPURA	KOTPUTLI	JAIPUR
20.	BANAKA	KOTPUTLI	JAIPUR
21.	SANGTEDA	KOTPUTLI	JAIPUR
22.	KHARKADI	KOTPUTLI	JAIPUR
23.	KHEDAKI MUKKAR	KOTPUTLI	JAIPUR
24.	SHEKHUPUR	KOTPUTLI	JAIPUR
25.	MOLAHEDA	KOTPUTLI	JAIPUR
26.	KHEDAKI VEERBHAN	KOTPUTLI	JAIPUR
27.	TAPARI	KOTPUTLI	JAIPUR
28.	CHATARBUJ	KOTPUTLI	JAIPUR
29.	BAMANVAS	KOTPUTLI	JAIPUR
30.	GOPIPURA	KOTPUTLI	JAIPUR
31.	HANSIYAVAS	KOTPUTLI	JAIPUR
32.	NANGAL PANDITPURA	KOTPUTLI	JAIPUR
33.	KHURDI	KOTPUTLI	JAIPUR
34.	AMAI	KOTPUTLI	JAIPUR
35.	BHALOJI	KOTPUTLI	JAIPUR
36.	BASAI	KOTPUTLI	JAIPUR

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/12/4/2013-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely:-

S. No.	Name of Revenue Village	Name of Tehsil	Name of District
1.	Chak Shyamsingh wala (RIICO Phase-I)	Sriganganagar	Sriganganagar
2.	Patikhiyan First, Chak-13, LNP-II (RICCO Phase-II and Agro Food Park)	Sriganganagar	Sriganganagar

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/12/5/2013-P&D—in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said

Regulation 95–A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely:-

S. No.	Name of Revenue Village	Name of Tehsil	Name of District
1.	KHORA BEESAL	AMER	JAIPUR
2.	KISHANPURA	AMER	JAIPUR
3.	NAGAL SIRAS	AMER	JAIPUR
4.	BENAD WITH DAULATPURA	AMER	JAIPUR
5.	SHAUBHAPURA	AMER	JAIPUR
6.	HARDATTPURA	AMER	JAIPUR
7.	NIWARU	JAIPUR	JAIPUR
8.	BOYTAWALA	JAIPUR	JAIPUR
9.	MANSHA RAMPURA	JAIPUR	JAIPUR
10.	HARNATHPURA	JAIPUR	JAIPUR
11.	GAJADHARPURA	JAIPUR	JAIPUR
12.	CHAK BAD	JAIPUR	JAIPUR
13.	CHAMPAPURA	JAIPUR	JAIPUR
14.	BHUDHARPURA	JAIPUR	JAIPUR
15.	SARNA CHAUD	JAIPUR	JAIPUR
16.	SANCHOTI	JAIPUR	JAIPUR
17.	CHAK BOYTAWALA	JAIPUR	JAIPUR
18.	CHAK BAORI	JAIPUR	JAIPUR
19.	CHAK SARNA DOONGAR	JAIPUR	JAIPUR
20.	BAORI	JAIPUR	JAIPUR
21.	BASADI	JAIPUR	JAIPUR
22.	LAL CHANDPURA	JAIPUR	JAIPUR
23.	SARNA DOONGAR	JAIPUR	JAIPUR

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

The 23rd July 2014

No. N-15/13/6/1/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely :—

Revenue village of Kadanad in Meenachil Taluk, Kottayam Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/2/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Vellilappilly in Meenachil Taluk, Kottayam Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/3/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Thalappalam in Meenachil Taluk, Kottayam Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/4/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Kurichithanam in Meenachil Taluk, Kottayam Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

The 24th July 2014

No. N-15/13/6/5/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Ramapuram in Meenachil Taluk, Kottayam Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/6/2014-P&D— In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Kaipamangalam in Kodungallur Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/7/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Chentrappinni in Kodungallur Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/8/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Perinjanam in Kodungallur Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/9/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Edathirinji in Mukundapuram Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/10/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Karalam in Mukundapuram Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

The 25th July 2014

No. N-15/13/6/11/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Mupliyam in Mukundapuram Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/12/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Manakkodi in Thrissur Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/13/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Mulayam in Thrissur Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/14/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Manalur in Thrissur Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
JOINT DIRECTOR (P&D)

No. N-15/13/6/15/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Venginissery in Thrissur Taluk, Thrissur Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

The 31st July 2014

No. N-15/13/6/16/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Thekkedesam in Chittur Taluk, Palakkad Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/17/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Anakkara in Ottapalam Taluk, Palakkad Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/18/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Kalady in Ponnani Taluk, Malappuram Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/20/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Chithara in Kottarakkara Taluk, Kollam Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/21/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Keerikkad in Karthikappally Taluk, Alapuzha Dist.

MOHD. IRFAN
JOINT DIRECTOR (P&D)

No. N-15/13/6/22/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Pallippuram in Thiruvananthapuram Taluk, Thiruvananthapuram Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

—
The 1st August 2014

No. N-15/13/6/23/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Sarkara in Thiruvananthapuram Taluk, Thiruvananthapuram Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/24/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Anad in Nedumangad Taluk, Thiruvananthapuram Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/25/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Panavoor in Nedumangad Taluk, Thiruvananthapuram Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/26/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Vellanaad in Nedumangad Taluk, Thiruvananthapuram Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/27/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Aruvikkara in Nedumangad Taluk, Thiruvananthapuram Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

The 7 th August 2014

No. N-15/13/6/19/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Thinkalkarikkom in Punalur Taluk, Kollam District.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/28/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Marukil in Neyyattinkara Taluk, Thiruvananthapuram Dist.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/6/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	Areas comprising the revenue villages of
Sultanpet area	1. Sultanpet
Sulur &	2. Vadampacheri
Palladam Taluk	3. Varapatti
Coimbatore &	4. Puliampatti
Tirupur District	In Sulur Taluk, Coimbatore District
	5. Selakkarachal
	6. Kamanaickenpalayam
	In Paladam Taluk Tirupur District

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

The 8th September 2014

No. N-15/13/7/2/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely:-

Sl. No.	Name of the Rev. Village or Municipal Limits	Hobli	Taluk	District
1	2	3	4	5
1.	Villages within the limits of BIAL area. Bhuvanahalli	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
2.	Udayagiri	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural

1	2	3	4	5
3.	Doddasanne	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
4.	Yarthiganahalli	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
5.	Anneshwara	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
6.	Arashinakunte	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
7.	Gangamuttanahalli	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
8.	Bettakote	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
9.	Chikkanahalli	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
10.	Mylanahalli	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
11.	Begur	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
12.	Villages surrounding BIAL area Karahalli	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
13.	Hegganahalli	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
14.	Anneghatta	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
15.	Sadarahalli	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural
16.	Devanahalli Town	Kasaba	Devanahalli	Bangalore rural

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/5/1/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Gujarat Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1963 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Gujarat namely:-

“The area comprised within the entire Revenue, Municipal and Gram Panchayat limits of “Taluka-SANAND and all villages of Taluka-Sanand, DISTRICT-AHMEDABAD, STATE-GUJARAT”

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/9/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	AREA COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF
Harita (Belagondapalli) Hosur & Denkanikottai Taluk Krishnagiri District	1. Poonapalli 2. Belagondapalli 3. Kalugondapalli 4. Periyamadhagondapalli

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/10/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the

said Regulation 95–A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	AREA COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF
Shoolagiri area Hosur Taluk Krishnagiri District	1. Addagariki 2. Kamandhoddi 3. Marudhandapalli 4. Nallaganakothapalli 5. Shoolagiri 6. Thiagarasanapalli

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/8/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	AREA COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF
Kangeyam Tirupur District	1. Kangeyam 2. Kathangani 3. Ganapathipalayam 4. Padiyur 5. Sivanmalai 6. Thammarettipalayam 7. Alambadi 8. Veeranampalayam 9. Vattamalai 10. Kadayur 11. Aratholuvu 12. Sampanthampalayam 13. Nelai 14. Uthiyur 15. Nalroad 16. Paranservazhi 17. Nathakadiyur 18. Palayakottai 19. Muthur 20. Chinna Muthur

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/7/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations,

1950, the Director General has fixed the 1st September, 2014 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	AREA COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF
Ramanathapuram Centre, Paramakudi & Ramanathapuram Taluk Ramanathapuram District	1. Ramanathapuram Municipal Limit
	2. Kuriyur
	3. Pattinamkathan
	4. Sakkarakottai
	5. Achuthanvayal
	6. Pullangudi
	7. Valantharavai
	8. Kalukoorani
	9. Kuyavankudi
	10. Landai of Ramanathapuram Taluk
	11. Bogalur
	12. Seyyalur of Paramadudi Taluk

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

DARGAH COMMITTEE DARGAH KHWAJA SAHAB(R.A.)

AJMER

ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

Year 2010-2011

It is my proud privilege and also a matter of immense pleasure to make a presentation on the administrative aspects of Dargah Committee, Dargah Khwaja Sahab, Ajmer for the year 2010-2011. An account of the important activities is given in following paras:-

I. The Management:-

The following Members of the Dargah Committee appointed by the Government of India, vide Gazette Notification No. S.O.1456 (E). dated. 24.08.2007 have rendered their services with dedication and devotion during the reporting period:-

- | | |
|--|------------|
| i. Janab Nawab Mohammed Abdul Ali Sahab | Chennai. |
| ii. Janab Haji Hafiz Wakil Ahmed Sahab | Sultanpur. |
| iii. Janab Mohammed Ilyas Qadri Sahab | Ajmer. |
| iv. Professor (Dr.) Ibraheem Sahab | Delhi. |
| v. Janab Sohail Ahmad Khan Sahab | Patna. |
| vi. Janab A.H.Khan Chowdhury Sahab | Delhi. |
| vii. Janab Mohammed Suhel Mohiyuddin Tirmizi Sahab | Ahmedabad. |
| viii. Janab Badruddin Gulammohiyuddin Shaikh Sahab | Ahmedabad. |
| ix. Janab Ghole Ismail Muallim Sahab | Raigarh.. |

Janab A.H.Khan Chowdhury Sahab, M.P and Janab Badruddin G. Shaikh Sahab were elected President and Vice-President respectively for the year 2010-11.

Janab Ahmed Raza handed over the charge of the Nazim on 01/02/2011 to Janab M.A.Imam, Dy Secretary to Govt. of India, I have took over as Nazim on 03/03/2011.

II. A brief regarding services rendered by Dargah Committee:-

- Daily presentation of flowers, sandal and candles on the Holy Shrine.
- Management of Annual Urs.
- Management of Muharram Sharif inside Dargah Sharif and opening of Chilla of Hazrat Baba Farid (R.A.).
- Fateha of Khulfa-e-Rashedeen and Buzurgan-e-Deen.
- Daily Langar for poor with special Sehri / Iftar arrangement during holy month of Ramzan.
- Running of Darul Uloom Moinia Usmaniya Dargah Sharif by providing the knowledge of theology.
- Running of Khwaja Model Secondary School, (an English Medium School) recognized by CBSE. It is imparting education along with basic knowledge of Theology and Moral education.
- Management of Gharib Nawaz Computer Center.
- Stipend to widows and needy persons.
- Maintenance of three separate dispensaries viz. Unani, Homeopathic and Allopathic. Apart from consultations medicines are being provided free of cost.
- Scholarships to needy and meritorious students undergoing medical, engineering and other technical courses.
- Maintenance of Idgah and Financial assistance to various mosques.
- Burial of unclaimed dead bodies.
- Arrangements of pure and triple filtered safe drinking water in Dargah.
- Water arrangements for wazoo. Hot water is provided three times during the winter season.
- Uninterrupted electric supply.
- Maintenance of Guest House consisting of 180 rooms.
- Round the clock cleanliness.
- Providing Shamiyanas in Dargah premises to protect the 'Zaireen' from seasonal hazards. Similarly shelter is also provided at the time of Urs and periodical Religious congregations.
- Payment of Huqooq (Honorarium) to hereditary staff.
- Programme on National Integration.
- Programme for legal literacy among the weaker section of the society.
- Provision has been meant for infrastructure and supervision of the examinations conducted by the Rajasthan Public Service Commission and Revenue Department.
- Protection & periodical maintenances and development of properties and endowment.

III. Achievements of Current Year:

A. Amenities:

- Excellent arrangements of filtered water supply, uninterrupted electricity with standby arrangements of generators, lodging and cleanliness.
- Development of Vishram Sthali (now Gharib Nawaz Mehmankhana) for one Lakh zaireen with parking facility for 6000 buses.
- Completion of Solar Energy project.
- Jhalra water project, a unique project for the supply of pure drinking water @ 4.75 lakh liter per day.
- Supply of Hot water in winter and cold water in summer.
- Operation of sophisticated floor cleaning machine.
- Computerization of guest house, Nazur section is in pipeline.

B. Development of Properties:

- Chalked out a sustainable strategy for "Protection of Dargah Properties"
- 98% success in Legal Matters. Properties worth crores of rupees have been retrieved.
- Legal action and campaign against the unauthorized occupants.

C. Education and Other Academic Activities:

- Up-gradation and development of academic infrastructure for Khwaja Model Secondary School, Computer Centre & Darul Uloom.
- To Conduct RAS, RJS, Patwari, Secretariat Staff and Computer exams on behalf of State Govt. and Govt. of India.
- Seminar/Conference on National Integration.
- Construction of 24 rooms for English Medium secondary school.
- Financial assistance to Minority Status School.
- Educational Trips for students and teachers.

D. Finance:

- Increase in Income
- Investment in FDR from Rs.70 Lakh to Rs. 2.20 Crores.
- Computerization of Accounts Section.

E. Publicity:

- Strengthening Committee to face public through website / booklets / interviews etc.

F. Security:

- Procurement of X-Ray Baggage scanning machine.
- Heightening of a few walls of Dargah Premises.
- Provision of Security Infrastructure viz. cameras, wiring, computers, LCDs, Generators furniture, security guards etc.
- Installation of flood lights.
- Fire safety measures.

G. Urs & Congregations:

- Successful Management of Urs, Mini Urs and a number of congregations.

IV. Welfare & Charities:

- Services to Aazmeen-e- Haj.
- Financial aid to needy and academically brilliant students.
- Medical services through three dispensaries, Lakhs of zaireen have so far been cured.
- Pension to widows.
- Food to 600+150=750 poor people during Ramzan month, arrangements of Eitekaf & Taraveeh.
- Daily langar.
- Regularization of services of Casual & Fixed Pay staff.

V. Management of Urs and Congregations:-

The 798th Annual Urs of Khwaja Gharib Nawaz (R.A.) was held in June 2010 in which around 5 lacs pilgrims visited the Shrine. The Urs was incident free with full infrastructure of amenities provided to the pilgrims. These arrangements were appreciated at National level. Various dignitaries also visited the Shrine to pay homage to the Great Sufi saint viz:

The Dargah Committee has also made all the arrangements for the Mini Urs. The Committee records it's sincere thanks to the Distt. Administration, Police, Intelligence Agencies and the Local Bodies for their spontaneous cooperation.

VI. PROJECTS:

A. Khwaja Model Secondary School :

1. Introduction:

Khwaja Model Secondary School, Ajmer (KMS) was founded on 14th July, 1994 under the auspices of Dargah Committee , Dargah Khwaja Saheb Ajmer. As an English Medium Day School, it started with 35 students, whereas today its strength is 752. It offers unique opportunity to develop both the mind and the body structured educational

and distinctive co-curricular programme. Being, primarily a day school, the campus is spread over five bighas of land with beautiful location. During 2007 and onwards it has developed building, infrastructure and other facilities and thus provides opportunities for each student to excel in various spheres. The School is opened for all. (irrespective of caste, class, creed or community) with co-education.

2. Aims & Objectives:

Aims at a vigorous pursuit of excellence in academics, extra curricular activities, games & sports and character building by providing all-round, meaningful and liberal education with moral values because ours is a tradition of SUFI's who never supported orthodoxy of religion or ideas.

3. Up-gradation of School:

The School which was upto VIII standard since 1994, has been up-graded in 2008 to Secondary Status by the CBSE Delhi. We have applied for Sr. Secondary level affiliations from CBSE, New Delhi.

4. Highly Qualified Teaching Staff:

Subsequent to the affiliation by CBSE the School has inducted highly qualified and trained teachers through a transparent selection process by the professors from Jamia Millia and experts from Mumbai & Rajasthan.

5. Infrastructure Development & Expansion Plan:

- ❖ In 2007 the School Building was comprising only six class room with the 5100 Sft.
- ❖ The Committee with the financial support from a Donor has implemented the expansion plan for total 36 Class rooms measuring 30600 Sft.
- ❖ Apart from this one apartment in the same vicinity has been evicted for Girls hostel.
- ❖ This expansion plan is on "Turnkey Basis" involving a capital outlay of Rs.1.10 Crores which is borne by the Donor.
- ❖ Insha-Allah the building will be ready by 15.05.2011.

6. Backstage Support:

The School has also been providing backstage support for the following activities:

- ❖ Conduct/arrangement of RAS, RJS, Patwari, Secretariat Staff and Computer exams on behalf of State Government and Government of India.
- ❖ Seminar / Conference on National Integration.
- ❖ Educational Trips for students and teachers.

7. Subsidy in Fee:

- ❖ The fee of the school is only 1/3 of the fee as prevailing in other reputed Convent Schools of Ajmer.
- ❖ Therefore a subsidy of Rs.6 lakhs per annum will be provided to the School by Dargah Committee.
- ❖ The very purpose of such skeleton fee structure is to provide financial support to the students coming from the downtrodden strata of the society.

B. Vishram Sthali at Kayad – Ajmer.

- Located at National Highway No. 8 Ajmer – Jaipur Road – 10 Kms away from Dargah Sharif.
- Spread over 230 Bighas (80 Bighas of Dargah Committee + 150 Bighas allotted by Govt. of Rajasthan.)
- Projects funded by Govt. of India –

Ministry of Tourism	01.87 Crores
Under JNURM	15.38 Crores
Total	17.25 Crores

- Executing Agency C.P.W.D.
- To be used during Annual Urs & Muharram (Mini Urs) for Approximate. 18 days.
- The Project:
- Construction of 112 Dormitories to accommodate 70-80 thousand pilgrims.
- Parking facility for 6000 buses.

- Complete and comprehensive infrastructure for security, Transport, Health Services, Electricity, Water, Bus and Railway bookings.
- Availability of commodities at fixed rates by Distt. Supply Officer.
- Construction of Parks, rain water harvesting etc.

C. Renewable Energy System and Devices at Dargah Premises:

As a result of efforts, the Ministry of New & Renewable Energy, Government of India has provided, the Central Financial Assistance of Rs.50 Lakhs for installation of "Solar Energy Devices". Project has been completed and started working from March 2011. This is a unique project which would facilitate the Dargah Committee in curtailment of 1/3 electricity expenses i.e. Rs.12 Lakhs per annum approximately.

D. Functioning of Darul Uloom Moinia Usmaniya:-

The Committee has been successfully managing Darul Uloom Moinia Usmaniya, a school of theology which is also imparting the preaching's of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz. The Darul Uloom has highly qualified five number of Aalim, Fazil, Kamil, Hafiz, Qari and Librarian. There are 60 number of students in the classes viz: Edadiya, Oola, Saniya, Rabiya, Tehtaniya and Hifz. The Committee has also made lodging and Boarding arrangements for 60 number of students. Efforts are also on to construct a suitable building for Darul Uloom with all facilities to the students including recreation facility.

E. Finances:-

Depicted below is the Financial Status of The Dargah committee in term of an abridged Receipt and Payments A/C.

BUDGET PROPOSALS (2011-12)

Income Rs. (In Lakhs)			
Head	Estimated Budget	Income for 2010-11	Budget Estimates 2011-12
Income From Jagirs	2.59	3.09	3.24
Income From Properties	44.53	49.77	50.13
Income From Nazur	146.85	178.79	190.10
Interest From Banks	14.00	13.93	17.00
Receipts From Guest House	121.00	165.69	171.50
Education	25.50	30.48	35.00
Donation"	42.00	1.20	27.00
Miscellaneous Income	11.00	11.82	13.00
Total	407.47	454.77	506.97

BUDGET PROPOSALS

(2011-12)

Expenditure			
Heads	Estimated Budget	Expenditure 2010-2011	Budget Estimates 2011-12
Salaries & Allowances	160.00	178.51	214.03
Office Expenses	29.00	21.72	33.25
Dargah Sharif Expenses	88.95	78.22	102.25
Mazar Sharif Expenses	10.44	11.31	12.50

Dawakhana Expenses	1.95	1.46	2.20
Daruloom Expenses	4.95	4.84	5.45
Aid expenses	18.10	17.36	22.90
Guest House Expenses	27.30	29.09	32.50
Dargah Apartment Expenses	2.10	3.54	3.20
Repairs & Maintenance Expenses	3.00	3.54	4.00
Educational Expenses"	3.50	3.16	4.00
Khawaja Model School Expenses	11.30	16.14	24.85
Computer Center Expenses	4.50	3.30	4.50
Capital Expenditure	10.00	4.61	12.00
Miscellaneous Expenses	1.95	2.45	2.10
Total	377.04	377.25	479.73

G. Dargah Committee Meetings:

The Dargah Committee has had 4 sittings during the year in connection with the affairs of Dargah Sharif.

H. Visit of V.V.I.P's/ V.I.P. :-

The visit of following dignitaries amongst others deserves to be recorded.

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Janab A.P.J. Abul Kalam Sahab, | Former, President of Republic of India. |
| 2. | Shri. Ashok Gehlot Ji, | Hon'ble Chief Minister of Rajasthan |
| 3. | Janab Farooque Abdulla Sahab, | Hon'ble Energy Minister, Govt. of India.. |
| 4. | Smt. Panabaaka Lakshmi, | Hon'ble Minister of State For Textile. |
| 5. | Shri Sriprakash Jaiswal, | Hon'ble Coal Minister, Govt. of India. |
| 6. | Janab Sultan Ahmed, | Hon'ble Minister of State for Tourism Govt. of India. . |
| 7. | Shri Vilas Rao Deshmukh, | Hon'ble Union Minister for Panchayat Raj. |
| 8. | Shri Digvijay Singh, | Former C.M. of Madhya Pradesh. |

I. Vote of Thanks:-

The President and Vice President in particular and all the Committee Members in general have rendered valuable guidance for smooth and successful administration of Dargah Sharif. There was spontaneous cooperation from the Dargah Committee which has resulted in smooth functioning of day to day activities and special events like Urs and other conventional rituals.

I would appreciate the wonderful support received from the Ministry of Minority Affairs, Government of India, District Administration Ajmer, Police Department, Municipal Corporation, Electricity Board and other Public Utility service who have provided excellent support.

I conclude this report with a note that the year to come would also be eventful.

ABDUL MAJEED KHAN
Nazim,
& Chief Executive Officer

DRAFT SEPARATE AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF DARGAH KHWAJA SAHEB, AJMER
FOR THE YEAR 2010-11

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Dargah Khwaja Saheb, Ajmer for the year ended 31 March 2011.

We have audited the attached Balance Sheet of Dargah Khwaja Saheb (DKS), Ajmer as at 31 March 2011 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act 1971 read with Section 19(1) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955. The audit has been entrusted for the period of five years with effect from 2008-09. These financial statements include the accounts of all units of the DKS. These financial statements are the responsibility of the DKS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:-

- I We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- II The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Controller General of Accounts of India.
- III In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer as required under section 20 (2) (d) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955 in so far as it appears from our examination of such books.
- IV We further report that:

Comments on Accounts

A. Balance Sheet

A.I Depreciation fund on moveable assets ₹ 44.88 lakh.

Up to the year 2010-11, Depreciation charged on moveable assets was ₹ 44.88 lakh but amount of depreciation has not been charged to Income & Expenditure Account. This has resulted in to overstatement of fixed assets by ₹ 44.88 lakh as well as surplus to the same extent. It was replied that Dargah Khwaja Saheb is a charitable Institute/Trust and depreciation is not allowable as application of income. The reply is not tenable as it is not as per prescribed format of accounts.

A.2. Assets

A.2.1. Building on free hold land ₹ 328.81 lakh.

This does not include cost of house received in gift as on 16.09.2010 valuing ₹ 16.00 lakh as per sale deed executed between donor and owner of the house. This has resulted in under statement of fixed assets as well as capital fund to the extent of ₹ 16.00 lakh.

A.2.2.(i) Fixed Assets Land-free hold ₹ 41.88 lakh.

(i) The management took possession of three piece of land situated at Khatoli, Devnimari and Jhopdiya at District Kota on 11.4.2009 and total cost of land was assessed at ₹ 22.65 lakh instead of D.L.C rate at ₹ 19.65 lakh. This has resulted in to overstatement of fixed assets as well as capital fund by ₹ 3.00 lakh.

Same was committed in year 2009-10 but no correction was made.

(ii) Dargah Committee finalized construction work at Dargah main building for ₹ 2.32 lakh and at School building at Civil Lines for Rs. 1.59 lakh total a sum of Rs. 3.91 lakh where as it was shown in immoveable assets ₹ 0.91 lakh. This has resulted in under statement of fixed assets as well as capital fund to the extent of ₹ 3.00 lakh.

A.2.3 Current assets, loan & advances etc. ₹ 86.74 lakh.

This includes ₹ 0.81 lakh advance deposit with Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd., Ajmer in last year. This amount was received through adjustment in electricity bill for the month of April, 2010 and raised bill by the company for ₹ 0.44 lakh instead of actual consumption of ₹ 1.25 lakh. DKS booked electricity expenses in month of April, 2010 ₹ 0.44 lakh. This has resulted in overstatement of current assets loans and advance as well as surplus to the extent of ₹ 0.81 lakh.

Management replied that rectification will be made in next financial year.

B. Income & Expenditure A/c

B.I Expenditure ₹ 4.30 crore.

B.I.I. The Dargah Khwaja Sahab is liable to pay retirement benefit however, provision for accruing gratuity and Leave encashment has not been made in accounts. This has resulted over statement of surplus as well as capital fund, amount could not be quantified.

Same was also commented in year 2009-10 but rectification was not made.

B.I.2. During the year 2009-10 receipts from Dargah Guest House amounting to ₹ 5.68 lakh had been embezzled by the receptionist of the Guest House for which a FIR had been lodged by the Dargah authorities. The recoverable amount has not been shown by way of note in the balance sheet of Dargah. Same was also commented in last year but rectification was not made.

C General:

1. This pertains to rental income received from Guest House and rental income from properties which should be booked under sub head income from Miscellaneous. This has resulted in misclassification of sub head.
2. Deposit of Rent & Rent received in Advance ₹ 11.59 lakh (Schedule M) includes ₹ 11.59 lakh security deposit received from tenants equivalent to three months rent which should be booked under head Security Deposit. This resulted in misclassification of head.

D Effect of Audit on Accounts.

The net impact of the comments given in preceding paras is that as on 31st March, 2011 liabilities under stated by ₹ 16.00 lakh, Assets over stated by ₹ 29.69 lakh and surplus over stated by ₹ 45.69 lakh.

E. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

V. Subject to our observations in the preceding paragraphs. We report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account / Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

VI. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters, stated above and other matters mentioned in Annexure-1 to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer as at 31 March 2011, and

b. In so far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: Jaipur

Date : 11-07-2012

Sd/-
Principal Director of Audit (Central)
Ahmedabad
Branch Office: Rajasthan,
Jaipur

**ANNEXURE-L TO SEPARATE AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF DARGAH KHWAJA SAHAB,
AJMER FOR THE YEAR 2010-11**

1. Adequacy of Internal Audit System.

Internal audit system prevailing in the Dargah is not adequate. Chartered Accountant prepared final accounts only.

2. Internal Control system

Internal control system prevailing in the Dargah was evaluated during audit and following position emerged.

- There is no plan of rotation of duties of employees with Cash, Stock & Valuation etc.
- Guest House Register was not maintained properly.
- Visitors Register was not supervised by any authority.
- Stock Register of Receipt Book was not checked by the authority in regular way.
- Fidelity Bond has not been obtained from the cashier/sub cashier.

3. No Accounting manual is in operation.

4. Physical verification.

- (i) Land Register was not maintained.
- (ii) Updation of the property register was not done. Figure of these register were not tallied with accounts.
- (iii) Physical verification of fixed assets has not been done and no system prevail.

5. The Dargah Khwaja Saheb is paying statutory dues in regular.

6. A register showing details of Khadim & the Members of there family has not been maintained.

Sd/-
Audit Officer

Statement of net impact year 2010-11 (DKS 2010-11)

(₹ in lakhs)

S.No.	Comment No.	Liabilities		Assets		Surplus	
		Overstated	Understated	Overstated	Understated	Overstated	Understated
1.	A.1.1	-	-	44.88	-	44.88	-
2.	A.2.1	-	16.00	-	16.00	-	-
3.	A.2.2 (i)	3.00	-	3.00	-	-	-
4.	A.2.2 (ii)	-	3.00	-	3.00	-	-
5.	A.2.3	-	-	0.81	-	0.81	-
	Total	3.00	19.00	48.69	19.00	45.69	

Surplus overstated = ₹ 45.69 Lakhs

Less Liabilities u/s = ₹ 16.00 Lakhs

Assets overstated = ₹ 29.69 Lakhs

Sd/-
Audit Officer / CRA II (Exp.)

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA, MUMBAI

Notice for the 8th Annual General Meeting to be held on 28th August 2014 under section 13 of the Actuaries Act, 2006

To
All Members of the Institute

Annual General Meeting of the Institute in terms of section 13 of the Actuaries Act, 2006 will be held as under;

Date	28 th August 2014
Time	4.00 pm to 5.00 pm
Venue	Institute of Actuaries of India, G S Diwan Room, 302, Indian Globe Chambers, 142, Fort Street, Fort, Mumbai 400 001.

Agenda Items:

Agenda 1:

Two minutes silence to condone death of the following members, information in respect of who came to notice of the Institute after the last AGM on 21st September, 2013.

Sr. No.	Name & Membership No.	Associate/Fellow	Date of Death
1	R.V Joshi (89)	Fellow	27 th March 2014
2	M S Venkataraman (203)	Fellow	2 nd May 2014

Agenda 2:

To take on record the Minutes of the Annual General Body Meeting held on 21st September, 2013.

Agenda 3:

To consider and adopt the 8th Report of the Council for the year ended 31st March, 2014.

Agenda 4:

To consider and adopt the Audited Accounts for the period 1st April 2013 to 31st March 2014.

Agenda 5:

To take on record the result of the Election to the Council - 2014

Note: The notice is sent through email, mailed to members not having provided email ID and posted on the website. The Agenda notes are being sent / provided separately.



Rajesh Dalmia
Honorary Secretary

Minutes of 7th Annual General Meeting

Annual General Meeting of the Institute in terms of section 13 of the Actuaries Act, 2006 was held as under;

Date	21 st September 2013
Time	2.00 pm to 3.00 pm
Venue	IAI office, G S Diwan Room

The meeting was adjourned to 5:00 pm for the requirement of quorum. The adjourned meeting was conducted on schedule at the same place where no quorum was required.

Members Present

1. Mr. M Karunanidhi
2. Mr. K.S. Gopalakrishnan
3. Mr. Saket Singhal
4. Mr. Dilip Chakraborty
5. Mr. A. R. Prabhu
6. Mr. Chandan Khasnobis
7. Ms. N. Kalpana
8. Mr. Vinod Kumar

Staff Present

1. Mr. RBL Vaish
2. Mr. Gururaj Nayak
3. Mr. Ravi Mastekar
4. Mr. Yogesh Pandit

The President, Mr. M Karunanidhi chaired the meeting.

Agenda 1:

Two minutes silence was observed to condole the death of the following members;

Sr. No.	Name & Membership No.	Associate/Fellow	Date of Death
1)	Mr. R K Chandak (29)	Fellow	26.08.2012
2)	Mr. D R Iyer (78)	Fellow	14.01.2013
3)	Mr. R K Daruwalla (16645)	Fellow	08.05.2013

Agenda 2: To take on record the Minutes of the Annual General Body Meeting held on 8th September, 2012.

The minutes were taken on record.

Agenda 3: To consider and adopt the 7th Report of the Council for the year ended 31st March, 2013.

President presented the 7th Report of the Council for the year ended 31st March, 2013.

He informed that the governance framework of the Institute has shaped up well over the past few years. He also informed about the student support scheme which is an expression, among others, of the IAI's social responsibility and aims to create an enabling infrastructure to reach out to economically disadvantaged students. The scheme aims to provide financial support to student members of IAI with potential to become an actuary, but who might otherwise find it difficult to mobilize financial resources to pursue the examinations.

He further explained that on our continuing effort to strengthen member services delivery mechanism, examination registration and payments have been made online. There are also efforts being put in place to enable member level online logging and tracking of CPD credits.

The resolution was proposed by Mr. Vinod Kumar and seconded by Mr. Saket Singhal.

Thereafter, the 7th Report of the Council for the year ended 31st March, 2013 was adopted.

Agenda 4: To consider and adopt the Audited Accounts for the period 1st April 2012 to 31st March 2013.

President briefed the members about the finances of the Institute. He informed investment income went up significantly reflecting higher investment income earned and also reflecting a higher investible fund. Investment income went by 27 lacs. The total investments have gone up by 2.38 Crores from 17.3 Crore to 19.7 Crores. The revenue generated through educational service and examination fees accounts for 68.47% of the total revenue. He also acknowledged the contribution of various committees and Advisory Groups who have contributed throughout the year and brought activities to very high standards of professionalism.

Thereafter, the audited accounts for the period from 1st April, 2012 to 31st March, 2013 of the Institute of Actuaries of India were adopted.

The resolution was proposed by Mr. K. S. Gopalakrishnan and seconded by Mr. D. C. Chakraborty.

The meeting ended with vote of thanks to the Chair.

President's Statement on the state of the Institute



Greetings!

I am happy to share a brief summary of the initiatives and activities during the year 2013-14.

On the Education and Examinations front, counselling sessions continued to be offered to those failing narrowly. A workshop was held with the examiners of Specialization subjects to review exam pass percentages over the last few years and identify potential reasons for repeated failure of students on certain subjects. Detailed discussions also held on areas for improvement in the examination paper setting in terms of ensuring consistency with regard to testing of India specific environment, conceptual & communication clarity and business knowledge.

15 students have been admitted to our fellowship during the year taking the count of fellows to 278 as of 31.3.2014. Our student entry test ACET administered via 41 centers across the country was attempted by 4844 students and 2150 of them got through.

There have been 12 capacity building seminars across different specialization areas attended by 623 members. Our flagship conference GCA added another successful year with a participation of 735 people from 16 countries.

We have been granted the Certified Enterprise Risk Actuary (CERA) award signatory status, thus becoming one of the 15 actuarial associations that offer the qualification across the world. The CERA Enterprise Risk Management credential is the most comprehensive and rigorous globally-recognised Enterprise Risk Management (ERM) designation. We believe this is a significant development to promote the risk management skill set that actuaries bring to the table and this has much wider application beyond the traditional insurance and pension sectors.

With a view to promote and attract talent into the profession, road shows were conducted in institutions of high reputation such as IITs. There is more work that will need to be done in this area. We provided financial support to 11 students during the year through our Student Support Scheme to bright students from economically weaker sections of the society.

During the year, the Research department at the Institute has taken the opportunity of undertaking external projects related to People Living with HIV, contributing to the cause of public interest. There were two reports prepared by the team, viz., "Understanding Demographic profile and Medical needs of People Living with HIV" and "How different the mortality of PLHIV group?". These reports have also been referred by IRDA to derive insights on preparation of underwriting guidelines by insurance companies in India. The team also worked on a study titled "Understanding Salary Escalation Trends in Indian Private Sector" was published with a view to help setting appropriate assumptions for projecting costs of retirement benefit provisions. There another similar study being worked upon with regard to salary scales in public sector banks in India which could again provide valuable insights for a number of stakeholders.

The MMIC has been shifted to IIB (Insurance Information Bureau) to gain synergies in terms data collection, technology, storage and analytics. The work of IIB with regard to mortality and morbidity investigations will be guided by a committee of actuaries with representation from the Institute, IRDA and the Life Council.

The Govt. has constituted a quality review board as per the provisions of the Actuaries Act, 2006. The board has advised the institute to expedite institution of professional compliance monitoring in all actuarial practice areas. While some work has already been initiated already, this is clearly a critical area of focus and so deserves full attention in the years to come.

There have been views expressed at different forums by stakeholders that the supply of actuaries should increase. While efforts are made to attract right talent into the profession who could progress through the examinations relatively quickly, the institute has maintained that the professional qualification is rigorous and takes time and maintaining quality is of paramount important. This is an area that requires continued debate and a lot more work that need to be done in the years to come. It is also important to recognize that, often, the underlying problem is more to do with the quality of demand (though there is clearly demand) in some areas than the supply. Supply will always find its ways to meet demand if it is of good quality – so, the quality of demand is the key. And, therefore the stakeholders need to work together to create a conducive environment in areas where there are concerns over the quality of demand.

In our continued effort to provide good quality member support, the admission for student membership, the examination registration and booking for counseling sessions have all been made online. A detailed review of our IT infrastructure to ensure data safety and security including documentation of a number of processes that evolved over time were carried out during the year.

The Council has been quite busy meeting 7 times during the year and transacting 56 agenda items.

Finally, there is always more to work and scope to improve and so voluntary contribution from members remains fundamental to continue to make progress as a profession. I would like to take this opportunity to thank all members of the Council, Committees, Advisory Groups, Examiners, those involved in the examination/ education activities and the Institute staff whose efforts have kept us going.

Looking forward to yet another year of progress!

Eighth Report of the council for the year ended 31.03.2014

1 Environment

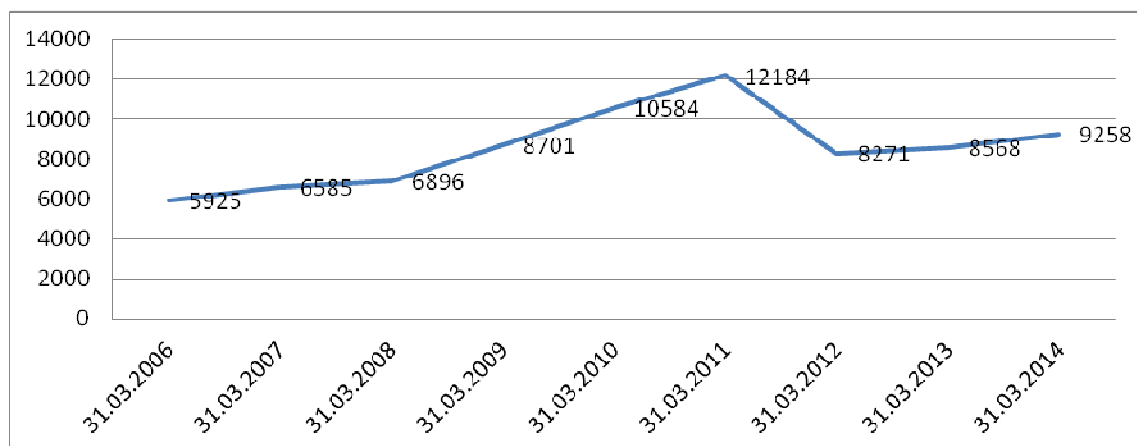
- 1.1 One of the major employers of actuarial talent, the life insurance industry, continued slow down adjusting to regulatory changes. The life insurance penetration level being low and the regulatory push towards more protection oriented products would mean greater risk management rigor required to be applied by the companies and thus greater involvement by actuarially qualified personnel.
- 1.2 The general insurance and health insurance industry continue to grow and expand their offerings. There is increased focus in the way the companies in this segment are pricing products and reserving for future liabilities and the actuarial involvement has been expanded to a large extent.
- 1.3 Entry level actuarial employment remains limited. The actuarial offshore units continue to contribute predominantly on this. Demand for experienced and qualified actuaries remained strong across all practice areas. There has been an increasing trend of Indian actuaries relocating for opportunities overseas.
- 1.4 Retirement benefit area continues to be the primary consulting domain for a number of actuaries in India. There is still large untapped potential in non-traditional areas.

2. Membership

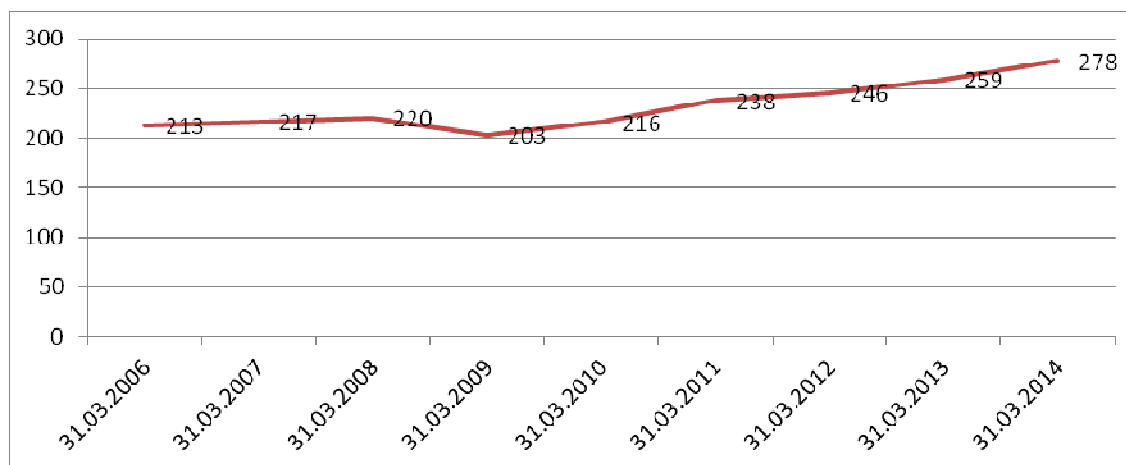
2.1 Analysis

Class Of Membership	As on 31.03.2006	As on 31.03.2007	As on 31.03.2008	As on 31.03.2009	As on 31.03.2010	As on 31.03.2011	As on 31.03.2012	As on 31.03.2013	As on 31.03.2014
Fellows	213	217	220	203	216	238	246	259	278
Affiliates	23	27	18	20	16	17	21	18	19
Associates	131	135	134	132	130	137	134	124	151
Students other than Associates	5552	6200	6518	8340	10216	11786	7864	8161	8804
Total	5919	6579	6890	8695	10578	12178	8265	8562	9252
Hon. Fellows	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Grand Total	5925	6585	6896	8701	10584	12184	8271	8568	9258

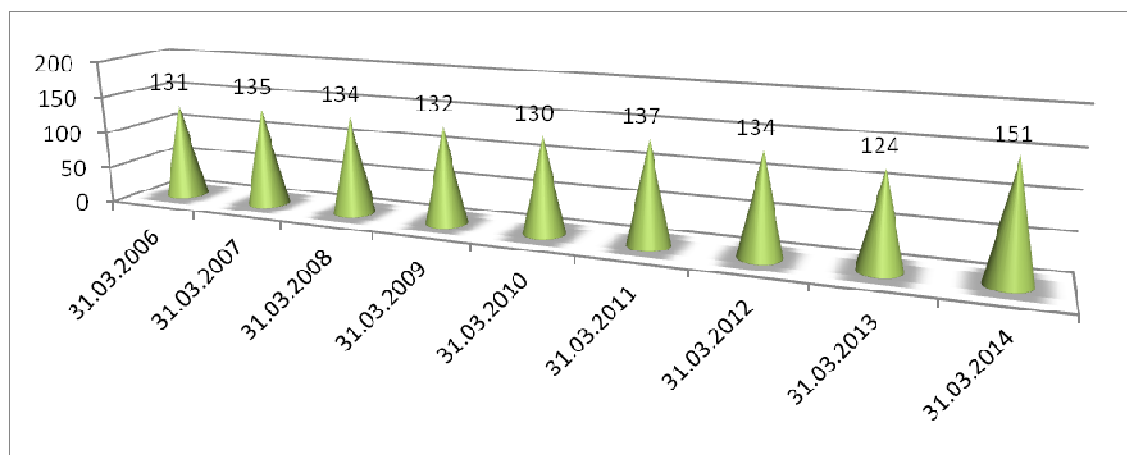
Year to Year Membership over year 2006 to year 2014



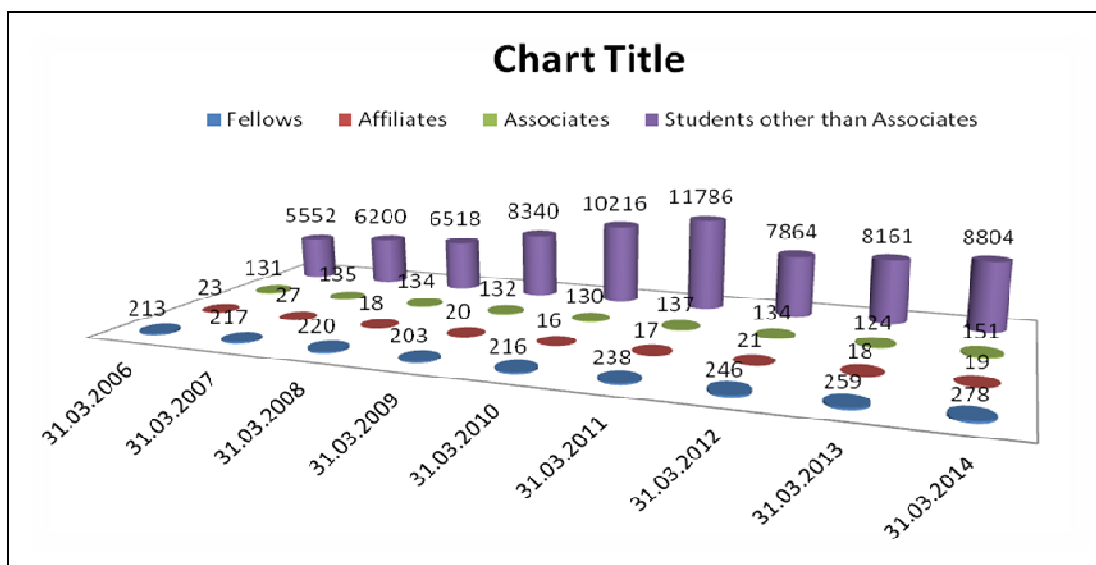
Fellow Member Counts – Year 2006 to Year 2014



Associate Membership Year 2006 to Year 2014



Membership Counts



2.2 Age wise distribution of members (other than Honorary Fellows) as at 31.03.2014

Age	Fellow	Associate	Affiliates	Student	Total
less 20	0	0	0	486	486
20-25	0	7	0	3748	3755
26-30	27	26	3	2118	2174
31-35	49	16	2	1114	1181
36-40	31	11	5	538	585
41-45	50	47	2	500	599
46-50	29	16	2	224	271
51-55	13	6	1	47	67
56-60	4	6	3	17	30
61-65	15	11	1	7	34
66-70	2	2	0	3	7
71-80	37	2	0	2	41
81-90	20	1	0	0	21
91& above	1	0	0	0	1
Total	278	151	19	8804	9252

2.3 Deaths

The Institute reports with regret, the death of following of its members from the period from last AGM till 31.08.2014.

Sr. No.	Name & Membership No.	Associate/Fellow	Date of Death
1	R.V Joshi (89)	Fellow	27 th March 2014
2	M S Venkataraman (203)	Fellow	2 nd May 2014

2.4 Members qualified as Fellows from Student Category

The Following members were admitted as fellow of IAI from 16th August 2013 till 31st July 2014

Sr. No	Member Id	Name	Route	Last Paper Passed / Exempted	IFS Seminar attended on	Date of Admission as fellow
1.	10562	Mr Devadeep Gupta	Student	SA2 in November 2012 Examination	13th - 14th June 2013	11/Sep/2013
2.	5068	Mr. Anurag Rastogi	Student	CA2 in June 2013 Examination	13 th – 15 th December 2012	25/Sep/2013
3.	4538	Mr. Dinesh Pant	Student	CA2 in June 2013 Examination	4 th – 5 th December 2013	17/Dec/2013
4.	2869	Ms. Shuchi Jindal	Student	SA4 in May 2013 Examination	13 th - 15 th December 2012	17/Dec/2013
5.	6425	Mr. Pankaj Kumar Tewari	Student	CA2 exempted in November 2013	4 th - 5 th December 2013	26/Dec/2013
6.	5230	Mr. Joydeep Saha	Student	CA2 passed in June 2013	on 4 th - 5 th December 2013	04/Jan/2014
7.	1049	Mr. Anuj Behl	Student	SA1 passed in May 2013 Examination	4 th – 5 th December 2013	29/Jan/2014
8.	2850	Ms Raunak Jha	Student	CA2 passed in October 2013 Examination	4 th – 5 th December 2013	29/Jan/2014
9.	7684	Mr Ravi Balaji	Student	CA2 passed in October 2013	13 th - 14 th June 2013	01/Feb/2014
10.	6623	Mr Parasuram Babu Varakavi	Student	CA2 passed in June 2013 Examination	4 th – 5 th December 2013	11/Feb/2014
11.	5760	Mr Vikash Kumar Sharma	Student	SA2 passed in November 2013 Examination	4 th – 5 th December 2013	11/Feb/2014
12.	6943	Mr Abhinav Singh	Student	CA2 exempted in November 2013	4 th – 5 th December 2013	11/Feb/2014
13.	1430	Mr Himanshu Chaudhry	Student	SA1 passed in November 2013 Examination	28 th - 29 th June 2012	11/Feb/2014
14.	3700	Ms Sunayana Mahansaria	Student	CA1 passed in May 2013 Examination	13 th – 14 th December 2012	11/Feb/2014
15.	3203	Mr Mehtab Khan	Student	CA3 passed in December 2013 Examination	4 th – 6 th December 2013	15/Feb/2014
16.	6248	Ms V Subbulakshmi	Student	CA2 Exempted in November 2013	16 th - 17 th June 2011	01/Apr/2014
17.	10198	Mr Sachin Garg	Student	CA2 passed in February 2014 Examination	4 th – 5 th December 2013	11/Jun/2014
18.	6605	Ms Jyoti Vaidya	Student	CA3 passed in December 2013 Examination	12 th – 14 th June 2014	26/Jun/2014
19.	2717	Ms Prashansa Jain	Student	SA2 passed in November 2013 Examination	12 th – 14 th June 2014	03/Jul/2014

2.5 Members qualified as Fellows from Affiliate Category

The Following members were admitted as fellow of IAI from 16th August 2013 till 31st July 2014

Sr. No	Member Id	Name	IFS Seminar attended on	Date of Admission
1.	26967	Mr Philip Jackson	13 th – 14 th June 2012	25/Sep/2013
2.	26127	Mr. Hiten Kothari	13 th – 14 th June 2013	18/Oct/2013
3.	27953	Mr Michael Frylinck	4 th – 6 th December 2013	15/Feb/2014

2.6 Members admitted as Fellow (MRA Route)

The following members were admitted during the year as fellow through MRA Route of IAI from 16th August 2013 till 31st July 2014

Sr. No	Member Id	Name	IFS Seminar attended on	Date of Admission
1.	1377	Mr. Shivank Chandra	13th - 14th June 2013	11/Sep/2013
2.	1490	Mr. Neel Chheda	4 th – 5 th December 2013	03/Jan/2014
3.	349	Mr. Ajai Kumar Tripathi	4 th – 5 th December 2013	03/Jan/2014
4.	2439	Mr Shamit Gupta	4 th – 5 th December 2013	01/Feb/2014
5.	6701	Ms Bhavna Verma	13 th -14 th June 2013	11/Feb/2014
6.	3789	Mr Ramakant Malpani	4 th – 6 th December 2013	15/Feb/2014
7.	5036	Mr Ashish Ranjan	13 th – 14 th June 2013	15/May/2014

2.7 Members admitted as Affiliates

The Following members were admitted as Affiliate of IAI from 19th April 2013 till 31st July 2014

Sr. No	Member Id	Name of the member	Date of admission
1.	27951	Ms. Jennifer Earis	11/Sep/2013
2.	27953	Mr. Michael Frylinck	18/Sep/2013
3.	29040	Mr Charchit Agarwal	11/Feb/2014

2.8 Members admitted as Associates

The following members were admitted as Associate of IAI from 3rd August 2013 till 31st July 2014

Sr.No.	Member Id	Name of the member	Date of admission
1.	523	Ms. Rhythm Aggarwal	11/Sep/2013
2.	6113	Ms. Aditi Sodhi	18/Sep/2013
3.	5760	Mr. Vikash Kumar Sharma	25/Sep/2013
4.	2662	Ms. Disha Jain	25/Sep/2013
5.	9907	Ms. Suruchi Bhargava	28/Sep/2013
6.	1141	Mr. Himanshu Bhatia	04/Oct/2013
7.	5036	Mr. Ashish Ranjan	18/Oct/2013
8.	1351	Mr. DNKLNK Chakravarthi	18/Oct/2013
9.	5756	Ms. Vasundhara Sharma	17/Dec/2013
10.	6847	Mr Nakul Yadav	29/Jan/2014
11.	1029	Mr Gaurav Batra	29/Jan/2014
12.	2717	Ms Prashansa Jain	01/Feb/2014
13.	9605	Ms Krithika Verma	01/Feb/2014
14.	5932	Ms Kavita Ramphool Singh	01/Feb/2014
15.	3222	Mr Rahul Khandelwal	01/Feb/2014
16.	3718	Mr Mahidhara Davangere V	01/Feb/2014
17.	6548	Mr Vaibhav Tyagi	11/Feb/2014
18.	4476	Ms Ridhi Paliwal	11/Feb/2014
19.	515	Ms Neha Aggarwal	11/Feb/2014
20.	1088	Mr Ramanuj Bansilal Bhangdiya	15/Feb/2014
21.	7701	Ms Yogita Rawat	15/Feb/2014
22.	4607	Ms Kruti Kamlesh Patel	15/Feb/2014
23.	8065	Ms Neha Agarwala	15/Feb/2014
24.	5168	Mr Sourav Roy	15/Feb/2014
25.	10399	Ms Chehak Jain	01/Apr/2014
26.	3305	Mr Irvinder Singh Kohli	11/Jun/2014
27.	1325	Mr Supriyo Chaki	26/Jun/2014

3. Council and Committees/Advisory Groups

3.1 Members of the Council serving as on 31st July 2014

Sr. No.	Name	Office
1	Mr. M Karunanidhi	President
2	Mr. K S Gopalakrishnan	Vice President
3	Mr. Rajesh Dalmia	Honorary Secretary
4	Mr. Anup Wadhawan	Member (Nominated as per Govt. of India - Notification dated 12/08/2013)
5	Mr. B A Prabhakar	Member (Nominated as per Govt. of India - Notification dated 13/02/2014)
6	Mr. M Ramprasad	Member (Nominated as per Govt. of India - Notification dated 03/07/2012)
7	Mr. A R Prabhu	Member
8	Mr. Chandan Khasnobis	Member
9	Mr. D. C. Chakraborty	Member
10	Mr. GLN Sarma	Member
11	Mr. K Sriram	Member
12	Mr. Liyaquat Khan	Member
13	Ms. N Kalpana	Member
14	Mr. Saket Singhal	Member
15	Ms. Vibha Bagaria	Member

3.2 Meetings

From the last AGM on 21st September 2013 till 31st July 2014, the Council met eleven times in Mumbai on the following dates

Sr. No	Council meetings' dates
1	2-Mar-13
2	4-May-13
3	15-Jun-13
4	3-Aug-13
5	31-Aug-13
6	21-Sep-13
7	14-Dec-13
8	16-Feb-14
9	12-Apr-14
10	21-Jun-14
11	26-Jul-14

3.3 Officers

Sr.	Name	Office
1	Mr. M Karunanidhi	President
2	Mr. K S Gopalakrishnan	Vice President
3	Mr. Rajesh Dalmia	Honorary Secretary

3.4 Committees

The committees and members as on 31st July 2014 are as under;

3.4.1 External Affairs and Research Committee (under section 21)

Members

Sr. No	Name	Office
1	Mr. D C Chakraborty	Chairperson
2	Mr. A R Prabhu	Member

Functions

1. Develop and maintain good relationship with external stakeholders including other domestic and overseas professional bodies, Statutory and Regulatory bodies and industry associations
2. Develop and maintain an effective Communication strategy – for members, media and other stakeholders, publication of the 'The Actuary India', Journals, Brochures, Newsletters etc
3. Promotion of research and wider-fields activities for actuaries
4. Conduct of Global conference of Actuaries and other similar events
5. Other functions that may be assigned to this Committee from time to time by the Council

The following advisory group(s) shall report to this Committee:

- I. Communications
- II. Peer, Stakeholder and International Relations
- III. Research and publication
- IV. Enterprise Risk Management
- V. Off-shored Actuarial Functions
- VI. Microinsurance

3.4.2 Professionalism Committee (under section 21)

Members

Sr. No	Name	Office
1	Mr. Chandan Khasnobis	Chairperson
2	Mr. Saket Singhal	Member

Functions

1. Set up of Actuarial Standards and monitoring compliance
2. Set up of Criterion for and Issuance of Certificate of Practice (CoP)
3. Set up of criterion for Continuing Professional Development (CPD) and monitoring compliance
4. Conduct of CPD/ Professionalism/ Ethics courses/seminars
5. Other functions that may be assigned to this Committee from time to time by the Council

The following advisory group(s) shall report to this Committee:

- I. Professionalism, Ethics and Conduct
- II. Accounting, Solvency – Insurance and Pension funds
- III. Social, Culture and Youth Affairs

- ✚ In addition, the specialization area advisory groups – Life, General, Health Care and Pensions advisory groups - will report to this Committee for matters relating to CoP, CPD and setting up of actuarial standards

3.4.3 Audit Committee (under section 21)

Members

Sr. No	Name	Office
1	Mr. K Sriram	Chairperson
2	Ms. Vibha Bagaria	Member
3	Mr. Saket Singhal	Member
4	Mr. Viren H Mehta	Member

Functions

1. Appointment of internal and external auditors
2. Liaise with Committees/council to ensure closure of all audit items
3. Ensure IAI is compliant with all rules, regulations, acts etc.
4. Other functions that may be assigned to this Committee from time to time by the Council

3.4.4 Finance and Admin Committee (under section 21)

Members

Sr. No	Name	Office
1	Mr. Liyaquat Khan	Chairperson
2	Ms. N Kalpana	Member
3	Mr. A R Prabhu	Member

Functions

1. Develop financial budget for current year and estimated budgets for the succeeding three years Liaise with Committees, Advisory Groups and other such groups as far as it relates to finances of the Institute.
2. Management of financial condition including Tax matters of the Institute.
3. Development and implementation of financial controls and accounting policies of the Institute.
4. Develop an investment policy and take decisions on investments in line with the policy Oversee the administration of the institute with regard to member service delivery and HR practices.
5. Implement the student support scheme or other similar schemes meant for welfare of the members of the Institute Other functions that may be assigned to this Committee from time to time by the Council.

The following Advisory Group(s) shall report to this Committee:

HRD, Administration and Finance

3.4.5 Education Committee (under section 21)

Members

Sr. No	Name	Office
1	Mr. M. Karunanidhi	Chairperson
2	Dr. K. Sriram	Member
3	Mr. Liyaquat Khan	Permanent Invitee
4	Mr. K S Gopalakrishnan	Permanent Invitee

Functions

1. Review of Education policy from time to time.
2. All matters relating to the conduct of examinations - selection of examiners /markers, honorarium, logistics, declaration of results, addressing student grievances, probing examination malpractices etc.
3. Enter into and manage Exemption /mutual recognition arrangements with overseas professional bodies, universities etc.
4. Conduct examination Coaching / Counseling for students.
5. Conduct Capacity building and Current issues Seminars/Conferences.
6. Other functions that may be assigned to this Committee from time to time by the Council.

The following advisory group(s) shall report to this Committee: Examination

- I. Life Insurance
- II. General Insurance
- III. Pension, other Employee benefits and Social security
- IV. Health Care Insurance

3.4.6 Disciplinary Committee (under section 26)

Members

Sr. No	Name	Office
1	Mr. K S Gopalakrishnan	Presiding Officer
2	CA. Uttam Prakash Agarwal	Member
3	Mr. N Srinivasa Rao	Member
4	Mr. Liyaquat Khan	Member
5	Mr. Rajesh Dalmia	Member

Functions of the Committee:

As per Actuaries Act 2006 and the Actuaries (Procedure for Enquiry of Professional and Other Misconduct) Rules, 2008.

3.5 Advisory Groups / Task Force

The Advisory Groups as on 31st July 2014 are as under;

3.5.1 Advisory Group on Examination

Members

Sr. No	Name	Office
1	D. Sai Srinivas	Chairperson
2	Puneet Nayyar	Secretary
3	Varun Gupta	Member
4	Pranshu Maheshwari	Member
5	Akash Gupta	Member
6	Abhay Tewari	Member
7	Subhendu Bal	Member
8	Pravir Chandra	Member
9	Samreen Asif	Member
10	Dheeraj Mishra	Member

Functions

- Review examination infrastructure and ensure high level of integrity.
- Explore broad basing for example CT9 and CA2 examinations using external alliances and technology, if necessary.
- ‘Out of the box’ thinking on pool of examiners, creating “staff actuary” system and oversight of examinations delivery.
- Ensure question papers and marking, are of high standards within the laid down framework of the Education Policy.
- Conduct periodic meets of paper setters, examiners and markers with a view to ensuring that all stakeholders are on the same page with respect to what is expected of them.
- To liaise and work along with UK Actuarial Profession as far as examination governance is concerned.
- To work in sync with Task Force on Education Strategy.

3.5.2 Advisory Group on Professionalism, Ethics & Conduct

Members

Sr. No	Name	Office
1	Abhay Tewari	Chairperson
2	Sanjeeb Kumar	Secretary
3	Asha Murli	Member
4	V. Rajagopalan	Member
5	Gautam Kakar	Member
6	P.A. Balasubramanian	Member
7	Nick Taket	Member
8	Prithesh Chaubey	Member

Functions

- Inculcate high level of Professionalism amongst members through delivery mechanism that is effective,
- Develop robust code of conduct, Actuarial Practice Standards and its compliance mechanism,
- Encourage, motivate and incentivise compliance with code of conduct and Actuarial Practice Standards,
- Advise on implementation of Disciplinary provisions within the framework of Actuaries Act 2006, that is just, fair and meets the ends of justice within the requirements of principles of public interest,
- Run Professionalism courses that meet the requirements of the profession on its members to be ethically compliant at all times.

3.5.3 Advisory Group on Peer, Stakeholder & International Relations Members

Sr. No	Name	Office
1	K Subrahmanyam	Chairperson
2	Heerak Basu	Secretary
3	Akshay Pandit	Member
4	S. Madhusudhanan	Member
5	Sunil Sharma	Member
6	Mayur Ankolekar	Member
7	Bharat Venkataramani	Member
8	Debarshi Chatterjee	Member

Functions

- Ongoing interaction with and influencing opinion makers such as (i) CA institute, (ii) Institute of Company Secretaries, (iii) Law Profession, (iv) Financial Services Regulators: IRDA, SEBI, RBI, (v) industry bodies and corporate sector: FICCI, CII and others, (vi) Government.
- Relations with international actuarial bodies.
- To market the profession amongst stakeholders in skill sets of actuaries and in the immediate facilitate employment capacity of Institute members.
- Image building of actuaries as experts and managers of risk and financial institutions.
- To have responsibility for the conduct of Global Conference of Actuaries.
- Identifying actuarial education support needs of countries in South Asia and Asia Pacific and facilitate delivery of the same.

3.5.4 Advisory Group on Communication Members

Sr. No	Name	Office
1	Sunil Sharma	Chairperson
2	Nick Taket	Member
3	Anil K. Singh	Member
4	D. Sai Srinivas	Member

Functions

- Two-way communication with members: seeking views and delivering messages: opinion surveys.
- Electronic and print communication - internal: re-look at the current Actuary India Magazine including other options.
- Electronic and print communication – external: electronic and print media – journalists.
- Website matters.

3.5.5 Advisory Group on Research & Publication Members

Sr. No	Name	Office
1	Tania Chakrabarti	Chairperson
2	Gautam Shah	Secretary
3	R. Arunachalam	Member
4	Ajay Chaturvedi	Member
5	Aditya Tibrewal	Member
6	Souvik Jash	Member
7	P. K. Dinakar	Member

Functions

- To be responsible for all actuarial research including mortality, morbidity and other decrements. Loss distributions in general insurance and such other areas as may be decided by the council from time to time.
- To be responsible for bringing out publication on various aspects of financial services industry wherein members of the profession have or may have potential interest.
- To co-ordinate with such activities amongst other actuarial bodies.

3.5.6 Advisory Group on HRD, Administration and Finance Members

Sr. No	Name	Office
1	Subhendu Bal	Chairperson
2	Bharat Venkataramani	Secretary
3	Mayur Ankolekar	Member
4	Prithesh Chaubey	Member
5	Gautam Shah	Member

Functions

- Assist the Council in developing the Institute as a service organization that provides quality service to members: good member administration system, publish turn-around-time for responding to member queries,
- Develop road map for Institute to have its own premises and take steps to acquire a suitable plot in the immediate.
- Budgeting
- High level integrity in financial systems and controls,
- Ensure high level of staff motivations, adequate compensation and career path.
- Take a view on staffing matters and advise the President accordingly.

3.5.7 Advisory Group on Social, Cultural and Youth Affairs

Members

Sr. No	Name	Office
1	Sabyasachi Sarkar	Chairperson
2	Nidhir Gupta	Secretary
3	Harshita Gupta	Member
4	Tanay Chandra	Member
5	Suruchi Bhargava	Member
6	Avdhesh Gupta	Member
7	Aditi Sodhi	Member
8	Himanshu Bhatia	Member

Functions

- To be responsible for identifying, nurturing and facilitating performance of talents within the Institute membership, particularly the performing arts.
- To be responsible for identifying generalized issues relating to younger members of the Institute and facilitate addressing the same.
- To response to issues relating to younger members of the Institute that are referred to it.

3.5.8 Advisory Group on Life Insurance

Members

Sr. No	Name	Office
1	Sanjeev Pujari	Chairperson
2	Kushwant Pahwa	Secretary
3	B N Rangarajan	Member
4	Nelius Bezuidenhout	Member
5	N. M. Govardhan	Member
6	V. Rajagopalan	Member
7	Richard Holloway	Member
8	Mark Saunders	Member
9	Peter Duran	Member
10	Srinivasan Parthasarathy	Member
11	Shuba Neelakantan	Member
12	Sanket Kawatkar	Member

Functions

- To be responsible for addressing issues in respect of life insurance that are referred to it or the Group considers appropriate to address and advise the Council for appropriate action.
- To be responsible for putting in place and reviewing Actuarial Practice standards (Guidance Notes) that are required for members of the institute who work in life insurance including Appointed Actuaries.
- To design and carry out Continuing Professional Development Programmes including seminars and workshops for enhancement of skills of members
- To be in know of and advise the institute on emerging business and industry issues affecting life insurance industry within and outside India.

- To be in the know of and advise the Institute on useful technical and academic developments relating to life insurance in actuarial or other relevant fields, at local or international level.
- The long-term aim of all the activities of the LIAG should be that the Institute be recognized as a trusted body that acts, within the terms of the Actuaries Act, 2006, in the interest of the industry and of the public

3.5.9 Advisory Group on General Insurance

Members

Sr. No	Name	Office
1	Mehul Shah	Chairperson
2	Debarshi Chatterjee	Secretary
3	Manalur Sandilya	Member
4	Puneet Sudan	Member
5	Sulochana Enjeti	Member
6	Sharon DCosta	Member
7	Vikas Newatia	Member
8	Ankur Agrawal	Member
9	R Arunachalam	Member

Functions

- To be responsible for addressing issues in respect of general insurance that are referred to it or the Group considers appropriate to address and advise the Council for appropriate action.
- To be responsible for putting in place and reviewing Actuarial Practice standards (Guidance Notes) that are required for members of the institute who work in general insurance including Appointed Actuaries
- To design and carry out Continuing Professional Development Programs including seminars and workshops for enhancement of skills of members of the profession in general insurance.
- To be in know of and advise the institute on emerging professional issues affecting general insurance industry within and outside India.
- To be in know of and advise the institute on emerging business and industry issues affecting general insurance industry within and outside India.
- To advise the Council on any regulatory or market issues that potentially may affect the status of the profession.

3.5.10 Advisory Group on Health Care Insurance

Members

Sr. No	Name	Office
1	Biresh Giri	Chairperson
2	Vishwanath Mahindra	Secretary
3	Jagbir Sodhi	Member
4	Vibha Bagaria	Member
5	Richard Kipp	Member
6	Herbert Meister	Member
7	Rajesh S	Member
8	Raunak Jha	Member

Functions

- To be responsible for addressing issues in respect of Health Care Insurance that are referred to it or the Group considers appropriate to address and advise the President/Council for appropriate action.
- To be responsible for putting in place and reviewing Actuarial Practice standards (Guidance Notes) that are required for members of the institute who work in Health Care Insurance.
- To design and carry out Continuing Professional Development Programs including seminars and workshops for enhancement of skills of members of the profession in Health Care Insurance.
- To be in know of and advise the institute on emerging professional issues affecting Health Care Insurance industry within and outside India.
- To be in know of and advise the institute on emerging business and industry issues affecting Health Care Insurance industry within and outside India.
- To advise the Institute on any regulatory or market issues that potentially may affect the status of the profession.

3.5.11 Advisory Group on Pensions, Other Employee Benefits & Social Security

Members

Sr. No	Name	Office
1	K Subrahmanyam	Chairperson
2	Chitra Jaisimha	Secretary
3	Kulin Patel	Member
4	Preeti Chandrasekhar	Member
5	Simon Methis Herborn	Member
6	R. Arunachalam	Member
7	K Ganesan	Member
8	A D Gupta	Member

Functions

- Creating more visibility for the practice through continuous public engagement.
- Strengthening Public Image for the Practice by setting communication standards and creating mechanisms for information sharing.
- Recommending to the Council an appropriate Certificate of Practice Mechanism and Standardized Valuation Reporting Formats for Consulting Actuaries.
- Supporting Consulting Actuaries in the context of information clarity and communication issues.
- Building Quality by updating Course Syllabus and Course Material; and issuing Actuarial Practice Standards and Guidance Notes relevant to Pensions, Employee Benefits and Social Security. Building capability by conducting Pensions, Employee Benefits and Social Security specific seminars / workshops.
- Keeping abreast of matters relating to area of Pension, Employee Benefits and Social Security, with regards to development globally in general, at level of IAA in particular and advising the council and members appropriately.
- Creating / finding new and more areas of work for consulting actuaries.

3.5.12 Advisory Group on Enterprise Risk Management

Members

Sr. No	Name	Office
1	B N Rangarajan	Chairperson
2	Gautam Shah	Secretary
3	James Creedon	Member
4	Manalur Sandilya	Member
5	Kunj Maheshwari	Member
6	Sandeep Patil	Member
7	Sanchit Maini	Member

Functions

- To be responsible for addressing issues in respect of EFR that are referred to it or the Group considers appropriate to address and advise the President/Council for appropriate action.
- To be responsible for putting in place and reviewing Actuarial Practice standards (Guidance Notes) that are required for members of the institute who work in EFR.
- To design and carry out Continuing Professional Development Programs including seminars and workshops for enhancement of skills of members of the profession in EFR.
- Supporting Consulting Actuaries in the context of information clarity and communication issues.
- To be in know of and advise the institute on emerging professional issues affecting EFR industry within and outside India.
- To be in know of and advise the institute on emerging business and industry issues affecting EFR industry within and outside India.
- To advise the Institute on any regulatory or market issues that potentially may affect the status of the profession.

3.5.13 Advisory Group on Accounting and Solvency-Insurance and Pension Funds

Members

Sr. No	Name	Office
1	Satyan Jambunathan	Chairperson
2	Josh John	Secretary
3	Kulin Patel	Member
4	Heerak Basu	Member
5	Sulochana Enjeti	Member
6	Gautam Kakar	Member

Functions

- To be responsible for addressing issues in respect of EFR that are referred to it or the Group considers appropriate to address and advice the President/Council for appropriate action.
- To be responsible for addressing issues in respect of insurance and pension fund accounting and financial reporting (e.g. IFRS and related developments) that are referred to it or the Group considers appropriate to address and advise the President for appropriate action.
- To design and carry out Continuing Professional Development Programs including seminars and workshops for enhancement of skills of members of the profession in the area of its Function.

- To be in know of and advise the institute through President on emerging professional, business and industry issues affecting members of the Institute in the area of its function.
- To advise the President on any regulatory or market issues that potentially may affect the status of the profession in the area of its Function.
- To be responsible for appropriate quality paper/s and presentation/s on its area of Function for the Global Conference of Actuaries.

3.5.14 Advisory Group on Microinsurance

Members

Sr. No	Name	Office
1	Mayur Ankolekar	Chairperson
2	Bharat Venkataramani	Secretary
3	Shubha Neelakantan	Member
4	Kamlesh Gupta	Member

Functions

- To be responsible for addressing issues in respect of MIMF that are referred to it or the Group considers appropriate to address and advise the President/Council for appropriate action.
- To be responsible for putting in place and reviewing Actuarial Practice standards (Guidance Notes) that are required for members of the institute who work in MIMF
- To design and carry out Continuing Professional Development Programs including seminars and workshops for enhancement of skills of members of the profession in MIMF.
- To be in know of and advise the institute on emerging professional issues affecting MIMF industry within and outside India.
- To be in know of and advise the institute on emerging business and industry issues affecting MIMF industry within and outside India.
- To advise the Institute on any regulatory or market issues that potentially may affect the status of the profession.

3.5.15 Advisory Group on Global Actuarial Functions

Members

Sr. No	Name	Office
1	Ankur Agrawal	Chairperson
2	Rajiv Mukherjee	Secretary
3	Amit Mehra	Member
4	Amit Kumar	Member
5	Sandeep Patil	Member
6	Irvinder Kohli	Member
7	Srinivas Sriperumbuduri	Member
8	Sandeep Narang	Member
9	Vaibhav Tyagi	Member
10	Ankit Mittal	Member

Functions

- To be responsible for addressing issues in respect of Global Actuarial Work carried out within India that are referred to it or the Group considers appropriate to address and advise the Institute for appropriate action.
- To be responsible for examining issues that requires addressing by the IAI so as to enhance capabilities of actuarial service delivery.
- To design and carry out Continuing Professional Development Programs including seminars and workshops for enhancement of skills of actuarial staff working in Global Actuarial Units.
- To be in know of and advise the Institute on emerging issues affecting Global Actuarial Units within India.
- To advise the Institute on any regulatory or market issues that potentially may affect the status of the Indian Actuarial Profession.
- To promote India as a preferred destination for carrying out actuarial work.

4. The Examination

4.1. Analysis of May/November Examination

Analysis of May 2013 Examination				
SUBJECT	Candidates Registered for May 2013 Examination	Candidates appeared for May 2013 Examination	Final Pass	Final Pass (%)
CT 1	1193	801	156	19%
CT 2	891	595	121	20%
CT 3	1079	734	236	32%
CT 4	419	252	28	11%
CT 5	506	360	62	17%
CT 6	459	281	57	20%
CT 7	780	556	249	45%
CT 8	338	207	31	15%
CA 1	143	107	19	18%
ST 1	75	53	5	9%
ST 2	128	93	17	18%
ST 4	36	19	2	11%
ST 5	44	30	4	13%
ST 6	23	15	0	0%
ST 7	49	35	3	9%
ST 8	39	30	5	17%
SA 1	20	18	2	11%
SA 2	47	29	2	7%
SA 3	17	12	0	0%
SA 4	15	11	2	18%
SA 5	11	7	1	14%
SA 6	9	8	3	38%
Total	6321	4253	1005	24 %

Analysis of November 2013 Examination

SUBJECT	Candidates Registered for November 2013 Examination	Candidates appeared for November 2013 Examination	Final Pass	Final Pass (%)
CT 1	1219	864	139	16%
CT 2	942	651	217	33%
CT 3	1089	740	78	11%
CT 4	451	38	5	13%
CT 5	489	322	56	17%
CT 6	475	305	44	14%
CT 7	774	549	196	36%
CT 8	337	195	19	10%
CA 1	141	116	20	17%
ST 1	67	51	9	18%
ST 2	115	83	14	17%
ST 4	36	25	4	16%
ST 5	44	34	0	0%
ST 6	19	11	3	27%
ST 7	41	29	5	17%
ST 8	33	24	3	13%
SA 1	21	19	4	21%
SA 2	50	35	3	9%
SA 3	16	15	1	7%
SA 4	12	10	0	0%
SA 5	9	7	0	0%
SA 6	10	7	0	0%
Total	6390	4130	820	20%

5. The ACET

5.1 ACET 5 (December 2013)

Qualification-wise Data

Qualification-wise Data	Registered	Appeared	Pass	Pass %
Engineer	406	332	211	63.55%
Graduate	627	509	160	31.43%
HSC	938	864	445	51.50%
Information Technology	9	8	3	37.50%
CA,CS,ICWA,CFA	269	176	42	23.86%
MBA	333	210	62	29.52%
Others	630	502	216	43.03%
Grand Total	3212	2601	1139	43.79%

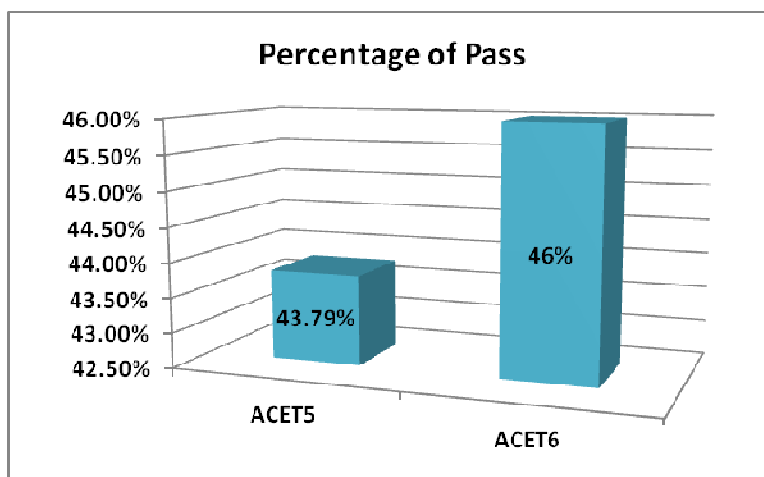
5.2 ACET 6 (June 2014)

Qualification-wise Data

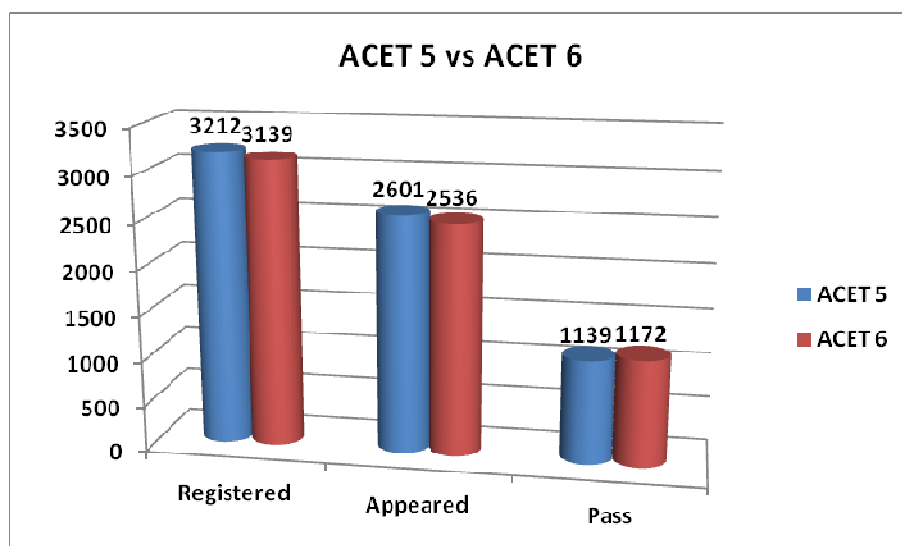
Qualification-wise Data	Registered	Appeared	Pass	Pass %
Engineer	421	320	211	66%
Graduate	488	409	138	34%
HSC	961	858	431	50%
Information Technology	8	7	4	57%
CA,CS,ICWA,CFA	214	135	31	23%
MBA	272	180	59	33%
Others	775	627	298	48%
Grand Total	3139	2536	1172	46%

5.3 Percentage of Pass – ACET5 vs. ACET 6

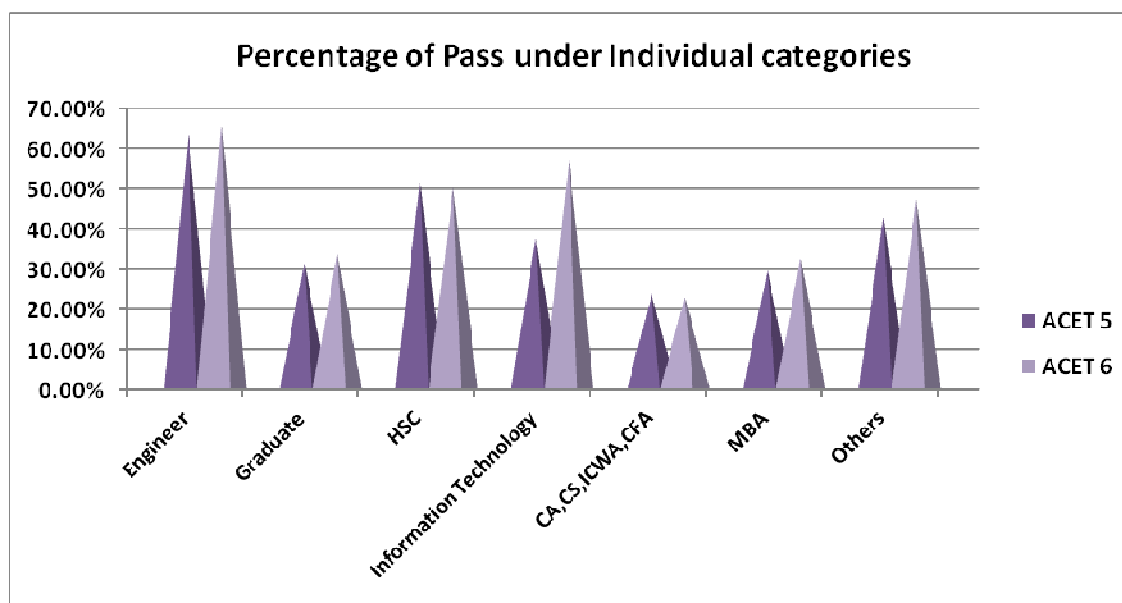
Percentage of Pass



5.4 Total No. of Appeared, Registered & Pass - ACET 5 vs. ACET 6



5.5 Percentage of Pass under Individual categories - - ACET 5 vs. ACET 6



6. Prizes and Award

6.1 Academic Excellence

Based on the highest marks secured in the examinations held during the year 2013 following Academic Excellence Awards were awarded during the 16th GCA at the award function held at Renaissance Mumbai Convention Centre Hotel, Mumbai on 17th February 2014. The Prize consists of Personalized Trophy and cash prize of Rs. 10,000/- each

Academic Excellence Award for the Calender Year 2013

Sr. No.	Academic Excellence	Subject	Name of Winner (Mem.ID)	Batch
1	RSA Group Corporate Centre Academic Excellence Award	CA2 : Model Documentation Analysis and Reporting	Abhishek Patodia (4655)	Feb 2013
2	RSA Group Corporate Centre Academic Excellence Award	CA2 : Model Documentation Analysis and Reporting	Anshul Bhushan (9648)	June 2013
3	RSA Group Corporate Centre Academic Excellence Award	CA2 : Model Documentation Analysis and Reporting	Neha Agarwala (8065)	October 2013
4	Birla Sun Life Academic Excellence Award	CA3 - Communications	Himanshu Garg (10193)	April 2013
5	Birla Sun Life Academic Excellence Award	CA3 - Communications	Ramnath Shenoy (5782)	August 2013
6	Birla Sun Life Academic Excellence Award	CA3 - Communications	Aditya Ajmani (596)	December 2013

Sr. No.	Academic Excellence	Subject	Name of Winner (Mem.ID) for May 2013	Name of Winner (Mem.ID) for November 2013
1.	Tata AIA Life Academic Excellence Award	CA1 - Actuarial Risk Management	Rahul Khandelwal (3222)	Richa Gupta (18382)
2.	Milliman Academic Excellence Award	ST1 - Health and Care Insurance	Kapil Aggarwal (509)	Vandana Baluni (927)
3.	Max Life Academic Excellence Award	ST2 - Life Insurance	Pushp Aggarwala (22000)	Neha Agarwala (8065)
4.	Mercer Consultancy Academic Excellence Award	ST4 - Pensions & Other Employee Benefits	Kruti Kamlesh Patel (4607)	Ramanuj Bansilal Bhangdiya (1088)
5.	Jardine Lyod Thompson Academic Excellence Award	ST5-Finance & Investment - A	Rohit Ajgaonkar (594)	No Candidate Passed
6.	Jardine Lyod Thompson Academic Excellence Award	ST6-Finance & Investment - B	No Candidate Passed	Ajay Shekhar (8588)
7.	Towers Watson Academic Excellence Award	ST7 - General Insurance: Reserving & Capital Modeling	Roopali Bhargava (1112)	Manish Yadav (22107)
8.	Late Sushil Dev Chatterjee	ST8- General Insurance : Pricing	Gaurav Malhotra (3755)	Shantanu Gaur (2020)
9.	LIC of India Academic Excellence Award	SA1 - Health and Care Insurance	Khushboo Hamirbasia (10557)	Vandana Baluni (927)
10.	RGA Reinsurance Academic Excellence Award	SA2 - Life Insurance	Sachin Garg (10198)	A V Ramanan (4992)
11.	Munich Re India Academic Excellence Award	SA3 - General Insurance	No Candidate Passed	Gaurav Malhotra (3755)
12.	K A Pandit Consulting Actuary Memorial Academic Excellence Award	SA4 - Pension & Other Employee Benefits	Shuchi Jindal (2869)	No Candidate Passed
13.	KPMG Academic Excellence Award	SA5 - Finance	Anchit Kalra (2986)	No Candidate Passed
14.	GenRe Academic Excellence Award	SA6 - Investment	Rohit Ajgaonkar (594)	No Candidate Passed

7. Conference / Seminar and Workshops

Sr. No	Particulars	Date	Venue
1	Workshop on IFRS	6th September, 2013	Hotel Sea Princess, Mumbai
2	9th Current Issues in Pension & Retirement Benefits (CIRB)	8th October, 2013	Hotel Orchid, Mumbai
3	9th Current Issues in Life Assurance (CILA)	29th November, 2013	Hotel Orchid, Mumbai
4	2nd Capacity Building Programme in New Mathematics for Stochastic & Risk Management (By Frank Ashe)	30th November, 2013	Hotel Sea Princess, Mumbai
5	20th India Fellowship Seminar (IFS)	4th – 6th December, 2013	Hotel Sea Princess, Mumbai
6	2nd Seminar on Enterprise Risk Management (ERM)	11th December, 2013	DoubleTree by Hilton, Gurgaon
7	2nd Capacity Building Seminar in Health Care Insurance	12th December, 2013	DoubleTree by Hilton, Gurgaon
8	2nd Seminar on Current Issues in General Insurance	18th December, 2013	Hotel Sea Princess, Mumbai
9	4th Capacity Building Seminar in General Insurance	19th December, 2013	Hotel Sea Princess, Mumbai
10	Workshop 1: Economic Scenario Generators ESG (By Frank Ashe)	2nd May, 2014	Hotel Orchid, Mumbai
11	Workshop 2: Comprehensive Actuarial Risk Evaluation (By Frank Ashe)	3rd May, 2014	The Chancery, Bengaluru
12	Workshop 3: Stochastic Modelling and ALM (By Frank Ashe)	5th May, 2014	DoubleTree by Hilton, Gurgaon
13	21st India Fellowship Seminar and LDP	12th – 14th June, 2014	Hotel Sea Princess, Mumbai
14	1st Capacity Building Seminar on Interest Rate implications in Employee benefits and social security schemes (Pension)	20th June, 2014	Hotel Sea Princess, Mumbai
15	5 th Capacity Building seminar on Introduction to R & Modeling Skills	8th August, 2014	Hotel Sea Princess, Mumbai
16	1st Capacity Building Seminar on 'Key aspects of Risk Management in Life Insurance Companies'	09th August 2014	The Club, Mumbai
17	3rd IAI Connect	20th August, 2014	Hotel Avion, Mumbai
18	Leadership Development Program	22nd -23rd August, 2014	Hotel Avion, Mumbai

8. Library

The Library of IAI is very distinctive in its kind, as it has specialized collection to serve the information needs and provide guidance to those studying for actuarial examination.

The library is the access point to get material for further reading in the subject of interest. Library membership is increasing with increase in the membership of IAI. Till date library membership is around 2500 and is escalating.

Library collection is arranged as per the subjects. Yearly stock taking is done twice per year to keep record of inventory.

Book Recommendation Form is available on the website where in the users can fill it and forward to the library for further action. The titles are procured from every nook and corner of the world.

Circulation and Reader Services:

The library is the access point to get material for further reading in the subject of interest.

- a) Members who want to use the library services, can mail the library membership form to library@actuariesindia.org
- b) Members can borrow maximum two titles at a time. The duration for which a title can be kept is maximum 15 days for Mumbai based member and 21 days for outstation member.
- c) Mumbai based members should come personally to collect the books, Out-station members can send their request through email and the book would be couriered to them.
- d) The duration of loan can be extended by phone or e-mail or in person. Depending on the demand for the book it is reissued to the same person for 2 more weeks.
- e) One can renew the title only one time for further 15 days before due date depending upon the demand of the same. Fine on late return is Rs. 10 per day.
- f) One can reserve a book, which is out in circulation. As soon as the book returns to the library the person who has reserved the book will be intimated by e-mail or phone.
- g) The documents which are for reference only can be accessed and photocopies of required part can be requested.
- h) Members need to ensure safe return of the title to the library, failing which they will be required to bear the cost of the title or provide another fresh copy of same title to the library.
- i) LIBSYS: Web-OPAC (Online Public Access Catalogue) is active and will help members to browse the library book catalogue online.

Book Reviews

- j) are too available on website under Research and publication tab.

SOME NEW ARRIVALS IN LIBRARY FROM LAST AGM TILL 31st JULY 2014

Sr. No	Subject	TITLE Of Book	AUTHOR
1.	Law and Legislation	Insurance Law Mannual with IRDA Guidelines	IRDA
2.	Law and Legislation	Right to Information: Law and Practice	Verma, R. k
3.	Law and Legislation	PIO's Guide to RTI	Verma, R. k
4.	General Insurance	Creating Value in General Insurance	ANZIF
5.	Finance	The Volatility Surface	Gatheral, Jim
6.	Finance	Options, Futures and Other Derivatives	Hull, John C
7.	Finance	Derivatives markets	Mcdonald, Robert L
8.	Act, Law and Regulation	Income Tax Act 2013	
9.	Finance	Quantitative Finance Vol.1	Wilmott, P
10.	Finance	Quantitative Finance Vol.2	Wilmott, P
11.	Finance	Quantitative Finance Vol.3	Wilmott, P
12.	Finance	Discount Rates in Financial Reporting: A Practical Guide	IAA
13.	Investment	Investment Analysis and Portfolio Management	Chandra, P.
14.	Psychology	Basic Counseling Skill	Nelson, R.
15.	Risk management	Corporate Value of Enterprise Risk Management	Segal, S.
16.	Insurance	Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property & Casualty Insurance	Brown, R. L.
17.	Psychology	Mastering Counseling Skills	Jennie
18.	Psychology	Counseling Skills : A Practical Guide	McLeod, J.
19.	Psychology	Time-Limited Counseling	Feltham, C.
20.	Investment	Investment Principles for Actuaries	Fitzherbert, R
21.	Actuarial Science	Understanding Actuarial Management: The Actuarial Control Cycle	Bellis, C.

9. Research

During the year, the Research department has taken the opportunity of undertaking external projects related to People Living with HIV, contributing to the cause of public interest. This was possible by representing the profession in the working group constituted by the Department of AIDS Control (DAC) in order to provide technical support and guidance in the matter of “Health and other insurance to PLHIV and those vulnerable to HIV”. We have completed two studies related to PLHIV group in co-ordination with NACO and prepared reports, viz., “Understanding Demographic profile and Medical needs of People Living with HIV” and “How different the mortality of PLHIV group?” which are of first of this kind in India. These reports have also been referred by IRDA to derive insights on preparation of underwriting guidelines by insurance companies in India.

Not many studies have been conducted in India in order to understand the salary movements in Private sector. This assumes significance in view of requirement of provisioning by companies in respect of terminal benefits such as Pension, Gratuity and Leave encashment. Consulting actuaries involved in such funding and reporting activities also desires to have a broad understanding on the private sector salary trends. The research department has initiated a study and published a paper “Understanding Salary Escalation Trends in Indian Private Sector” which is available in the professions website for public.

In order to inculcate research attitude and aptitude among student members of the profession, a “students exclusive” research program has been launched in which a number of research topics were offered to students, particularly targeting beginners in the actuarial profession. There was widespread participation from students and number of papers submitted which served the purpose of the program rolled out.

The Advisory groups in different functional areas referred topics to the research team out of which three projects were undertaken by us during the period. “The study of Salary scales in Public Sector banks in India (1947-2013)” is prominent among them all which involved an extensive study of salary patterns of PSU Banks in the post- independence period and one of these first kinds. There are number of stakeholders who can derive valuable insights from the report and in the process of publication.

Non-life insurance companies in India have close to seven years of market functioning on average and were subject to tariffing till year 2007 in respect of offering different products. Considering the de-tariffing of premium rates and performance of insurers in later times, a study on “Underwriting cycle in Indian Non-life insurance industry” has been conducted by the research department by utilising available data and information in the public domain. The report will be published if the findings in the report are found useful in the review process.

10 MMIC

The MMIC has moved to IIB early in the year and responsibilities of completing mortality and morbidity investigations initiated by the Institute are currently vested with them.

11 Analysis of financial statements 2013-2014

1 Balance Sheet

- a) Trust Fund and corpus has increased by about 46.01%.
- b) Current Liabilities have gone down by about 29.44%.
- c) Investment income went up significantly reflecting higher investment income earned and also reflecting a higher investible fund. Investment income went up by 20 Lakhs. The total investments have gone up by 2.83 Crore from 19.7 Crore to 22.53 Crores.
- d) The amount of Loan & Advances has gone up by 20.98%. The increase is on account of Accrued Interest but not due on investments (Increase 26.67%) and Tax Deducted at source which is recoverable from income Tax authorities (decrease- 2.90%) Decrease due to TDS amount received from IT dept for the F.Y 2009-10 & 2010-11 for Rs. 10.45 lacs and Rs.13.43 lacs respectively.

2 Income and Expenditure

- Total Income increased by 21.13% compared to last year 32%.
- Actual Surplus generated during 2013-14 was increase by 102.95% compared to last year 2.58% over previous year.
- Income from education and examination services increased by 16.80% compared to last year 2013.
- The revenue generated through educational service and examination fees accounts for 66.02% of the total revenue.
- Net Income from GCA has gone up from Rs. 71.46 lacs to Rs. 138.11.
- Total Expenses (other than Audit fee and Depreciation) grew by about 1.64% over previous year which are showing extreme control on overheads of the Institute.
- Salaries increased by 12.74% compared to last year.
- **There is a reduction of expenses in:**

Seminar	Rs. 54 lacs	39%
Printing & Stationery	Rs.6.00 lacs	70%
Office & General	Rs.3.68 lacs	53%
Postage, Courier & Telephone	Rs.1.29 lacs	20%
Travelling & conveyance	Rs.0.93 lacs	69%

12. Acknowledgement

The staff at the IAI continued their hard work and demonstrated commitment of high degree in coping with ever increasing work load.

Various committees and Advisory Groups have contributed throughout the year and brought activities to very high standards of professionalism.

Examiners and Markers have contributed to the conduct of examination which has enhanced IAI's standing as a credible professional examining body.

Report of the Auditors relating to Accounts to the Council of

Institute of Actuaries of India

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

- 1) We have audited the attached Balance Sheet of Institute of Actuaries of India as at 31st March, 2014 together with Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institute's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2) We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 3) We report that:
 - (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit;
 - (b) In our opinion, accounts are maintained in conformity with the requirements of The Actuaries Act, 2006;
 - (c) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - (d) In our opinion, the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account comply with the Accounting Standards;
 - (e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the Notes thereon, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of Institute as at 31st March, 2014;
 - (ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For and on behalf of
KHANDWALA & SHAH,
Chartered Accountants,
(Firm No.105069W)

(PREMAL P. GANDHI)
Partner
Membership No.45462

PLACE : MUMBAI

DATE : 21 JUNE, 2014

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2014

As at 31.03.13	FUNDS & LIABILITIES	Sch.	As at 31.03.14	As at 31.03.13	PROPERTY & ASSETS	Sch.	As at 31.03.14
80,542,424.10	CAPITAL AND RESERVES	"A"	117,602,105.43	33,369,490.00	FIXED ASSETS & WORK-IN-PROGRESS	"G"	33,518,176.00
6,262,970.00	PRIZE AND SCHOLARSHIP FUNDS	"B"	6,669,629.00	197,045,754.32	INVESTMENTS	"H"	225,290,027.23
143,241,206.51	EARMARKED ENDOWMENT FUND	"C"	157,837,942.00		<u>CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES :</u>		
				2,912,833.75	A) CASH & BANK BALANCES	"I"	5,329,655.24
3,914,738.00	OTHER EARMARKED FUNDS	"D"	5,237,242.00				
				2,410,884.40	B) SUNDRY DEBTORS	"J"	72,671.00
6,020,242.00	SECURED LOANS	"E"	-				
				8,176,371.27	C) LOANS & ADVANCES	"K"	9,712,467.28
33,635,761.57	CURRENT LIABILITIES	"F"	23,734,128.05				
				28,318,666.81	D) INTEREST ACCURED ON INVESTMENT	"Ka"	36,052,268.77
				1,383,341.63	IAI - MORTALITY & MORBIDITY		
					INVESTIGATION CENTRE (MMIC)	"Fa"	1,105,780.96
273,617,342.18	Total Rs.		311,081,046.48	273,617,342.18	Total Rs.		311,081,046.48

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies "S"

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For KHANDWALA & SHAH
CHARTERED ACCOUNTANTS

For INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

PREMAL P.GANDHI
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 45462

M. KARUNANIDHI
PRESIDENT

K.S.GOPALAKRISHNAN
VICE PRESIDENT

RAJESH DALMIA
HON. SECRETARY

PLACE : MUMBAI
DATE : 21 JUNE, 2014

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2014

Year Ended 31.03.2013	EXPENDITURE	Sch.	Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013	INCOME	Sch.	Year Ended 31.03.2014
76,590,669.62	EXPENSES OF INSTITUTE	"L"	77,849,390.86	18,841,589.08	INTEREST ON INVESTMENT: ON SAVING BANK ACCOUNT AND ON F.D. WITH BANKS & PUB.CORP.	"M"	20,868,981.66
	<u>AUDIT FEES</u>			15,900,927.59	Less : TRANSFERRED TO SPECIFIC FUNDS	"N"	15,786,804.49
134,832.00	INTERNAL AUDIT FEES		120,000.00	2,940,661.49			5,082,177.17
39,326.00	STATUTORY AUDIT FEES		35,000.00				
				66,164,712.93	EDUCATIONAL SERVICES & EXAM.FEES	"O"	77,279,434.79
1,027,600.00	DEPRECIATION	"G"	807,723.00	5,241,681.52	MEMBERS CONTRIBUTION	"P"	10,032,073.48
				21,765,283.00	SEMINAR FEES	"Q"	23,185,134.36
18,842,218.47	BALANCE CARRIED DOWN		38,240,109.33	522,307.15	OTHER INCOME	"R"	1,473,403.39
96,634,646.09	Total Rs.		117,052,223.19	96,634,646.09	Total Rs.		117,052,223.19
15,000,000.00	TRANSFERRED TO BUILDING FUND EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		0.00	18,842,218.47	BALANCE BROUGHT DOWN		38,240,109.33
3,842,218.47	FOR THE YEAR TRANSFD. TO GEN. RESERVES		38,240,109.33				
18,842,218.47	Total Rs.		38,240,109.33	18,842,218.47	Total Rs.		38,240,109.33

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies "S"

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For KHANDWALA & SHAH

CHARTERED ACCOUNTANTS

For INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

Sd/-
PREMAL P.GANDHI

Sd/-
M. KARUNANIDHI

Sd/-
K.S.GOPALAKRISHNAN

Sd/-
RAJESH DALMIA

PARTNER

PRESIDENT

VICE PRESIDENT

HON. SECRETARY

Membership No. 045462

PLACE : MUMBAI

DATE : 21 JUNE, 2014

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

As at 31.03.13	Particulars	As at 31.03.14	As at 31.03.14
SCHEDULE A	<u>CAPITAL AND RESERVES</u>		
	a) Capital		
	Capital Donated by :		
325,000.00	i) Chairman Executive Committee of General Insurance Council	325,000.00	
500,000.00	ii) General Insurance Corporation of India	500,000.00	
151,270.00	iii) Other Funds	151,270.00	
976,270.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014	976,270.00	
	b) General Reserves :		
45,563,935.63	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	79,566,154.10	
3,842,218.47	Add : Trfd from Income and Expenditure Account	38,240,109.33	
31,175,000.00	Add : Trfd from Building Fund on utiliasation.	0.00	
1,000,000.00	Less: Trfd to Student Support Scheme	1,170,428.00	
15,000.00	Less : Best Theme Award (15th GCA)	10,000.00	
79,566,154.10	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014	116,625,835.43	
80,542,424.10	Total Rs.		117,602,105.43

Date	Name	Amount
12-08-95	M/s Thanawala Consultancy Service	50,000.00
13-12-95	Mr. D. Basu	1,000.00
27-12-95	Mr. M.C. Chakravarty	10,000.00
17-01-96	Mr. S.V. Ramaswamy	1,000.00
23-01-96	Mr. M.S. Venkataraman	2,000.00
01-02-96	Mr. S.P. Subhedar	2,500.00
23-02-96	Mr. D.K. Lodaya	1,000.00
26-02-96	Mr. J.L. Smith	2,500.00
03-03-96	Mr. D. Basu	100.00
19-03-96	Mr. H.L. Bhatia	10,000.00
19-03-96	Mr. B.P. Gupta	6,550.00
31-03-96	Mr. A.R. Prabhu	1,000.00
08-05-96	Mr. K.V.Y. Sastry	1,000.00
15-05-96	Mr. T. S. Swaminathan	25,000.00
16-05-96	Ms. Archana Tripathy	300.00
21-05-96	Mr. S. N.Narayanan	3,320.00
25-06-96	M/s Thanawala Consultancy Service	7,500.00
08-07-96	Mr. D.K. Pandit	10,000.00
21-08-96	Mr. M. Veerabadrian	1,000.00
05-12-96	Mr. V.L. Sapre	5,000.00
13-12-96	Mr. B.P. Gupta (L.M.)	10,500.00
	Total Rs.	151,270.00

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

As at 31.03.13	Particulars	As at 31.03.14	As at 31.03.14
SCHEDULE B	PRIZE AND SCHOLARSHIP FUNDS :		
	ai) Prof. G.S. Diwan Memorial/Prize/Award Fund :		
	(Subject SA2)		
176,363.48	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	184,823.00	
18,459.52	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	19,018.00	
0.00	Add : Received during year	0.00	
10,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
184,823.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		193,841.00
	b) Prof. (Late) G.S. Diwan 100th Birth Anniversary Memorial Education Fund (Donated by R.M. Mehta for ST1 & SA1)		
248,109.04	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	239,066.00	
25,956.96	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	24,600.00	
35,000.00	Less : Prize paid during the year	20,000.00	
239,066.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		243,666.00
	c) Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Fund : (SA6) (For Research Project)		
224,124.65	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	237,585.00	
23,460.35	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	24,447.00	
10,000.00	Less : Prize paid during the year	5,000.00	
237,585.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		257,032.00
	d) Prof. Diwan Birth Centenary Education Fund (For Subject CT8)		
192,576.74	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	187,725.00	
20,148.26	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	19,317.00	
0.00	Add : Received during year	0.00	
25,000.00	Less : Prize paid during year	10,000.00	
187,725.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		197,042.00
	e) K.R. Talpade Memorial Scholarship Endowment Fund :		
12,192.81	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	13,469.00	
1,276.19	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	1,386.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
13,469.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		14,855.00
	f) H.V. Krishnamurthy Prize Fund : (For Subject CT3)		
42,525.53	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	111,345.00	
7,519.47	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	11,457.00	
81,300.00	Add : Prize fund received during the year	0.00	
20,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
111,345.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		112,802.00
	g) Shanti Trust Endowment Fund : (For Best Research/Article by Member)Actuary India		
193,504.76	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	174,686.00	
19,787.24	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	17,975.00	
38,606.00	Less : Prize paid during the year	30,000.00	
174,686.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		162,661.00
	h) Atma Ram Scholarship Endowment Fund : (For Subject CT5)		
188,678.39	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	0.00	
0.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	0.00	
0.00	Add : Received during year	0.00	
188,678.39	Less : Trfd to Atma Ram, Chajju Ram, & Parvati Devi Mem. Sch, Fund	0.00	
0.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		0.00
1,148,699.00	Balance C/fd		1,181,899.00

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

As at 31.03.13	Particulars	As at 31.03.14	As at 31.03.14
1,148,699.00	Balance B/fd		1,181,899.00
	i) Chhaju Ram Scholarship Endowment Fund : (For Subject CT2)		
34,024.83	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	0.00	
0.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	0.00	
0.00	Add : Received during year	0.00	
34,024.83	Less : Trfd to Atma Ram, Chajju Ram, & Parvati Devi Mem. Sch, Fund	0.00	
0.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		0.00
	j) Parvati Devi Scholarship Endowment Fund : (For Subject CT6)		
34,640.63	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	0.00	
0.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	0.00	
0.00	Add : Received during year	0.00	
34,640.63	Less : Trfd to Atma Ram, Chajju Ram, & Parvati Devi Mem. Sch, Fund	0.00	
0.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		0.00
	k) Canada Life Scholarship Endowment Fund : (For Subject SA4)		
325,089.19	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	344,117.00	
34,027.81	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	35,410.00	
0.00	Add : Received during year	0.00	
15,000.00	Less : Prize paid during the year	5,000.00	
344,117.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		374,527.00
	l) K.A. Pandit Memorial Prize Fund : (For Subject ST4)		
105,662.73	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	121,719.00	
12,056.27	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	12,525.00	
24,000.00	Add : Prize fund received during the year	0.00	
20,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
121,719.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		124,244.00
	m) K.P. Sarma Prize Fund : (For Subject CT4)		
40,468.78	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	0.00	
0.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	0.00	
40,468.78	Less : Refunded during the year.	0.00	
0.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		0.00
	n) Janardhan Pundlik Nerurkar Prize Fund : (For Sub. ST2)		
129,164.36	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	122,676.00	
13,511.64	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	12,623.00	
0.00	Add : Received during year	750.00	
20,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
122,676.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		126,049.00
	o) Prof. R.M. Joshi Prize Fund : (For Subject CT7)		
130,275.73	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	123,904.00	
13,628.27	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	12,750.00	
0.00	Add : Received during the year	0.00	
20,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
123,904.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		126,654.00
	p) Peter Akers Research Fund : (For Life Insurance)		
20,592.14	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	22,748.00	
2,155.86	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)	2,341.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
22,748.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		25,089.00
	q) Peter Akers Prize Fund (For Subject ST7)		
52,653.29	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	43,157.00	
5,503.71	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	4,441.00	
0.00	Add : Received during the year	0.00	
15,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
43,157.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		37,598.00
1,927,020.00	Balance C/fd		1,996,060.00

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

As at 31.03.13	Particulars	As at 31.03.14	As at 31.03.14
1,927,020.00	Balance B/fd		1,996,060.00
	r) J. R. Joshi Prize Fund : (For Subject CA3)		
92,591.98	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	102,286.00	
9,694.02	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	10,525.00	
0.00	Add : Received during the year	0.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
102,286.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		112,811.00
	s) K.S. Gopalakrishnan & Liyaquat Khan Prize Fund : (For Subject CA1)		
120,733.81	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	0.00	
15,000.00	Add : Received during the year	0.00	
8,867.92	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	0.00	
144,601.73	Less : Trfd to The Future Actuary Prize Fund	0.00	
0.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		0.00
	t) Late Meena Sidhwani Act. Edu. Fund (Award for completing fellowship within 4.5 years)		
184,584.50	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	268,113.00	
60,000.00	Add : Received during the year	0.00	
23,528.50	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	27,589.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
268,113.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		295,702.00
	u) Late R.M. Mehta Memorial Fund		
75,062.64	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	82,922.00	
7,859.36	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	8,533.00	
0.00	Add : Received during the year	0.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
82,922.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		91,455.00
	w) Late A S Gupta Prize Fund (For ACET Exam Topper June/July batch)		
123,387.69	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	124,983.00	
12,776.31	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	12,861.00	
11,181.00	Less : Prize paid during the year	11,575.00	
124,983.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		126,269.00
	x) Principal PNB Life Insurance Co. Ltd (For Completion Associateship within 3 year)		
2,222,383.43	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	2,455,067.00	
0.00	Add : Received during the year	0.00	
232,683.57	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	252,626.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
2,455,067.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		2,707,693.00
	y) Kamal Kumar Noranglal Podar Prize Fund (For Subject ST5)		
127,737.32	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	121,100.00	
0.00	Add : Received during the year	0.00	
13,362.68	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	12,461.00	
20,000.00	Less : Prize paid during the year	5,000.00	
121,100.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		128,561.00
	z) Late D. Basu Prize Fund (ST6)		
69,915.66	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	124,275.00	
65,000.00	Add : Received during the year	0.00	
9,359.34	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	12,788.00	
20,000.00	Less : Prize paid during the year	5,000.00	
124,275.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		132,063.00
	z) Late Sushil Dev Chatterjee Fund (ST8 - Academic Excellence)		
91,207.97	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	77,089.00	
0.00	Add : Received during the year	0.00	
9,256.03	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	7,932.00	
23,375.00	Less : Prize paid during the year	23,825.00	
77,089.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		61,196.00
5,282,855.00	Balance C/fd		5,651,810.00

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

As at 31.03.13	Particulars	As at 31.03.14	As at 31.03.14
5,282,855.00	Balance B/fd		5,651,810.00
aa) Atma Ram, Chhaju Ram & Parvati Devi Mem Sch Fund (CT2)			
0.00	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	131,712.00	
188,678.39	Add : Transfer from Atma Ram Sch. Endowment Fund	0.00	
34,024.83	Add : Transfer from Shri Chhaju Ram Sch. Endowment Fund	0.00	
34,640.63	Add : Transfer from Smt. Parvti Devi Sch Endowment Fund	0.00	
14,368.15	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	13,553.00	
140,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
131,712.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		135,265.00
ab) The Future Actuary Prize Fund (CA1)			
0.00	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	129,274.00	
144,601.73	Add : Transfer from K S Gopalakrishnan & L Khan Prize Fund	0.00	
4,672.27	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	13,302.00	
20,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
129,274.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		132,576.00
ac) Late Mrs. Jaya & Mrs. Kalpa N Parikh (For ACET Exam Topper Dec/Jan batch)			
0.00	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	130,695.00	
140,000.00	Add : Received during the year	0.00	
11,877.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	13,449.00	
21,182.00	Less : Prize paid during the year	13,150.00	
130,695.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		130,994.00
ad) Shri R Krishnaswamy Prize Fund - CT1			
0.00	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	235,439.00	
250,000.00	Add : Received during the year	0.00	
5,439.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	24,227.00	
20,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
235,439.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		249,666.00
ae) Shri R Krishnaswamy Prize Fund - CT4			
0.00	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	240,442.00	
250,000.00	Add : Received during the year	0.00	
5,442.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	24,741.00	
15,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
240,442.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		255,183.00
af) Smt. Vidhyawati & Smt. Santosh Kumari Mem Sch. Fund (CT5)			
0.00	Balance as at 01.04.2012 <-----> 1st April 2013	112,553.00	
120,000.00	Add : Received during the year	0.00	
12,553.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (a)	11,582.00	
20,000.00	Less : Prize paid during the year	10,000.00	
112,553.00	Balance as at 31.03.2013 <-----> 31st March 2014		114,135.00
6,262,970.00	Total Rs.		6,669,629.00

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

As at 31.03.13	Particulars	As at 31.03.14	As at 31.03.14
SCHEDULE C	<u>EARMARKED ENDOWMENT FUNDS :</u>		
	a) Swiss Re :		
157,211.70	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	173,672.00
16,460.30	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)		17,871.00
0.00	Less : Exps. for Purchase of Library Books		0.00
173,672.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	191,543.00
	b) Swiss Re : (Furniture)		
444,549.06	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	491,093.00
46,543.94	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)		50,533.00
0.00	Less : Exps. for Purchase of Moduler Furniture		0.00
491,093.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	541,626.00
	c) Standard Life :		
380,005.64	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	357,606.51
39,786.36	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)		36,797.49
62,185.49	Less : Purchase of Library Books		56,807.00
357,606.51	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	337,597.00
	d) Standard Life : (Furniture)		
771,020.83	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	851,747.00
80,726.17	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)		87,645.00
0.00	Less : Exps. for Purchase of Moduler Furniture		0.00
851,747.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	939,392.00
	e) Prudential Corporation Asia Ltd. (Highest Mark in a Year-EAAC Conference)		
2,519,143.79	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	2,782,898.00
263,754.21	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)		286,360.00
0.00	Less : Highest mark in SA2 for the year		85,977.00
2,782,898.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	2,983,281.00
	f) HDFC :		
15,175.85	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	16,765.00
1,589.15	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)		1,725.00
0.00	Less : Paid for Publication of Actuarial Directory		0.00
16,765.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	18,490.00
	g) CPD / Research :		
1,159,383.71	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	1,280,771.00
121,387.29	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)		131,791.00
0.00	Less : Interest transferred to IAI to meet expenses		0.00
1,280,771.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	1,412,562.00
	h) GCA & Research Fund :		
12,077,225.25	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	13,341,711.00
1,264,485.75	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)		1,372,862.00
13,341,711.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	14,714,573.00
	i) Building Fund :		
126,914,422.13	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	123,944,943.00
0.00	Add : Set aside of earlier years now transferred from General Reserve		0.00
15,000,000.00	Add : Transferred from Income & Expenditure Account		0.00
13,205,520.87	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (b)		12,753,935.00
31,175,000.00	Less: Transferred to General Reserve on utilisation		0.00
123,944,943.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	136,698,878.00
143,241,206.51	Total Rs.		157,837,942.00

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

As at 31.03.13	Particulars	As at 31.03.14	As at 31.03.14
SCHEDULE D			
	OTHER EARMARKED FUNDS :		
	a) Life Insurance Corporation of India		
1,299,804.41	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	1,435,894.00
136,089.59	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (c)		147,753.00
0.00	Less : Transferred to income and expenditure account		0.00
1,435,894.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	1,583,647.00
	b) ICICI :		
1,029,606.45	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	1,137,406.00
107,799.55	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (c)		117,039.00
0.00	Less : Interest transferred to ASI to meet expenses		0.00
1,137,406.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	1,254,445.00
	c) Employees Relief Fund :		
303,884.29	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	335,701.00
0.00	Add : Received during the year		0.00
31,816.71	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (c)		34,544.00
0.00	Less : Amount paid during the year		0.00
335,701.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	370,245.00
	d) Students Support Scheme		
0.00	Balance as at 01.04.2012 <----->	1st April 2013	1,005,737.00
1,000,000.00	Add : Transferred from General Reserve		1,170,428.00
5,737.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (N) (c)		103,490.00
0.00	Less : Amount paid during the year		250,750.00
1,005,737.00	Balance as at 31.03.2013 <----->	31st March 2014	2,028,905.00
3,914,738.00		Total Rs.	5,237,242.00
SCHEDULE E			
	SECURED LOANS		
	Loan From :		
6,020,242.00	Union Bank of India		0.00
6,020,242.00		Total Rs.	0.00
	Secured against Fixed Deposit No. 141643 with Bank.		
SCHEDULE F			
	CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
	Sundry Creditors		
2,000.00	Bill Desk		0.00
	Amount Recd. In Advance		
35,000.00	Munich Re (Advertisement Income)		0.00
3,594,000.00	Entrance Exam		3,677,427.42
180.00	TDS Receivable		0.00
14,663,214.00	Exam. Fees May 2013		0.00
0.00	Exam Fess May 2014		9,084,166.47
0.00	XL India P Ltd		600.00
0.00	RSA Actuarial Services I Pvt Ltd		3,333.00
0.00	KPMG GLOBAL SERVICES PVT LTD		200.00
588,000.00	CA3 Communication Course		0.00
1,233,000.00	CT9 Online Exam Fees		1,110,109.00
			13,875,835.89
	Duties & Taxes		
0.00	TDS Payable		1,027,376.00
0.00	Profession Tax Payable		300.00
			1,027,676.00
	Other Liability		
433,620.00	Deposit Refundable (IAI Members)		425,684.05
1,581,204.00	Gratuity Liability		1,856,812.00
1,197,095.00	Leave Encashment Liability		1,754,916.00
0.00	Liability - Interest on TDS		12,582.00
0.00	Liability - Interest on EPF		391,000.00
0.00	Excess TDS Deducted Refundable		11,000.00
10,308,448.57	Outstanding Liability		4,378,622.11
			8,830,616.16
33,635,761.57		Total Rs.	23,734,128.05

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA**SCHEDULE F(a) IAI - MMIC FUND (FORMER NAME MMIB) - LIST OF CONTRIBUTORS**

Name	Date	Amount
Insurance Regulatory & Development Authority	6-Oct-03	500,000.00
HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	6-Oct-03	500,000.00
Aviva Life Insurance Co. Ltd.	6-Oct-03	500,000.00
Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	7-Oct-03	500,000.00
AMP Sanmar Assurance Co. Ltd.	7-Oct-03	500,000.00
ING Vysya Life Insurance Co. Ltd.	8-Oct-03	500,000.00
Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.	8-Oct-03	500,000.00
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	13-Oct-03	500,000.00
Tata AIG Life Insurance Co. Ltd.	14-Oct-03	500,000.00
OM Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	17-Oct-03	500,000.00
Max New York Life Insurance Co. Ltd.	17-Oct-03	500,000.00
Met Life India Insurance Co. Ltd.	21-Nov-03	500,000.00
Life Insurance Corporation of India	22-Nov-03	500,000.00
Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	1-Sep-06	500,000.00
Shriram Life Insurance Co. Ltd.	8-Sep-06	500,000.00
Aegon Religare Life Insurance Co. Ltd.	23-Mar-10	500,000.00
SBI Life Insurance Co. Ltd.	30-Mar-10	500,000.00
Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	6-Apr-10	500,000.00
Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	7-Apr-10	500,000.00
Future Generali India Insurance Co. Ltd.	9-Apr-10	500,000.00
DLF Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	13-Apr-10	500,000.00
IDBI Forties Life Insurance Co. Ltd.	1-May-10	500,000.00
India First Life Insurance Co. Ltd.	4-May-10	500,000.00
Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	15-Jun-10	500,000.00
Total Rs.		<u>12,000,000.00</u>

SCHEDULE F(a) a) MMIC (Formerly - MMIB)

-98,176.63	Balance as at 01.04.2012 <-----	-----> 1st April 2013	-1,383,341.63	
0.00	Add: Income Tax Refund		22,020.00	
0.00	Add: Amount transferred from IAI		2,100,000.00	
1,285,165.00	Less : Expenses incurred by IAI		1,844,459.33	
<u>-1,383,341.63</u>	Balance as at 31.03.2013 <-----	-----> 31st March 2014		<u>-1,105,780.96</u>

SCHEDULE "G"
FIXED ASSETS

SR NO.	PARTICULARS	RATE OF DEPRE. %	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
			AS AT 01.04.2013	ADDITIONS DURING THE YEAR	RECOUPED	SALE/ ADJUSTMENT	AS AT 31.03.2014	UP TO 01.04.2013	FOR THE YEAR	SALE/ ADJUSTMENT	UP TO 31.03.2014	AS AT 31.03.2014	AS AT 31.03.2013
1	WATER PURIFIER	15	8,429.23	0.00	0.00	0.00	8,429.23	6,707.23	258.00	0.00	6,965.23	1,464.00	1,722.00
2	AIR CONDITIONER	15	710,577.53	62,100.00	0.00	0.00	772,677.53	560,506.53	22,799.00	0.00	583,305.53	189,372.00	150,071.00
3	AUDIO CONFERENCING SYSTEM	15	51,756.54	0.00	0.00	0.00	51,756.54	46,655.54	765.00	0.00	47,420.54	4,336.00	5,101.00
4	CASH BOX	15	4,727.57	0.00	0.00	0.00	4,727.57	4,003.57	109.00	0.00	4,112.57	615.00	724.00
5	COMPUTER	60	3,445,302.49	518,580.00	0.00	0.00	3,963,882.49	2,777,339.49	547,907.00	0.00	3,325,246.49	638,636.00	409,866.00
6	COMPUTER PRINTER	60	274,498.07	0.00	0.00	0.00	274,498.07	240,351.07	20,488.00	0.00	260,839.07	13,659.00	34,147.00
7	EPBAX SYSTEM (New)	15	190,849.06	0.00	0.00	0.00	190,849.06	93,248.06	14,640.00	0.00	107,888.06	82,961.00	97,601.00
8	FURNITURE	15	3,464,936.23	256,469.00	0.00	0.00	3,721,405.23	2,445,545.23	166,573.00	0.00	2,612,118.23	1,109,287.00	1,277,488.00
9	FIRE EXTINGUISHER	15	8,235.02	0.00	0.00	0.00	8,235.02	4,801.02	515.00	0.00	5,316.02	2,919.00	3,434.00
10	SAFE LOCKER	15	24,789.29	0.00	0.00	0.00	24,789.29	15,806.29	1,347.00	0.00	17,153.29	7,636.00	8,983.00
11	WEIGHT MACHINE	15	3,533.90	0.00	0.00	0.00	3,533.90	2,198.90	200.00	0.00	2,398.90	1,135.00	1,335.00
12	OFFICE EQUIPMENT	15	200,495.00	32,130.00	0.00	0.00	232,625.00	51,199.00	23,913.00	0.00	75,112.00	157,513.00	149,296.00
13	AQUA GUARD WATER PURIFIER	15	26,990.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00	532.00	3,969.00	0.00	4,501.00	22,489.00	26,458.00
14	BUSINESS PROJECTOR	15	32,590.00	0.00	0.00	0.00	32,590.00	4,326.00	4,240.00	0.00	8,566.00	24,024.00	28,264.00
15	TOTAL		8,447,709.93	869,279.00	0.00	0.00	9,316,988.93	6,253,219.93	807,723.00	0.00	7,060,942.93	2,256,046.00	2,194,490.00
	CAPITAL WORK IN PROGRESS												
	Advance for Office Premises		31,175,000.00	87,130.00	0.00	0.00	31,262,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,262,130.00	31,175,000.00
	TOTAL		39,622,709.93	956,409.00	0.00	0.00	40,579,118.93	6,253,219.93	807,723.00	0.00	7,060,942.93	33,518,176.00	33,369,490.00
	Previous Year		10,367,044.93	31,876,393.00	-	2,620,728.00	39,622,709.93	5,225,619.93	1,027,600.00	0.00	6,253,219.93	33,369,490.00	5,141,425.00

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

As at 31.03.13	Particulars	As at 31.03.14	As at 31.03.14
SCHEDULE H	INVESTMENTS		
	a) In Bonds of		
3,000,000.00	8% Saving Govt. Bond	3,000,000.00	
	b) In Fixed Deposit with		
5,000,000.00	State Bank of Bikaner & Jaipur	5,000,000.00	
12,092,718.00	HDFC Ltd.	21,292,718.00	
5,000,000.00	IDBI Bank Ltd.	17,407,930.00	
12,500,000.00	Karnataka Bank Ltd.	20,111,595.00	
12,200,000.00	DBS Bank	12,200,000.00	
14,000,000.00	LIC Housing Finance Ltd	21,300,000.00	
10,000,000.00	Canara Bank	10,000,000.00	
16,500,000.00	HUDCO	16,500,000.00	
10,700,000.00	Oriental Bank of Commerce	7,739,510.00	
17,000,000.00	ING Vysya Bank	0.00	
19,750,000.00	Union Bank of India	19,750,000.00	
15,000,000.00	Vijaya Bank	20,000,000.00	
9,950,000.00	Bank of Maharashtra	0.00	
7,000,000.00	Bank of India	7,000,000.00	
9,500,000.00	Punjab National Bank	9,500,000.00	
17,500,000.00	State Bank of Patiala	12,587,444.00	
	c) In Mutual Funds		
353,036.32	LIC Liquid Plus Fund - Growth Option	21,900,830.23	
197,045,754.32	Total Rs.		225,290,027.23
SCHEDULE I	CASH AND BANK BALANCES		
	a) Cash Balances		
11,406.28	Cash on Hand	2,878.83	
5,800.00	Cash (Petty Cash)	5,800.00	
17,206.28			8,678.83
	b) Bank Balances in Saving Account with		
9,306.85	Bank of India, Nariman Point (A/c No. 4553)	0.00	
28,032.22	Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 56426)	0.00	
17,058.73	Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 2970)	312,032.88	
101,276.49	Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 2971)	0.00	
155,674.29			312,032.88
	c) Bank Balances in Current Account with		
2,180,710.32	Axis Bank Ltd - D N. Road, Current Account- 911050048384303	6,235,611.94	
559,242.86	Axis Bank Ltd - D N. Road, Current Account- 911050048431221	(1,226,668.41)	
2,739,953.18			5,008,943.53
2,912,833.75	Total Rs.		5,329,655.24

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

As at 31.03.13	Particulars	As at 31.03.14	As at 31.03.14
SCHEDULE J	SUNDRY DEBTORS		
20,000.00	Darwin Rhodes	0.00	
27,000.00	New India Assurance	0.00	
4,500.00	Insurance Regulatory & Development Authority	0.00	
30,000.00	Deloitte	0.00	
34,300.00	Edleweiss Tokio	0.00	
323,149.00	Grand Hyatt	0.00	
450,000.00	Hanover Re	0.00	
43,080.40	Axis Bank	0.00	
8,820.00	Religare Health Insurance Co Ltd	0.00	
531,000.00	Birla Sun Life Insurance	0.00	
0.00	Swiss Re	72,671.00	
12,000.00	TAF Consulting Group	0.00	
100,000.00	Reinsurance Group of America	0.00	
500,000.00	PWC Services Ltd	0.00	
16,010.00	Bank of India	0.00	
20,000.00	Mckinsey & Co	0.00	
3,000.00	Mohit Jaggi	0.00	
90,000.00	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co Ltd	0.00	
198,025.00	Towers Watson	0.00	
			72,671.00
2,410,884.40		Total Rs.	72,671.00
SCHEDULE K	LOANS & ADVANCES		
	a) LOANS AND ADVANCES :		
	Tax deducted at Source Receivable		
127,439.20	Assessment Year 2006-2007	127,439.20	
388,806.55	Assessment Year 2007-2008	388,806.55	
642,158.30	Assessment Year 2008-2009	642,158.30	
543,485.13	Assessment Year 2009-2010	543,485.13	
1,045,342.44	Assessment Year 2010-2011	0.00	
1,343,426.15	Assessment Year 2011-2012	0.00	
1,522,078.90	Assessment Year 2012-2013	1,522,078.90	
2,093,035.80	Assessment Year 2013-2014	2,093,035.80	
0.00	Assessment Year 2014-2015	1,985,641.20	
7,645.00	Telephone Deposit	7,645.00	
66,600.00	Electricity Deposit	66,600.00	
396,303.80	Prepaid Expenses.	1,676,894.20	
50.00	Indian Postal Order	0.00	
0.00	Service Tax Input Credit	658,683.00	
8,176,371.27		Total Rs.	9,712,467.28
SCHEDULE Ka	INTEREST ACCURED ON INVESTMENT		
17,408,243.92	Interest on fixed deposit accrued but not due (with Banks)	20,099,433.02	
10,910,422.89	Interest on fixed deposit accrued but not due (with Public Corporation & others)	15,952,835.75	
28,318,666.81		Total Rs.	36,052,268.77

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

SCHEDULES TO INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

Previous Year Ended 31.03.13	Particulars	Current Year Ended 31.03.14	Current Year Ended 31.03.14
SCHEDULE L <u>EXPENSES OF THE INSTITUTE</u>			
13,914,546.30	Salaries (Includes Bonus/Gratuity/Leave encashment)	15,687,101.52	
169,791.00	Staff Welfare	158,416.00	
2,335,662.00	Office Rent	2,728,119.00	
1,114,696.00	Electricity Charges	1,137,963.00	
24,767,264.37	Examination Expenses	28,987,843.73	
2,089,859.50	Study Material Expenses	1,967,632.75	
8,372,454.94	Royalty fo UK, London	9,340,348.47	
13,876,083.05	Seminar Expenses	8,451,314.50	
1,872,529.83	Actuary India Magzine Expenses	1,834,225.07	
1,473,922.57	Meeting Expenses	2,358,232.46	
153,820.69	Insurance Premium	230,388.71	
1,573,751.00	Legal & Professional Charges	2,221,777.00	
850,166.10	Printing and Stationary	251,779.50	
649,785.56	Postage, Courier & Telephone Charges	519,888.09	
136,356.00	Travelling & Conveyance	42,724.00	
575,892.32	Repairs & Maintanance	487,332.10	
61,680.02	Bank Charges	62,110.41	
260,401.31	Membership & Subscription Fees	231,142.02	
699,436.35	Office & General Expenses	331,070.01	
27,646.00	Election Charges	0.00	
136,342.00	Staff Recruitment Fees	91,998.00	
225,819.00	Software MTS Expenses	113,252.00	
37,794.00	Research , Development & Promotion Expenses	14,091.00	
11,059.13	Sundry Balance Written Off	12,526.52	
0.00	Education Promotion & Marketing	184,533.00	
1,183,668.58	Prior Period Items	0.00	
20,242.00	Interest on Loan From Union Bank of India	0.00	
0.00	Interest on EPF	391,000.00	
0.00	Interest of TDS	12,582.00	
76,590,669.62	Total Rs.	77,849,390.86	

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

Previous Year Ended 31.03.13	Particulars	Current Year Ended 31.03.14	Current Year Ended 31.03.14
SCHEDULE M <u>INVESTMENT INCOME</u>			
A) <u>INTEREST ON SAVINGS BANK ACCOUNTS</u>			
1,091.00	Bank of India - D.N. Road - A/C No.56426	9,933.00	
39,639.00	Bank of India - D.N. Road - A/C No.2970	2,268.00	
9,702.00	Bank of India - D.N. Road - A/C No.2971	4,680.00	
362.00	Bank of India - Nariman Point. - A/C No.4553	433.00	
<u>50,794.00</u>			<u>17,314.00</u>
B) <u>INTEREST ON FIXED DEPOSITS WITH BANKS</u>			
1,244,978.00	DBS Bank Ltd.	1,341,039.00	
410,827.52	Barclays Bank	0.00	
518,119.00	IDBI Bank	914,997.00	
1,734,176.79	ING Vysya Bank	30,323.66	
1,232,426.00	Karnataka Bank	1,589,502.35	
553,360.95	State Bank of Bikaner & Jaipur	603,840.00	
1,072,852.28	Canara Bank	1,167,856.58	
962,045.00	Punjab National Bank	1,046,270.00	
1,820,968.00	State Bank of Patiala	1,946,914.00	
1,093,962.00	Oriental Bank of Commerce	1,088,114.00	
618,841.00	Union Bank of India	1,939,563.00	
632,047.00	Vijaya Bank	1,133,808.42	
160,134.41	Bank of India	685,924.47	
418,081.00	Bank of Maharashtra	759,612.00	
<u>12,472,818.95</u>			<u>14,247,764.48</u>
C) <u>INTEREST/DIVIDEND FROM OTHER INVESTMENTS</u>			
(28,022.41)	ICICI Home Finance Ltd.	0.00	
1,134,917.72	HDFC Ltd.	1,605,018.23	
741,120.35	LIC MF Income Plus Fund (Dividend)	1,147,793.91	
1,384,459.00	LIC Housing Finance Ltd	1,796,224.00	
618,233.79	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	0.00	
802,515.00	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	0.00	
1,399,977.00	HUDCO	1,670,929.00	
264,775.68	8% Govt. Bonds	297,836.63	
0.00	Interest Received on Income Tax Refund	86,101.41	
<u>6,317,976.13</u>			<u>6,603,903.18</u>
<u>18,841,589.08</u>	Total Rs. (A+B+C)		<u>20,868,981.66</u>

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

Previous Year Ended 31.03.13	Particulars	Current Year Ended 31.03.14	Current Year Ended 31.03.14
SCHEDULE N INTEREST ALLOCATED TO SPECIFIC FUNDS			
18,459.52	Prof. G.S. Diwan Prize Memorial/Prize/Award Fund - SA2	19,018.00	
	Prof.(Late) G.S.Diwan 100th Birth Anniversary Memorial Edu.Fund		
25,956.96	(Donated by R.M. Mehta)	24,600.00	
23,460.35	Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Fund (For Research Project)	24,447.00	
20,148.26	Prof. G.S.Diwan Birth Centenary Education Fund (For Subject CT8)	19,317.00	
1,276.19	K.R.Talpade Memorial Scholarship Endowment Fund (For Subject CT1))	1,386.00	
7,519.47	H.V. Krishnamurthy Prize Fund (For Subject CT3)	11,457.00	
	Shanti Trust Endowment Fund		
19,787.24	(For Best Research / Article by Member)	17,975.00	
	Canada Life Scholarship Endowment Fund		
34,027.81	(For Successful Associates & Fellows)	35,410.00	
12,056.27	K.A. Pandit Prize Fund (For Subject ST4)	12,525.00	
13,511.64	Janardhan Pundlik Nerulkar Prize Fund (For Subject ST2)	12,623.00	
13,628.27	Prof. R.M. Joshi Prize Fund (For Subject CT7)	12,750.00	
2,155.86	Peter Aker Research Prize Fund (For Life Insurance)	2,341.00	
5,503.71	Peter Aker Prize Fund (For Subject ST3)	4,441.00	
9,694.02	J.R. Joshi Prize Fund (For Subject CA3)	10,525.00	
8,867.92	K.S. Gopalkrishnan & Liyaquat Khan Prize Fund (For Subject ST5)	0.00	
23,528.50	Late Meena Sidhwani Actuarial Education Fund	27,589.00	
7,859.36	Late R.M. Mehta Memorial Fund	8,533.00	
12,776.31	Late A S Gupta Prize Fund	12,861.00	
232,683.57	Principal PNB Life Insurance Co. Ltd	252,626.00	
13,362.68	Kamal Kumar Noranglal Podar Prize Fund for ST5	12,461.00	
9,359.34	Late D. Basu Prize Fund	12,788.00	
9,256.03	Late Sushil Dev Charterjee Fund	7,932.00	
14,368.15	Aatmaram, Chajuram & Parvati Devi Memorial Scholarship Fund	13,553.00	
4,672.27	The Future Actuary Prize Fund	13,302.00	
11,877.00	Late Mrs. Jaya & Miss Kalpa N. Parikh	13,449.00	
5,439.00	R Krishnaswamy Prize Fund - CT1 (Find. Math)	24,227.00	
5,442.00	R Krishnaswamy Prize Fund - CT4 (Models)	24,741.00	
12,553.00	Smt. Vidhyawati & Smt. Santosh Kumari Memorial Scholarship Fund	11,582.00	
16,460.30	Swiss Re (Library Infrastructure)	17,871.00	
46,543.94	Swiss Re (Furniture)	50,533.00	
39,786.36	Standard Life Fund	36,797.49	
80,726.17	Standard Life (Furniture)	87,645.00	
	Prudential Corporation Asia Ltd Fund (Coaching		
263,754.21	Classes & Examiners Seminar)	286,360.00	
1,589.15	HDFC (Actuarial Directory)	1,725.00	
121,387.29	CPD / Research Fund	131,791.00	
1,264,485.75	GCA & Research Fund	1,372,862.00	
13,205,520.87	Building Fund	12,753,935.00	
136,089.59	LIC of India (Promotion & Prizes)	147,753.00	
107,799.55	ICICI	117,039.00	
31,816.71	Employees Relief Fund	34,544.00	
5,737.00	Student Support Scheme	103,490.00	
15,900,927.59	Total Rs.	15,786,804.49	

INTEREST PROVISION FOR PRIZES AND SCHOLARSHIP FUND(S) :
SCHEDULE N (a)

Prizes and Scholarship Funds	As at 01.04.13	Interest @ 10.29%	Addition during the year	Paid during the year	As at 31.03.14
-					
-					
Prof. G.S. Diwan Prize Memorial/Prize/Award Fund - SA2	184,823.00	19,018.00	0.00	10,000.00	193,841.00
Late G.S. Diwan 100th Birth Anniversary Memorial	239,066.00	24,600.00	0.00	20,000.00	243,666.00
Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Fund	237,585.00	24,447.00	0.00	5,000.00	257,032.00
Prof. G.S. Diwan Birth Centenary Education Fund	187,725.00	19,317.00	0.00	10,000.00	197,042.00
K.R. Talpade Memorial Scholarship Endowment Fund	13,469.00	1,386.00	0.00	0.00	14,855.00
H.V. Krishnamurthy Prize Fund	111,345.00	11,457.00	0.00	10,000.00	112,802.00
Shanti Trust Endowment Fund	174,686.00	17,975.00	0.00	30,000.00	162,661.00
Atmaram Scholarship Endowment Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chhaju Ram Scholarship Endowment Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parvatidevi Scholarship Endowment Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aatmaram, Chajuram & Parvati Devi Memorial Scholarship Fund	131,712.00	13,553.00	0.00	10,000.00	135,265.00
Canada Life Scholarship Endowment Fund	344,117.00	35,410.00	0.00	5,000.00	374,527.00
K.A. Pandit Memorial Prize Fund	121,719.00	12,525.00	0.00	10,000.00	124,244.00
K.P. Sarma Prize Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Janardhan Pundlik Nerurkar Prize Fund	122,676.00	12,623.00	750.00	10,000.00	126,049.00
Prof. R.M. Joshi Prize Fund	123,904.00	12,750.00	0.00	10,000.00	126,654.00
Peter Aker's Research Fund for Life Insurance	22,748.00	2,341.00	0.00	0.00	25,089.00
Peter Akers Prize Fund	43,157.00	4,441.00	0.00	10,000.00	37,598.00
J.R. Joshi Prize Fund	102,286.00	10,525.00	0.00	0.00	112,811.00
K.S. Gopalkrishnan & Liyaquat Khan Prize Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
The Future Actuary Prize Fund	129,274.00	13,302.00	0.00	10,000.00	132,576.00
Late Meena Sidhwani Actuarial Education Fund	268,113.00	27,589.00	0.00	0.00	295,702.00
Late R.M. Mehta Memorial Fund	82,922.00	8,533.00	0.00	0.00	91,455.00
Late A S Gupta Prize Fund	124,983.00	12,861.00	0.00	11,575.00	126,269.00
Principal PNB Life Insurance Co. Ltd	2,455,067.00	252,626.00	0.00	0.00	2,707,693.00
Kamal Kumar Noranglal Podar Prize Fund for ST5	121,100.00	12,461.00	0.00	5,000.00	128,561.00
Late D. Basu Prize Fund	124,275.00	12,788.00	0.00	5,000.00	132,063.00
Late Sushil Dev Charterjee Fund	77,089.00	7,932.00	0.00	23,825.00	61,196.00
Presidents Award for Paper of Special Significance at GCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prof. G.S. Diwan Prize Memorial/Prize/Award Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Late Mrs. Jaya & Miss Kalpa N. Parikh	130,695.00	13,449.00	0.00	13,150.00	130,994.00
R Krishnaswamy Prize Fund - CT1 (Find. Math)	235,439.00	24,227.00	0.00	10,000.00	249,666.00
R Krishnaswamy Prize Fund - CT4 (Models)	240,442.00	24,741.00	0.00	10,000.00	255,183.00
Smt. Vidhyawati & Smt. Santosh Kumari Memorial Scholarship Fund	112,553.00	11,582.00	0.00	10,000.00	114,135.00
Total	6,262,970.00	644,459.00	750.00	238,550.00	6,669,629.00

INTEREST PROVISION FOR EARMARKED ENDOWMENT FUND(S) :

SCHEDULE N(b)

<u>Earmarked Endowment Fund</u>	As at 01.04.13	Interest @ 10.29%	Addition during the year	Paid during the year	As at 31.03.14
Swiss Re (Library Infrastructure)	173,672.00	17,871.00	0.00	0.00	191,543.00
Swiss Re (Furniture)	491,093.00	50,533.00	0.00	0.00	541,626.00
Standard Life (UK)	357,606.51	36,797.49	0.00	56,807.00	337,597.00
Standard Life (Furniture)	851,747.00	87,645.00	0.00	0.00	939,392.00
Prudential Corporation Asia Ltd. (Prizes for Excellence Perfor)	2,782,898.00	286,360.00	0.00	85,977.00	2,983,281.00
HDFC (Actuarial Directory)	16,765.00	1,725.00	0.00	0.00	18,490.00
CPD / Research	1,280,771.00	131,791.00	0.00	0.00	1,412,562.00
GCA and Research Fund	13,341,711.00	1,372,862.00	0.00	0.00	14,714,573.00
Building Fund	123,944,943.00	12,753,935.00	0.00	0.00	136,698,878.00
The Actuary India Magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	143,241,206.51	14,739,519.49	0.00	142,784.00	157,837,942.00

INTEREST PROVISION FOR OTHER EARMARKED ENDOWMENT FUND(S) :

SCHEDULE N(c)

<u>Other Earmarked Fund</u>	As at 01.04.13	Interest @ 10.29%	Addition during the year	Paid during the year	As at 31.03.14
LIC of India (For Promotion of ASI & Prize)	1,435,894.00	147,753.00	0.00	0.00	1,583,647.00
ICICI	1,137,406.00	117,039.00	0.00	0.00	1,254,445.00
Employees Relief Fund	335,701.00	34,544.00	0.00	0.00	370,245.00
Student Support Scheme	1,005,737.00	103,490.00	1,170,428.00	250,750.00	2,028,905.00
Total	3,914,738.00	402,826.00	1,170,428.00	250,750.00	5,237,242.00

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

Previous Year Ended 31.03.13	Particulars	Current Year Ended 31.03.14	Current Year Ended 31.03.14
SCHEDULE O <u>EDUCATIONAL SERVICES & EXAMINATION FEES</u>			
44,620,135.83	Examination Fees	54,797,092.64	
19,273,665.60	Study Course and Tution Material Fees	19,199,132.65	
562,500.00	Exemption Fees	647,800.00	
888,411.50	Admission Fees	1,610,714.50	
820,000.00	Actuary India Magazine Income	1,024,695.00	
<u>66,164,712.93</u>		<u>Total Rs.</u>	<u>77,279,434.79</u>
SCHEDULE P <u>MEMBERS CONTRIBUTION</u>			
5,213,181.52	Subscription Fees	9,962,073.48	
28,500.00	Penalty / Late Fees	70,000.00	
<u>5,241,681.52</u>		<u>Total Rs.</u>	<u>10,032,073.48</u>
SCHEDULE Q <u>SEMINARS FEES</u>			
18,451,983.00	On Global Conference of Actuaries	19,400,844.20	
716,000.00	On India Fellowship	880,426.98	
803,000.00	On Current Issues in Life Assurance	475,460.93	
240,000.00	On Current Issue in Retirement Benefits (CIRB)	268,369.35	
426,000.00	On New Mathematics for Stochastic & Risk Manegement Workshop	587,707.62	
480,000.00	On Capacity Bldg; In Health Insurance	193,861.13	
84,000.00	On Leadership Development Programme - 3	0.00	
0.00	On Current Issues in Health Insurance	416,230.13	
129,300.00	On IAI Connect	0.00	
0.00	On Workshop on Crop Insurance Fees	70,512.25	
382,500.00	On Capacity Building In Non-Life Industry	224,550.17	
45,000.00	On Current Issue in General Insurance (CIGI)	147,977.34	
0.00	On Enterprises Risk Management (ERM)	245,881.11	
7,500.00	On International Financial Reporting Standards (IFRS)	273,313.15	
<u>21,765,283.00</u>		<u>Total Rs.</u>	<u>23,185,134.36</u>
SCHEDULE R <u>OTHER INCOME</u>			
465,000.00	COP Fees (Renewal & New Issuance)	452,500.00	
41,517.00	Sale of Scrap	49,977.00	
6,838.00	Sundry Balance Written Back	2,595.27	
0.00	Research Income	266,770.00	
0.00	Service Tax Credit	699,177.12	
8,952.15	Other Income	2,384.00	
<u>522,307.15</u>		<u>Total Rs.</u>	<u>1,473,403.39</u>

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA**SCHEDULE – S****NOTES TO ACCOUNTS****A) Significant Accounting Policies:****1. ACCOUNTING CONVENTION**

These accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and are on accrual basis unless otherwise stated.

2. REVENUE RECOGNITION

a) Admission Fee:

The Admission Fee is recognised as income in the year of admission of students.

b) Subscription Fee:

Subscription Fees for the year is recognised as income on actual receipt basis.

c) Examination Fees:

Examination Fee is recognised on the basis of conduct of examinations.

d) Study Course and Tuition Material Fees:

Revenue from Sale of Study Course & Tuition Material Fee is recognised in the year of Sale of Study Material.

e) Seminar Fees:

Seminar Fee is recognised on receipt basis.

f) Income on Interest bearing securities and fixed deposits is recognised on accrual basis at the rates applicable to such investments.

3. ALLOCATION / TRANSFER TO EARMARKED FUNDS

Income from investments of Earmarked Funds is allocated to Earmarked Funds proportionately on the basis of Weighted Average Method.

4. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

a) Fixed Assets are stated at historical cost less depreciation.

b) Depreciation is provided on the written down value method at the following rates as approved by the Institute, based on the useful life of the respective assets:

Type of Asset	Rate of Depreciation
Water Purifier	15%
Air Conditioner	15%
Audio Conferencing System	15%
Cash Box	15%
Computer	60%
Computer Printer	60%
EPBAX System	15%
Furniture	15%
Fire Extinguisher	15%
Safe Locker	15%
Weight Machine	15%
Office Equipments	15%
Aqua Guard Water Purifier	15%
Business Projector	15%

c) Depreciation on additions is provided on pro-rata basis.

5. INVESTMENTS

Investments are stated at cost.

6. EMPLOYEE BENEFITS

a) Gratuity :

The Institute provides for Gratuity Liability based on the Payment of Gratuity Act, 1972 and provision is made on pro-rata basis based on Actuarial Valuation.

TABLE 1**Gratuity Plan**

Actuarial Calculations under AS15 (revised, 2005)

Net Asset / Liability recognized in the Balance Sheet as at 31 Mar 2013

Local currency – Rupees

A	Net Asset/(Liability) Recognised in Balance Sheet – 31 Mar 2013	
1	Present value of Defined Benefit Obligation:	1,581,204
2	Fair Value of Plan Assets	-
3	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	-1,581,204
4	Unrecognized Past Service Costs	-
5	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	-1,581,204
	Assumptions at 31 Mar 2013	
	Discount Rate	8.03%

TABLE 2

Disclosure of employer expense for the year ending 31 Mar 2014

A	Components of Employer Expense	
1	Current Service cost (including risk premiums for fully insured benefits)	335,809
2	Interest Cost	124,558
3	Expected Return on Plan Assets	-
4	Curtailment Cost / (Credit)	-
5	Settlement Cost / (Credit)	
6	Past Service Cost	-
7	Actuarial Losses / (Gains)	-136,297
8	Total employer expense recognized in P&L	324,070
	Assumptions at 31 Mar 2013	
	Discount Rate	8.00%

TABLE 3

Net Asset / Liability recognized in the Balance Sheet as at 31 Mar 2014

A	Estimated Net Asset/(Liability) Recognised in Balance Sheet – 31 Mar 2014	
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1,856,812
2	Fair Value of Plan Assets	-
3	Funded status [Surplus/(Deficit)]	-1,856,812
4	Unrecognized Past Service Costs	-
5	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	-1,856,812
	Assumptions at 31 Mar 2014	
	Discount Rate	9.00%

TABLE 4
Change in obligation and assets over the year ending 31 Mar 2014

A Change in Defined Benefit Obligation		
1	DBO at beginning of the period	1,581,204
2	Service Cost	335,809
3	Interest Cost	124,558
4	Curtailment Cost / (Credit)	-
5	Settlement Cost / (Credit)	-
6	Plan Amendments	-
7	Acquisitions	-
8	Actuarial Losses / (Gains)	-136,297
9	Benefit Payments	-48,462
10	DBO at end of the period	1,856,812
B Change in Fair Value of Assets		
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the period	-
2	Acquisition adjustment	-
3	Expected return on plan assets	-
4	Actual Company contributions	-48,462
5	Actuarial Gain/(Loss)	-
6	Benefits payments	-48,462
7	Fair Value of Plan assets at the end of period	-
Assumptions at 31 Mar 2014		
Discount Rate		9.00%

TABLE 5
Reconciliation of Net Asset / Liability recognized in Balance Sheet

1	Net Asset / (Liability) at beginning of period	-1,581,204
2	Employer Expense	324,070
3	Employer Contributions	48,462
4	Acquisitions / Business Combinations	-
5	Net Asset / (Liability) at end of period	-1,856,812

TABLE 6
Experience History

1	Defined Benefit Obligation at end of the period	1,856,812
2	Plan Assets at end of the period	-
3	Funded Status	-1,856,812
4	Experience adjustments on plan liabilities	-15,467
5	Experience adjustments on plan assets	-

B Assumptions

B1.1 One of the principal assumptions is the discount rate, which should be based upon the market yields available on Government bonds at the accounting date with a term that matches that of the liabilities.

B1.2 The financial assumptions employed for the calculations as at 31 Mar 2013 and 31Mar 2014 are as follows.

	31-Mar-13	31-Mar-14
Discount rate	8.00%	9.00%
Expected return on assets	0.00%	0.00%
Salary escalation	10.00%	10.00%
Mortality	LIC (1994-96) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate

Withdrawal Rate

Age From	31-Mar-13	31-Mar-14
18	10%	10%
21	10%	10%
31	10%	10%
41	10%	10%
45	10%	10%
58	10%	10%

b) Leave Encashment:

The Institute has provided for accumulated Privilege & Sick Leave based on actuarial valuation.

7. PROVISIONS

A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past events: it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimates required to settle the obligations at the Balance Sheet Date. These are reviewed at each Balance Sheet Date and adjusted to reflect the current best estimates.

B) OTHER NOTES:

- 1) Actuarial Society of India registered under Societies Registration Act, 1860 and the Bombay Public Trust Act, 1950 was dissolved on 09-11-2006 and all the assets and liabilities of ASI were transferred to “**Institute of Actuaries of India**” which is constituted by an Act of Parliament viz. “**The Actuaries Act, 2006**”.
- 2) Stock of Study Materials, Publications and Stationery etc. are written off in the year of purchase under respective expenses heads of accounts.
- 3) Income Tax provision has not been made pursuant to order dated 12th September 2013 bearing no. F.No.CCIT/MUM/10(23C)(vi)/378/2013-14 issued by the Chief Commissioner of Income Tax (CCA) Mumbai u/s 10(23C)(vi) of the Income Tax Act w.e.f. AY 2012-2013 onwards.
- 4) Allocation of Investment Income has been done in the following manner as certified by the President and relied upon by the auditors.

A = Opening Balance as on 01-04-2013 of Investment (+) Opening Cash
and Bank Balances as on 01-04-2013 –Borrowing as on 01.04.2013.

B = Closing Balance as on 31-03-2014 of Investment (+) Closing Cash
and Bank Balances as on 31-03-2014 - Borrowing as on 31-03-2014

I = Investment income during the year 2013-2014.

i = Interest rate for allocation of Investment Income to all funds.

$$i = (2 \times I) / [(A+B) - I]$$

$$A = 193,958,588.07$$

$$B = 230,619,682.47$$

$$I = 20,800,194.25$$

$$(A+B)-I = 403,778,076.29$$

$$i = 10.29\%$$

N.B: Interest rate for allocation of Investment income to funds is 10.29%.

- 5) Previous year's figures have been regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.

For Khandwala & Shah,
Chartered Accountants,
PREMAL P. GANDHI
Partner
Membership No.45462

For Institute of Actuaries of India

M. KARUNANIDHI
President

K.S.GOPALAKRISHNAN
Vice President
RAJESH DALMIA
Hon. Secretary

PLACE : MUMBAI
DATE : 21 JUNE, 2014

AUDITORS' REPORT**MORTALITY & MORBIDITY INVESTIGATION CENTRE**

- 1) We have audited the attached Balance Sheet of Mortality & Morbidity Investigation Centre (a Unit of Institute of Actuaries of India) as at 31st March, 2014 together with Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institute's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2) We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 3) Based on our audit and the necessary explanations given to us we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit;
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Centre so far as it appears from our examination of those books;
 - c) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report that in the case of:
 - (i) The Balance Sheet, it gives a true and fair view of the state of affairs of Centre as at 31st March, 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - (ii) The Income and Expenditure Account, of the Deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of
KHANDWALA & SHAH,
Chartered Accountants,
(Firm No.105069W)

(PREMAL P. GANDHI)
Partner
Membership No.45462

PLACE : MUMBAI
DATE : 21 JUNE, 2014

Mortality & Morbidity Investigation Centre
(A Unit of Institute of Actuaries of India)

Balance Sheet as at 31st March, 2014

	Schedule No.	As at 31-03-2014	As at 31-03-2013
SOURCES OF FUNDS:			
Corpus Fund	1	1,532,535	4,065,598
Total Rs.		1,532,535	4,065,598
APPLICATION OF FUNDS			
Fixed Assets	2		
At cost		2,944,516	2,944,516
Less: Accumulated Depreciation		2,831,301	2,003,354
		113,215	941,162
Investments	3	2,280,465	3,591,676
Current Assets, Loans & Advances			
Cash & Bank Balances	4	22,250	359,041
Loans and Advances	5	70,717	79,675
Interest Accrued on Fixed Deposits		168,522	494,240
		261,489	932,956
Current Liabilities	6	1,122,634	1,400,196
Net Current Assets		(861,145)	(467,240)
Total Rs.		1,532,535	4,065,598

As per our report of even date
For KHANDWALA & SHAH
CHARTERED ACCOUNTANTS

For Mortality And Morbidity Investigation Centre
(A unit of Institute of Actuaries of India)

Premal P.Gandhi
PARTNER
Membership No. 045462

M. Karunanidhi
PRESIDENT

K.S.Gopalakrishnan
VICE PRESIDENT

Rajesh Dalmia
HON. SECRETARY

PLACE : MUMBAI
DATE : 21 JUNE, 2014

Mortality & Morbidity Investigation Centre
(A Unit of Institute of Actuaries of India)

Income & Expenditure Account for the year ended 31st March 2014

	Schedule No.	2013-14	2012-13
INCOME			
Interest Received on : Fixed Deposit with bank		255,190	361,666
Total Rs.		255,190	361,666
EXPENDITURE			
Employee Cost	7	1,921,236	1,747,782
Administration & Other Expenses	8	39,070	66,990
Depreciation		827,947	213,565
Total Rs.		2,788,253	2,028,337
Excess of Expenditure over Income transferred to Corpus Fund		(2,533,063)	(1,666,671)

As per our report of even date
For KHANDWALA & SHAH
CHARTERED ACCOUNTANTS

For Mortality And Morbidity Investigation Centre
(A unit of Institute of Actuaries of India)

Premal P.Gandhi
PARTNER
Membership No. 045462

M. Karunanidhi
PRESIDENT

K.S.Gopalakrishnan
VICE PRESIDENT

Rajesh Dalmia
HON. SECRETARY

PLACE : MUMBAI
DATE : 21 JUNE, 2014

Mortality & Morbidity Investigation Centre
(A Unit of Institute of Actuaries of India)

Schedules forming part of the Balance Sheet

	As at 31-03-2014 Rs.	As at 31-03-2013 Rs.
SCHEDULE 1:		
CORPUS FUND		
Opening Balance	4,065,598	5,732,269
Less: Excess of Expenditure over Income	2,533,063	1,666,671
Total	1,532,535	4,065,598
SCHEDULE 3:		
INVESTMENT		
-In Fixed Deposit Account :		
State Bank of Hyderabad	911,017	722,228
State Bank of Patiala	1,369,448	2,869,448
Total	2,280,465	3,591,676
SCHEDULE 4:		
CASH & BANK BALANCES		
Cash on Hand	-	-
Bank Balances		
-In current Account with State Bank of Hyderabad	22,250	359,041
Total	22,250	359,041
SCHEDULE 5:		
Loans and Deposits		
TDS Receivable	70,717	79,675
Total	70,717	79,675
SCHEDULE 6:		
CURRENT LIABILITIES		
Audit Fees Payable	16,854	16,854
Institute of Actuaries of India	1,105,780	1,383,342
Total	1,122,634	1,400,196

Mortality & Morbidity Investigation Centre
(A Unit of Institute of Actuaries of India)

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

		2013-14 Amount Rs.	2012-13 Amount Rs.
SCHEDULE 7:			
Employee Cost			
Salaries & Bonus		1,921,236	1,747,782
	Total	<u>1,921,236</u>	<u>1,747,782</u>
SCHEDULE 8:			
Administrative & Other Expenses			
Travelling & Conveyance		-	10,180
Meeting Expenses		16,795	39,656
Audit Fees		16,854	16,854
Conveyance		4,820	-
Bank Charges		601	300
	Total	<u>39,070</u>	<u>66,990</u>

Mortality & Morbidity Investigation Centre
(A Unit of Instiute of Actuaries of India)

SCHEDULE-2: FIXED ASSETS

Amount in Rs.

Particulars	Rate of Dep	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		As at 01-04-13	Additions	Sales/Adjustment	As at 31-03-14	As at 01-04-13	For the Year	Sales/Adj	As at 31-03-2014	As at 31-03-2014	As at 31-03-2013
Air Conditioner	15%	134,503	-	-	134,503	69,557	9,742	-	79,299	55,204	64,946
Computers	60%	215,850	-	-	215,850	210,981	2,920	-	213,901	1,949	4,869
Furnitures & Fixtures	10%	36,748	-	-	36,748	14,445	2,230	-	16,675	20,073	22,303
Office Equipment	15%	17,049	-	-	17,049	8,473	1,286	-	9,759	7,290	8,576
Computer Softwares	60%	991,793	-	-	991,793	959,689	19,262	-	978,951	12,842	32,104
Computer Servers	60%	1,548,573	-	-	1,548,573	740,209	792,507	-	1,532,716	15,857	808,364
Total Rs.		2,944,516	-	-	2,944,516	2,003,354	827,947		2,831,301	113,215	941,162
Previous Year		2,944,516	-	-	2,944,516	1,789,789	213,565		2,003,354	941,162	1,154,727

Significant Accounting Policies and Notes to the Accounts

1. BACK GROUND

Mortality & Morbidity Investigation Centre is established as per the Professional Collaboration Agreement between Institute of Actuaries of India and The Life Insurance Council set up at Hyderabad primarily to carry out research on the Mortality and Morbidity rates of policy holders in Life Insurance companies in India.

2. ACCOUNTING CONVENTION

These accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and are on accrual basis unless otherwise stated.

3. REVENUE RECOGNITION

Income on Interest bearing securities and fixed deposits is recognised on accrual basis at the rates applicable to such investments.

4. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- Fixed Assets are stated at historical cost less depreciation.
- Depreciation is provided on the written down value method at the following rates as approved by the Institute, based on the useful life of the respective assets:

Type of Asset	Rate of Depreciation
Air Conditioner	15%
Computer	60%
Furniture & Fixtures	10%
Office Equipments	15%
Computer Software	60%
Computer Servers*	60%

*The rate of depreciation has been changed from 15% to 60% retrospectively. Depreciation of Rs. 7,68,722/- represents depreciation for earlier years.

- Depreciation on additions is provided on pro-rata basis.

5.	Remuneration & Salaries	2013-14	2012-13
	Salaries and allowances	Rs19,21,236	Rs17,47,782
6.	Auditors Remuneration		
	Audit Fees	Rs.15,000	Rs.15,000
	Service Tax	Rs. 1,854	Rs. 1,854
7.	All the figures are expressed in rupees and have been regrouped/reclassified wherever necessary.		

For Khandwala & Shah,
Chartered Accountants,
PREMAL P. GANDHI
Partner
Membership No.45462

For Institute of Actuaries of India

M. KARUNANIDHI
President

K.S.GOPALAKRISHNAN
Vice President
RAJESH DALMIA
PLACE : MUMBAI

Hon. Secretary
DATE : 21 JUNE, 2014

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in